लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र]

Thirteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On ....
Parliament Library

[खंड 49 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XLIX contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23—सोमवार, 6 दिसम्बर, 1965/15 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 23—*Monlay, December* 6, 1965/*Agrahayana*, 15 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
653-क	प्रतिरक्षा तथा खाद्य स्थिति को मज़बूत बनाना	Strengthening of Defence and Food Fronts	2063–66
654	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का स्मारक	Memorial for Netaji Subhas Chandra Bose . . .	2066–69
655	स्वर्गीय श्री बी० जी० मेहता की विमान दुर्घटना	Air Accident of Late Shri B.G. Mehta	2069–71
656	भारतीय प्रदेश में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अत्याचार	Atrocities by Pakistani Troops in Indian Territory . .	2071–75
658	आकाशवाणी की संसद् समीक्षा (टु डे इन पार्लियामेंट) कार्यक्रम (फीचर)	"Today in Parliament" Feature of A.I.R.	2075–77
659	पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग	Indian High Commission in Pakistan	2077–81

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.			
657	अमरीका को प्रतिरक्षा दल	Defence Team to U.S.A. .	2081
660	कराची में भारतीय उच्चायोग	Indian High Commission in Karachi	2081
661	खान अब्दुल गफ्फार खां	Khan Abdul Ghaffar Khan	2082
662	वियतनाम संघर्ष	Viet nam Conflict . .	2082
663	पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां को अफगानिस्तान के शाह का कथित संदेश	King of Afghanistan's Reported Message to President Ayub of Pakistan	2082–83
664	राष्ट्रीय कडेट कोर के कैडटों के भोजन में विष	Poison in Food of N.C.C. Cadets	2083

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य न वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—13 Lok Sabha/66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
665	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund . .	2083–84
666	उच्चाधिकार प्राप्त समिति	High powered Committee on relief to victims of Indo-Pak. Conflict.	2084
667	पाकिस्तान द्वारा सीमा का उल्लंघन	Border Violations by Pakistan .	2084–85
668	झूठे प्रचार के बारे में पाकिस्तान को विरोध पत्र	Protest to Pakistan about False Propaganda	2085
669	स्थल सेना में डाक्टरों और नर्सों की कमी	Shortage of Army Doctors and Nusrses	2985–86
670	बर्मा में भारतीय राष्ट्रजन	Indian Nationasl in Burma .	2086–87
671	अफ्रो-एशियाई सम्मेलन	Afro-Asian Conference . .	2087
672	पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सिख महिलाओं का अपहरण	Abduction of Sikh Women by Pak. Troops	2088
673	ब्रिटिश उच्चायोग को पुलिस संरक्षण	Police Protection for U. K. High Commission	2088
674	ब्रिटेन द्वारा हथियारों के बेचने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को ढीला करना	Relaxation of Ban on Arms Sale by U.K.	2089
675	जैसलमेर में भारतीय प्रदेश पर पाकिस्तान का कब्जा	Pak. Occupation of Indian Territory in Jaisalmer . . .	2089
676	पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय लोग	Indian Detained in Pakistan .	2090
677	चीन का तिब्बत पर अधिराजस्व का दावा	Chinese claim of Suzerainty over Tibet	2090
678	वैदेशिक कार्य मंत्रालय की हिदायतें	Instructions from Ministry of External Affairs . . .	2090–91
679	दिल्ली क्लाथ मिल्स तथा स्वतंत्र भारत मिल्स के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to D. C. M. and Swatantra Bharat Mills Employees	2091–92
680	संयुक्त राष्ट्र संघ की आयव्ययक समिति	U. N. Budgetary Committee .	2092
681	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund . .	2092–93
682	"रिव्यू आफ दि इंस्टीट्यूट आफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज़, लन्दन"	Review of the Institute of Strategic Studies, London.	2093
683	बोनस का भुगतान	Payment of Bonus	2094

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1820	बीड़ी उद्योग	Bidi Industry .	2094–95
1822	हज यात्रा	Haj Pilgrimage . .	2095–96
1823	बर्मा से प्रत्यावर्तित लोग	Repatriates from Burma	2096
1824	श्रीलंका में भारतीय नागरिक	Indian Citizens in Ceylon .	2096
1825	भारतीय सहायता से सिक्किम में बैंक	Bank in Sikkim with Indian Aid	2097
1826	सिंगापुर से सद्भावना मिशन	Goodwill Mission from Singapore	2097
1827	लन्दन में नेहरू स्मारक न्यास	Nehru Memorial Trust in London	2097–98
1828	लंका में दासों का व्यापार	'Slave Trade' in Ceylon . .	2098
1829	छम्ब-जौरियां अंचल से शरणार्थी	Refugees from Chhamb-Jaurian Sector	2098
1830	संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला	Tibetan Case in U.N.O. . .	2099
1832	तेल्लचेरि में बड़े (हैड) डाकघर की इमारत	H.P.O. Building at Tellicherry	2099
1833	केरल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for P. & T. Employees in Kerala . . .	2099–2100
1834	भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर	Employment Opportunities for Ex-servicemen . . .	2100
1835	कानपुर में भारतीय वायुसेना का अस्पताल	I.A.F. Hospital, Kanpur . .	2100
1836	तेल समवायों के कर्मचारी	Employees of Oil Companies .	2101
1837	मंगोलिया में रिहायशी मिशन (रेजिडेन्ट मिशन)	Resident Mission in Mangolia .	2101
1838	नई दिल्ली में थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग में स्थित डाकखाने में चोरी	Theft in Post Office in Theatre Communications Building, New Delhi	2101
1839	पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो	Community Listening Sets in Eastern Border Areas . .	2102
1841	भारतीय वायु सेना के पूना स्थित बस डिपो में कुप्रशासन	Mal-Administration in the I.A.F. Base Depot, Poona . .	2102
1842	बम्बई गोदी वाडा	Bombay Dockyard . . .	2103
1843	बंगलौर में प्रतिरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Defence Establishments Workers in Bangalore .	2103

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1844	बुडापेस्ट में अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन	International Scientists' Conferences at Budapest . .	2104
1845	विदेशों में शस्त्रास्त्र की सहायता	Arms Aid from Foreign Countries	2104
1846	अग्रिम क्षेत्रों में असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी	Civilian Defence Employees in Forward Areas . . .	2105
1847	श्रम वीर राष्ट्रीय पुरस्कार	Shram Vir National Awards .	2106
1848	गोदी मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Dock Workers	2106
1849	राष्ट्रमण्डल सचिवायल के लिये महासचिव	Secretaries-General for Commonwealth Sectt. . . .	2106–07
1850	लंदन निवासी भारतीय परिवारों को पेशकश	Offer from Indian Families in London	2107
1851	सरकारी क्षेत्र उद्योग स्थल	Location of Public Sector Industries	2108
1852	भारतीय राज्यक्षेत्र में अज्ञात विमान	Unidentified Plane in Indian Territory	2108
1853	सैनिक मोटर गाड़ियां	Defence Vehicles . . .	2109
1854	हवलदार अब्दुल हमीद	Havildar Abdul Hamid	2109
1855	नैरोबी में पाकिस्तानी दूतावास की भारत विरोधी कार्यवाहियां	Anti-Indian Activities of Pakistan Mission in Nairobi. . .	2110
1856	जोधपुर के लिये प्रसारण केन्द्र	Broadcasting Centre for Jodhpur	2110
1857	संयुक्त प्रबन्ध परिषद्	Joint Management Councils .	2110–12
1858	पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्वीकारोक्ति	Admission by Pakistani Delegate	2112
1859	भारतीय विदेश सेवा विषयक समिति	Committee on I.F.S.	2113
1860	जोधपुर हवाई अड्डा	Jodhpur Airport	2113
1861	पारपत्रों का दिया जाना	Issue of Passports . .	2113–14
1862	मंगलौर पत्तन में नौसैनिक एकक	Naval Unit at Mangalore Port .	2114
1863	राष्ट्रीय पोषाहार सलाहकार समिति	National Nutritional Advisory Committee	2114–15
1864	भारत के प्रति इजराइल का रवैया	Israel's Attitude Towards India	2115
1866	टैंकों और मशीनरी की मरम्मत	Report of Tanks and Machinery	2115–16
1867	फिल्म वित्त निगम	Film Finance Corporation . .	2116
1868	पश्चिमी पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों की भूमि पर पाकिस्तान का कब्जा	Pak occupation of Land of Sikh Gurudwaras in West Pakistan	2116–17

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1869	वैमानिकों के रिक्त पदों पर काम कर रहे असैनिक क्लर्क	Civilian Clerks Employed against Airmen's vacancies . .	2117
1870	पंचायत समिति कार्यालयों के लिये टेलीफोन	Telephones for Panchyat Samiti Offices	2118
1871	तिब्बती शरणार्थी	Tibetan Refugees	2118
1872	उड़ीसा में डाकिये	Postmen in Orissa	2118–19
1873	उड़ीसा में अधिसूचित किये गये रिक्त पद तथा उन पर की गई नियुक्तियां	Vacancies notified and filled in Orissa	2119
1874	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों में बेरोजगारी	Unemployment of S. C. & S. T. Candidates in Orissa . .	2120
1875	"पी०" ब्लाक में लेबर कैंटीन	Labour Canteen in 'P' Block .	2120
1876	परमाणु विस्फोट का पता लगाना	Detection of Nuclear Explosion .	2121
1877	प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन असैनिक स्कूल अध्यापक	Civilian School Teachers under Defence Ministry . . .	2121–22
1878	भारत संघ और ब्रिटिश क्राउन (सम्राज्ञी) के पारस्परिक सम्बन्ध	Relation between the Indian Union and British Crown . .	2122
1879	श्रीमती पण्डित की पश्चिमी "जर्मनी की यात्रा"	Shrimati Pandit's Visit to West Germany	2122
1880	पटना और रांची में रेडियो स्टेशन	Radio Stations at Patna and Ranchi	2123
1881	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund . .	2123–24
1882	पाकिस्तान को सैन्य सामग्री की सप्लाई	Supplies of Military Equipment to Pakistan . . .	2124
1883	प्रतिरक्षा दल की रूस यात्रा	Defence Teams Visit to U.S.S.R.	2125
1884	खान निरीक्षक	Inspectors of Mines . . .	2125–26
1885	सिलाई प्रतिष्ठानों के कार्यकर्ता	Workers in Tailoring Establishments	2126
1886	समाज तार सम्बन्ध (कोक्सिअल केबल लिंक)	Co-axial Cable Links . .	2126–27
1887	आकाशवाणी में "बृजभाषा"	"Brij Bhasha" on A.I.R. . .	2127–28
1888	रोडेशिया में लड़ने वाले अफ्रीकियों को सहायता	Help to Africans Fighting in Rhodesia	2128
1889	नेहरू स्मारक न्यास	Nehru Memorial Trusts . .	2128
1890	हमारे नियंत्रणाधीन क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा पानी छोड़ दिया जाना	Flooding of Area under our Control by Pak	2128–29
1891	स्मारक टिकट	Commemorative Stamps .	2129
1892	आकाशवाणी के हिन्दी अनुभाग	Hindi Sections of A.I.R. .	2129
1893	अखबारी कागज	Newsprint. . .	2130

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1894	वाराणसी छावनी बोर्ड क्षेत्र में चुंगी	Octori Duty in Cantonment Borad Area, Varanasi . . .	2130
1895	चीन द्वारा पकड़े गये भारतीय सैनिकों की वापसी	Return of Captured Indian Soldiers by China . . .	2131
1896	हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी (केरल)	Hindustan Construction Co. (Kerala)	2131
1897	सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी दूसरा प्रादेशिक सम्मेलन	Second Regional Conference on Social Security . . .	2131–32
1898	औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिये त्रिपक्षीय समिति	Tripartite Committee for Industrial Workers . . .	2132–33
1899	चीनी उद्योग सम्बन्धी दूसरा मजूरी बोर्ड	Second Wage Board for Sugar Industry	2133
1900	प्रथम एकता सम्मेलन	First Solidarity Conference. .	2133
1901	स्यालकोट अंचल में भारत द्वारा पाकिस्तानी विमान का गिराया जाना	Pak Aircraft Shot Down by India in Sialkot Sector . . .	2134
1902	आगरा के निकट विमान दुर्घटना	Air Accident near Agra .	2134
1903	फिल्म कलाकारों का कार्यक्रम	"A Date with Stars" Function .	2134–35
1904	स्वामी राम तीर्थ के डाक टिकट	Stamp on Swami Ram Tirth .	2135
1905	पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी	Firing by East Pak Rifles .	2135
1906	दिल्ली के निकट विमान दुर्घटना	Air Accident Near Delhi	2135–36
1907	पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन	Air space Violations by Pak .	2136
1908	अखिल भारतीय राष्ट्रीय राइफल संस्था को बन्दूकों का दिया जाना	Supply of guns at All India National Rifles Association . .	2136–37
1909	आयुध कारखानों में स्टेनोग्राफर	Stenographers in Ordance Factories	2137
1910	प्रतिरक्षा मंत्रालय के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में स्टेनोग्राफर	Stenographers in Attached and Subordinate offices of Defence Ministry	2137–38
1911	पुर्तगाल में चुनाव	Elections in Portugal . .	2138
1912	राजस्थान में दूसरी परमाणु भट्टी	Second Atomic Reactor in Rajasthan	2138
1913	अखबारी कागज की कमी	Shortage of Newsprint . .	2139
1915	"ढोल की पोल" कार्यक्रम	"DHOL KI POL" Programme .	2139
1916	आगरा जनरल पोस्ट आफिस में विस्फोट	Explosion in Agra General Post Office	2139–40
1917	भूमि के नीचे खानों में काम करने वाले मजदूरों को पुरस्कार	Prizes for Underground Mine Workers	2140
1917–क	बलोचिस्तान में बाज़ार निधियों के कर्मचारी जो अब भारत में सेवा करते हैं।	Employees of 'Bazar Funds' in Baluchistan now Serving in India	2141

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re : Motion for Adjournment (Query)	2141
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance—	
चीनी सैनिकों के थागला रिज के पार से अनाक्रमण—	Intrusion of Chinese troops across Thag La Ridge—	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta .	2142
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	2142–45
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	2145–46
वित्तीय समितियां—एक समीक्षा	Financial Committees—A Review	2146
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	2146
उड़ीसा सरकार के लेन-देन पर विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य—	Statement under Direction 115 re: Special Audit Report on Orissa Government Transactions—	
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo . . .	2147
श्री नन्दा	Shri Nanda . . .	2147–48
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Adivisory Committee—	
बयालीसवां प्रतिवेदन	Forty-Second Report .	2148
विधेयक-पुरःस्थापित—	Bills Introduced—	
(एक) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक	(i) Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Amendment Bill;	2148
(दो) दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक	(ii) Delhi High Court Bill	2149
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के बारे में	Re : Ordinance issued by Governor of U.P.	2149–50
(1) खाद्य स्थिति तथा (2) अनावृष्टि के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	Motions Re: (i) Food Situation (ii) and Situation arising out of Drought Conditions—	
श्री मोरे	Shri K. L. More . .	2150–51
श्री बालकृष्णन	Shri Balakrishanan . .	2151–52
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	1152–54
श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray .	2154–55
श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah . .	2155–56
श्री मुत्तु गोंडर	Shri Muthu Gounder .	2156–57
श्री लिंग रेड्डी	Shri Linga Reddy . .	2157
श्रीमती जमुना देवी	Shrimati Jamunadevi .	2158
श्री जी० भ० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani . .	2158–59
श्री दि० सिं० चौधरी	Shri D.S. Chaudhuri .	2159–60

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A.N. Vidyalankar .	2161
श्री कोया	Shri Mohammed Koya .	2161-62
श्री राजेश्वर पटेल	Shri Rajeshwar Patel .	2162-64
श्रीमती शकुन्तला देवी	Shrimati Shakuntala Devi	2164-65
श्रीमती मिनीमाता	Shrimati Minimata .	2165
श्री शिवमूर्ति स्वामी	Shri Sivamurthi Swamy .	2165-66
श्री जसवन्तराज मेहता	Shri J. R. Mehta . .	2166-67
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee.	2167-68
श्री हिम्मतसिंहजी	Shri Himmatsinhji . .	2168-69
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	2170
श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahedra Bai Rai	2170-71
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh . .	2175
श्री कृ० चं० पन्त	Shri K. C. Pant .	2176-77
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney . .	2177-78
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary . .	2178-78
श्री दे० शि० पाटिल	Shri D.S. Patil . .	2179
श्री स० ब० पाटिल	Shri S.B. Patil .	2179-80
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma .	2180-81
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	2181-82
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	2182
श्री मा० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav . .	2182
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai. .	2183
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . .	2183
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza .	2183-84
श्री विश्राम प्रसाद	Shri Vishram Prasad .	2184
पूर्व पाकिस्तान के हिन्दुओं के भारत आने पर प्रतिबन्ध के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-An-Hour Discussion re : Hindus in East Pakistan debarred from coming to India— .	
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	2171-72
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	2173-75

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 6 दिसम्बर, 1965/15 अग्रहायण, 1887 (शक)

Monday, December 6, 1965/Agrahayana 15, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *In the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रतिरक्षा तथा खाद्य स्थिति को मजबूत बनाना

***653-क. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा तथा खाद्य स्थिति को मजबूत बनाने तथा उस पर ध्यान केन्द्रीत करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या प्रक्रिया तथा वित्तीय नियमों में प्रभावी तथा शीघ्र क्रियान्विति के लिये उचित संशोधन किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री ललित सेन) : (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5305/65 ।**]

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय प्रधान मंत्री खाद्य की कमी के बारे में अधिकारियों द्वारा दिये गये परस्पर विरोधी व्यक्तव्यों से उत्पन्न सभ्रांति का स्पष्टीकरण करेंगे ? अविलम्बनीय कार्यक्रम को उचित ढंग से क्रियान्वित करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, या कार्य ऐसे ही चलता रहेगा ? माननीय खाद्य मंत्री कल ही इसे उचित ढंग से क्रियान्वित न होने की शिकायत कर रहे थे ।

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : दोष तथा कमियां होती हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि हर व्यवस्था पूर्ण है। खाद्य मंत्री ने भी यही कहा था। प्रयत्न यह करना है कि कमियां दूर की जायें। राज्य सरकारों को विशेष रूप से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिये ध्यान केन्द्रीत करने को कहा गया है। जिलाधिशों को खाद्य उत्पादन के कार्य को देखने के लिये विशेष रूप से कहा गया है। वास्तव में यह सुझाव दिया गया है कि वे अपना दैनिक कार्य अपने आधीन किसी अन्य अधिकारी को सौंप दें। यह कहना तो कठीन है कि इस के परिणाम क्या होंगें, परन्तु फिलहाल देहाती क्षेत्र में इस बारें में काफी उत्साह है। किसान भी अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न कर रहें हैं। जहांतक मेरी जानकारी है जिला प्रशासन भी अधिक सर्तक है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरे प्रश्न का पहला भाग यह था कि क्या माननीय प्रधान मंत्री खाद्य की कमी के बारे में परस्पर विरोधी व्यक्तव्यों से उत्पन्न सभ्रांति का स्पष्टीकरण करेंगें । कमी की मात्रा कितनी है ? कुछ लोग 30 लाख टन बताते हैं, जबकी दुसरों का अनुमान 50 लाख टन है । फिर मैंने अविलम्बनीय कार्यक्रम तथा उसकी क्रियान्विति के बारे में पूछा है ।

श्री लाल बहादूर शास्त्री : मेरे लिये यह बताना कठिन है कि वास्तव में कमी कितनी होगी । इस बारे में कुछ मतभेद है । यदि यह कमी 30 लाख या 40 लाख टन हुई तो भी बहुत ज्यादा है । अविलम्बनीय कार्यक्रम को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किया जा रहा है और वादविवाद का उत्तर देते समय खाद्य मंत्री इस बारे में बतायेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय प्रधान मंत्री को विदित है कि यदि हमें प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होना है तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास हमारे लिये आवश्यक है ? पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष को देखते हुए, विशेषतः प्रतिरक्षा की सहायतार्थ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास करने के लिये, सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : हम स्वयं इस तथ्य के प्रति जागरुक हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है । जैसा कि सदन को ज्ञात है कि 1963 में प्रतिरक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा असैनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सर्वेक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिये भाभा समिति का गठन किया गया था । उन्होंने 22 प्रतिवेदन पेश किये हैं और उन का अन्तिम प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकि इस महीने मिलने की सम्भावना है । उनकी अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर प्रतिरक्षा संस्थानों तथा गैरसरकारी संस्थानों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं । प्रतिरक्षा क्षेत्र में, जसा कि सदन को विदित है सब से बड़ा कारखाना भारत इलेक्ट्रानिकस् है । वहां 8 करोड़ रुपये से 9 करोड़ रुपये तक के मूल्य के संचार उपकरण बनाये जा रहे हैं । मिग कारखाने के सहायक उद्योग के रूप में हैदराबाद में भी हम एक इलेक्ट्रॉनिक कारखाने की स्थापना कर रहे हैं । उस इलेक्ट्रोनिक कारखाने में दूसरे उपकरण बनाये जायेंगे । लगभग आधा दर्जन कारखाने गैरसरकारी क्षेत्र में है । उन से पुर्जे तथा दूसरी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने को कहा जा रहा है । विभिन्न हवाई जहाज़ बनाने वाले तथा तत्संबंधी उद्योगों को, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक तथा राडार संस्थान, हैदराबाद, अणुशक्ति संस्थान, ट्राम्बे, तथा टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेन्टल रिसर्च) को दुर्लभ कच्चे माल पर कार्य करने को कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस दशा में कार्यवाही की जा रही है । प्रतिरक्षा सम्भरण नामक नये विभाग को इस उद्योग के विकास का कार्य सौंपा गया है ।

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री ने खाद्यान्न के बारे में की जा रही कार्यवाही के बारे में बताया और कहा कि मतभेद इस वर्ष खाद्यान्न की कमी की वास्तविक मात्रा के बारे में है । क्या उन का ध्यान खाद्य मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय की परस्पर विरोधी रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है ? क्या यह सच है कि अन्तर-मंत्रालय तथा अन्तरविभागीय इस प्रतिस्पर्धा के कारण ही देश में वास्तविक कमी का कम अनुमान लगाने की प्रवृति है । क्या उन्होंने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि खाद्यान्न की कमी को, जो इस वर्ष चिन्ताजनक सीमा तक पहुंच गई है, दूसरा मंत्रालय द्वारा इस आधार पर की यह केन्द्र से अधिक प्राप्ति का प्रयत्न है, घटा कर दिखाया जा रहा ?

श्री लाल बहादूर शास्त्री : मैं यह नहीं समझता कि केन्द्र से अधिक प्राप्ति के प्रयत्न में राज्य जान-बूझकर अपने आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी वर्तमान स्थिति पूर्णतः ज्ञात है । आयात की स्थिति भी आसान नहीं है । मेरे विचार मे इस समय आंकड़ों के बारे में कुछ मतभेद है, परन्तु कुछ समय में, शायद जल्दी ही, हमें वे आंकड़े प्राप्त हो जायगे, जो बहुत हद तक ठीक होंगे और कमी के वे आंकड़े विभिन्न मंत्रालयों सहित केन्द्र तथा राज्य को मान्य होंगे ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या सरकार ने 1966-67 में उर्वरक के आयात पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा के बारे में निर्णय कर लिया है ?

श्री लाल बहादूर शास्त्री : मामला अभी विचाराधीन है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने किसानों की अधिकतम सीमा को हटाने तथा कृषि सम्बन्धी साधन सामग्री को सुगमता से दिये जाने पर, कभी विचार किया है, क्यों यही इस समस्या का उत्तम तथा सरलतम हल है, जिसके बारे में सरकार चिन्तित है, और यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : अधिकतम सीमा निर्धारित करने की नीति का समय समय पर पुनर्विलोकन किया गया है, और अब यह निश्चय कर लिया है कि जो भी निर्णय किये जा चुके हैं, उन्हें शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाये। इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय होना चाहिए और कोई अनिश्चितता पैदा नही की जानी चाहिए।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : कब तक ? कितने वर्षों में ?

श्री नन्दा : एक या दो राज्य जिन्हें अभी इसे क्रियान्वित करना है, शीघ्र ही क्रियान्वित करेंगे। मैं नहीं समझता कि इस समस्या के कारण भविष्य में कोई कठिनाई उत्पन्न होगी।

श्री दी० चं० शर्मा : हाल ही में वैज्ञानिकों का एक दल हमारे अग्रिम मोर्चों पर गया था। उन्हें उस सम्बन्ध में क्या विशेष कार्य सौंपा गया था, क्या उन्हें प्रतिरक्षा उपकरणों के सम्बन्ध में कोई विशेष कार्य सोंपा जायेगा ? यदि हां, तो वे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : वास्तव में वैज्ञानिकों के उस दल का कार्यक्षेत्र सीमित था। जो कार्य उन्हें करना था, उस में से एक शस्त्रों के असर का तथा उन में पायी जाने वाली कमियों का अध्ययन करना था। इस का और कोई कार्य न था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रमुख प्रवक्ताओं कि इस शिकायत पर, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, कि उन्हें प्रतिरक्षा उत्पादन में उचित स्थान नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें केवल सहायक वस्तुओं तथा पुर्जे बनाने को कहा जाता है ? क्या सरकार प्रतिरक्षा उत्पादन में उन्हें अधिक स्थान देने की उनकी मांग पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, वे बहुत सी उन वस्तुओं को बना सकते हैं, जिन का हम आजकल आयात कर रहे हैं। वास्तव में हम ने प्रविधिज्ञों का एक दल विभिन्न उद्योगों में भेजा है, उद्योग-पतियों से बातचीत की है और उन्हें बहुत सी वे चीजें दिखाई हैं, जिन्हें वे बना सकते हैं। उन्हें सहायता दी जायगी तथा उन से सहायता और सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

Shri Kishen Pattnayak : Will the **Prime Minister** take firm steps to exempt the small cultivators and cultivators of backward area from land revenue and canal tax, keeping in view that agriculturists need more capital to step up their production?

Shri Lal Bahadur Shastri : It is not a Union subject. It is a State subject and they can consider it, if they so desire.

श्री प्र० चं० बरुआ : आसाम राज्य की अपनी हाल की यात्रा के दौरान माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि आसाम के सीमा राज्य को सारे देश की प्रतिरक्षा का कार्य करने के साथ साथ, देश का अन्न भंडार भी होना चाहिए। क्या उस राज्य को दौहरा कार्य करने के लिये कोई विशेष सहायता दी जायेगी।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : आसाम पहले ही अच्छी स्थिति में है। मैं नहीं समझता किसी अन्य राज्य को इस से अधिक प्राथमिकता दी जायेगी।

Shri Bade : The Statement reads :

"अधिप्राप्ति की नीति का पुनर्विलोकन किया गया है और राज्य सरकारों को वभिन्न कदम उठा कर अधिक से अधिक खाद्यान्न प्राप्त करने को कहा गया है।"

Whether they have issued instructions to various States for procuring food-grains by various measures *i. e.* by coercion also, whether foodgrain is available with them or not? Whether Government are aware that there is discontentment among the cultivators and the national integrity is at stake?

Shri Lal Bahadur Shastri : The policy of procurement is that only the surplus quantity with the agriculturists is procured, which he takes to the market for selling. There can be no coercion, which is against our policy.

+ **नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का स्मारक**

*654. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 20 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 729 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के सम्बन्ध में शाहनवाज़ खां समिति के प्रतिवेदन की उपपत्तियों तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, जापान में रेनकोजी मन्दिर में रखी हुई नेता जी की भस्म भारत लाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली के लाल किले के सामने उनका उपयुक्त स्मारक बनाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो नेताजी की स्मृति किस प्रकार सुरक्षित रखी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अभी यह विचार नहीं है।

(ख) और (ग) : निर्माण और आवास मंत्रालय आजकल सात राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों के रूप में दिल्ली में स्मारक बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस इनमें से एक हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि 1948 से इस सदन में नेता जी की भस्म को जापान से लाने के लिए मांगे होती रही हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अब भी इस पर विचार क्यों नहीं कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह बात स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने राज्य सभा में, वक्तव्य देते समय, मेरे विचार में 11 सितम्बर, 1956 को स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार के सदस्यों की भी सलाह ली जायगी और उपयुक्त समय पर भस्म को भारत लाया जायेगा। उनके मतानसार उस समय तक उपयुक्त समय नहीं आया था।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार को समाचार पत्रों में छपे इस वक्तव्य में कि शैलामारी आश्रम के बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस है, कोई संदेह है ? यदि यह वक्तव्य सही नहीं है, तो सरकार उसका खण्डन क्यों नहीं कर रही ?

श्री स्वर्ण सिंह : सरकार को पूर्णतः विदित है कि वह बाबा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस नहीं है। इसी को खण्डन समझ लीजिए ।

Shri M. L. Dvivedi : I think proposal to instal a full size statue of Netaji Subhas Chandra Bose in his memorium some where near Red fort is being considered by Government or the Municipal Corporation. May I know what would be Government's co-operation, in this regard, from where the statue would be brought and what would be the cost thereof?

Shri Swaran Singh : The Ministry of Works, Housing and Supply has constituted a Committee to consider the proposal and the proposal is under their consideration?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether Government will instal the said statue after proper enquiry of Shoulmari Ashram and making it sure that Shoulmari Sadhu is not Netaji, as is being reported by newspapers?

Mr. Speaker : The question has been answered.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Government should not allow such news to be published in the newspapers.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि शाहनवाज़ समिति ने टोम्पो में रनकोजी मन्दिर में एक कलश में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की तथाकथित अस्थियों का कोई ज़िक्र नहीं किया है और यदि हां, तो क्या सरकार स्पष्ट रूप से यह कह सकती है कि वह इन तथाकथित अस्थियों को बांस से नहीं छूएगी जब तक कि उसको इसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिल जाता ?

श्री स्वर्ण सिंह : शाहनवाज़ समिति के प्रतिवेदन को सभापटल पर रख दिया गया है और माननीय सदस्य उसको देख सकते हैं । प्रतिवेदन में एक जगह कहा गया है :

"यदि अस्थियों को सच्ची माना जाता है तो रनकोजी मन्दिर उनका अन्तिम स्थान नहीं हो सकता है । इन अस्थियों को समुचित आदर के साथ भारत शीघ्र लाया जाये ......

श्री हरि विष्णु कामत : यह 'यदि' बहुत बड़ी है ।

श्री स्वर्ण सिंह : ...... और उनके लिये किसी उपयुक्त स्थान पर स्मारक बनाया जाये ।"

श्री हरि विष्णु कामत : इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे सच्ची अस्थियां हैं ।

Shri Sheo Narain : What objection Government has in bringing over the ashes?

Mr. Speaker : Has he not heard? He has told the objection.

Shri Rameshwaranand : Is it not a wasteful expenditure on the statues of the leaders at a time when the country is passing through the crisis?

Shri Yashpal Singh : Are Government aware that there are persons who previously observed *Shradha* of Netaji but now the same very persons are creating confusion and saying that Netaji is alive, if so the action being taken by Government against them?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It has appeared in the newspapers.

Shri Swaran Singh : What can I reply to this. If anybody says let him say, what action can we take against him?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is constantly appearing in the newspapers.

Shri Swaran Singh : Government has satisfied itself in this matter.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Stop that. Such persons should be prosecuted.

Mr. Speaker : Order, Order.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या जापान से नेताजी की अस्थियों को मंगाने में सरकार को इसलिये हिचकिचाहट है कि कुछ लोगों का यह पक्का विश्वास है उन परिवार के सदस्यों का भी कि नेताजी अभी जिंदा हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री प्र० के० देव : पिछले अगस्त, जब मैं टोक्यों में रेनकोजी मन्दिर में था तो मैंने प्रमाण ढूंढ़ने का प्रयत्न किया कि वे अस्थियां नेताजी की थीं । वहां पर भारतीयों ने मुझे बताया कि हजरत बाल के बाल की तरह इस पर विश्वास करना पड़ेगा । अतः यह तो केवल विश्वास की बात है ; इसका कोई प्रमाण नहीं है । यह देखते हुए क्या सरकार निश्चित रूप से यह कह सकती है कि सब तरह के अनुमान लगाये जाने बन्द किये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया है ।

Shri Bagri : Will the Govt. try to stop such thing ?

श्री नाथ पाई : क्या सरकार के पास कोई जानकारी है कि नेताजी की तथाकथित अस्थियों को किसने, कब और किन परिस्थितियों में मन्दिर में रखा ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न पर जो भी जानकारी सरकार को मिल सकी है वह शाहनवाज़ समिति के प्रतिवेदन में दी गई है । इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री दाजी : यदि यह भी मान लिया जाये कि सरकार इसको केवल प्रचार समझती है, क्या सरकार यह जानती है कि इस प्रचार के द्वारा हजारों रुपया इकट्ठा किया गया है । कुछ लोग नेताजी के नाम पर धन बटोर रहे हैं । क्या सरकार अब भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि गलत बात कह कर धन इकट्ठा किया गया है तो निश्चय ही राज्य सरकार को उसपर कार्यवाही करनी चाहिये । मैं निश्चय ही राज्य सरकार द्वारा इसकी जांच कराउंगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : Have the Ministry of Defence received any memorandum from the public to the effect that in view of the requirements of

the country another National Defence Academy should be set up on the pattern of the Khadakwasala National Defence Academy, if so, the reaction of the Ministry of Defence thereon?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यहा मुझे याद नहीं है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय में ऐसा कोई ज्ञापन पत्र मिला हो, परन्तु इस समय कोई दूसरी एकेडेमी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri : In the name of Netaji?

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I object to the construction of this question.

Mr. Speaker : Let the Hon. Member put his question.

Shri Madhu Limaye : Kindly here me first.

Mr. Speaker : I cannot delete that.

Shri Madhu Limaye : A statement has been laid in this to the effect that Pakistani aircrafts deliberately shot down this plane. How can we call it accident. This will make Pakistanis case easy. Therefore the wordings of the question should be changed.

Mr. Speaker : Shri Prakash Vir Shastri.

Air Accident of late Shri B. G. Mehta

+

*655. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Vidya Charan Shukla :
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Kindar Lal :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some additional facts about the air accident of the late Chief Minister of Gujarat, Shri B. G. Mehta, have come to light;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Pakistan Government have expressed their regret to the Government of India over this accident?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri D. S. Raju) : (a) and (b). The Director of Air Safety, Civil Aviation Department, who investigated the accident, has come to the conclusion that the accident was due to the aircraft being fired upon in the air by hostile aircraft, and that during the subsequent attempt by the pilot to take evasive action, the aircraft contacted the ground at high speed on flat terrain, broke up and caught fire.

(c) The Government of Pakistan have not yet replied to our protest.

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact that the programme of the Flight of the late Chief Minister of Gujarat was not known even to his cabinet colleagues and yet this information passed to Pakistan, was it not that some Pakistani spies were operating there?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जो जांच की गई है उससे ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। उनके रडार में विमान को देख लिया होगा। यहि संभव हो सकता है।

Shri Prakash Vir Shastri : I wanted to know whether as a result of the enquiries made any indications have come out that the two Pakistani aircrafts which shot down Balwant Bhai's plane had first forced this plane of ours to move in Pakistani territory and when the pilot and Balwant Bhai himself refused to go into their territory, our plane was shot down?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रतिवेदन से यह चीज़ स्पष्ट है कि जहां पर विमान को मार गिराया गया है उससे पता चलता है कि विमान का पीछा किया गया था। हो सकता है पीछा और भी पहले आरम्भ किया गया हो। वह किस दिशा में गया इसका कोई प्रमाण नहीं है परन्तु यह निश्चित है कि कुछ देर तक विमान का पीछा किया गया।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether Government have decided to give some compensation to the bereaved families of the deceased employees and other companions on board with the late Chief Minister of Gujarat?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि गुजरात सरकार द्वारा प्रबन्ध किया गया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या गुजरात के स्वर्गीय प्रधान मंत्री की उड़ान के कार्यक्रम का वायु सेना अधिकारियो को पता था और क्या गुजरात सरकार द्वारा रक्षा के लिये कोई अनुरोध किया गया था। जब कि स्वर्गीय मुख्य मंत्री पाकिस्तान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के इतना निकट उड़ान करने जा रहे थे और यदि हां, तो क्या जांच में सरकार को इन बातों की सूचना दी गई है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस उड़ान की स्वीकृति देने से पूर्व उन्होंने वायु मुख्यालय से इस बारे में अनुमति ले ली थी और स्वीकृति अहमदाबाद से जामनगर के ऊपर से होते हुए सीधे मीतापुर के लिये थी। इसलिये जामनगर के ऊपर रक्षा का कुछ प्रबन्ध किया गया था। यदि विमान को जामनगर के ऊपर उड़ता हुआ पाया जाता तो उन्होंने सम्भवत: आवश्यक सावधानी बर्ती होती, परन्तु, दुर्भाग्य से उड़ान जामनगर के ऊपर से नहीं की गई। यह स्थिति है।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that Government did not make arrangement for that great leader's flight through the shorter route so that it could not have gone to Kutch area?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उड़ान केवल सवा घंटे के थी। यदि आप नकशा देखें तो पता लगेगा कि अहमदाबाद से मीतापुर को ठीक जामनगर के ऊपर से होकर जाना पड़ता है। यह आशा थी कि यदि इस बात का ख्याल रखा गया होता तो उन्होंने आवश्यक सावधानी बर्ती होती।

Shri Vishwanath Pandey : It appears that the Enquiry Committee has not submitted its full report. Do Government propose to appoint another enquiry Committee to get a full and detailed report?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न की गहराई को समझ नहीं सका हूं। यदि वह चाहते हैं कि हम और जांच करायें तो मैं इसकी कोई जरुरत नहीं समझता हूं। .... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री प्र० चं० बरुआ : जिस पाकिस्तानी विमान ने हमारे मुख्य मंत्री के विमान को मार गिराया वह किन परिस्थितियों में हमारे प्रदेश के ऊपर आ गया ? ...... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री यशवन्तराव चव्हाण : गुजरात के मुख्य मंत्री का विमान वहां से 2 बज कर 14 मिनट पर उड़ा । सवा घंटे के बाद इसके उतरने की आशा थी । परन्तु विमान कच्छ की खाड़ी के उत्तर की ओर गिराया हुआ पाया गया ।

श्री हरि विष्णु कामत : सीतापुर से काफी दूर ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वह सीधे सीतापुर नहीं गये । ऐसा प्रतीत होता है । हमारे पास जो तथ्य है हमें उनसे अनुमान लगाना पड़ता है । ऐसा लगता है कि इस ओर रडार ने हमारे विमान को देखा और पकिस्तान के विमान ने हमारे क्षेत्र में आ कर हमारे विमान को मार गिराया ।

भारतीय प्रदेश में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अत्याचार

+
***656. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने जिस भारतीय प्रदेश पर कबजा कर रखा है उसमें उन्होंने बहुत अत्याचार किए है तथा गांवों को जलाया है ; और

(ख) क्या यह बात संयुक्त राष्ट्र को बता दी गई है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां । पाकिस्तानियों द्वारा लूटमार, गांवों को आग लगाने, अबोध असैनिकों का उपहरण करने, फसलें काटने, रेल मार्ग उखाड़ने और अग्निकांडों तथा गुण्डागर्दी के अन्य कामों के मामले नोटिस में आए हैं ।

(ख) ऐसी घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों को युद्धविराम अतिलंघन की शिकायतें भेज दी गई हैं । यह घटनाएं संयुक्त राष्ट्रों के महासचिव के नोटिस में भी लाई गई हैं । संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों ने कुछ मामलों में पाकिस्तान के विरूद्ध फैसले दिए हैं । अन्य मामलों में वह किसी परिणाम पर पहुंचने में समर्थ नहीं हुए, और अन्य कई मामलों में उन्होंने बताया है कि शिकायतों की जांच हो रही है । महासचिव ने जो रिपोर्ट जारी की है उन में वह सभी युद्धविराम अतिलंघन की शिकायतें नहीं आ जातीं, जो हमने की हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के वक्तव्य लिये हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी अत्याचारों को देखा था और उन से बच निकले थे, और जो वक्तव्य पाकिस्तान के अत्याचारों का कठोरतम दोषारोपण बनेंगे और यदि हां, तो क्या सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध जन मत उत्पन्न करने के लिए इन वक्तव्यों के आधार पर कोई प्रकाशन निकाले तथा उसे परिचालित करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य ने प्रकाशन के बारे में अच्छा सुझाव दिया है । मेरा विचार है कि जब भी कोई शिकायत की जाती है, तो स्थानीय कमांडरों गवाही लेते हैं और वास्तव में इस गवाही के कुछ अंश प्रेक्षकों को भी पेश किये जाते हैं, जिसके आधार पर वे कुछ न कुछ निर्णय करते हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या इन अत्याचारों से होने वाले युद्ध नियमों के उल्लंघन के प्रश्न को उठाया गया है, यदि हां तो इस के क्या परिणाम निकले और यह प्रश्न कहां उठाया गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे इस की पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री प्र० चं० बरुआ : युध्दविराम के बाद पाकिस्तानी सेना ने कितने स्थानों पर अधिकार किया है, और क्या उन में से कोई स्थान वापिस तो लिया गया है, यदि नहीं तो उन स्थानों को वापिस लेने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : राजस्थान में जो स्थान उन्होंने लिए हैं, उस के बारे में, मैं इस सदन में वक्तव्य दे चुका हूं । यद्धविराम के बाद उन्होंने फाजिलका क्षेत्र में भी कुछ गांव पर अधिकार कर लिया है ।

Shri Onkar Lal Berwa : In the protest note sent to Pakistan, how much compensation has been claimed and what is the extent of loss of life and property caused by arson and other atrocities perpetrated by them?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री बूटा सिंह : युद्धविराम के बाद खेमकरण क्षेत्र तथा फाजिलका क्षेत्र में पाकिस्तान ने कितने गांव जलाये है और क्या इस की सूचना संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास वायु सीमा का उलंघन, भारतीय चौकियों पर गोलाबारी तथा शहरों और गांवों आदि जलाने के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी है, जो इस प्रकार है—राजस्थान तीन जगह, फाजिलका चार जगह, लाहौर 15 और छम्ब 21 ।

अध्यक्ष महोदय : वह खेमकरण में हुई घटनाओं की संख्या जानना चाहते हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्हों ने लगभग सारे खेमकरण को जला दिया ।

श्री बूटा सिंह : क्या इस की सूचना संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को दे दी गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें जो भी सूचना प्राप्त हुई है, उसे महासचिव तथा संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के पास भेज दिया गया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कितने मामले संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के ध्यान में लाये गये हैं, उन में से कितने मामलों में अपनी जांच के आधार पर उन्होंने पाकिस्तान को उल्लंघनों का जिम्मेदार ठहराया है और कितने मामले अभी संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के पास अनिर्णित पड़े हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को बहुत से मामलों के बारे में बताया गया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : लगभग कितने मामलों के बारे में बताया गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे अत्याचार के मामलों की वास्तविक संख्या की जानकारी नहीं है, परन्तु अभी तक बहुत थोड़े मामलों का निर्णय किया गया है ।

श्री हरिचन्द्र माथुर : नाम मात्र के युद्धविराम तथा संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की कोई प्रभावी कार्य करने की असमर्थता को देखते हुए, भारत सरकार अपने नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं और अनुभव के आधार पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया है कि इन घटनाओं को होते रहने से रोकने में ये प्रेक्षक बिल्कुल असमर्थ हैं। इनके रोकने में हमें अपनी शक्ति पर ही निर्भर रहना होगा।

श्री हरिचन्द्र माथुर : यह नहीं बताया गया कि इन हालात में हम अपने उत्तरदायित्व कैसे निभायेंगे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा है कि इस मामले में हमें अपनी शक्ति तथा अपने प्रबन्धों पर निर्भर रहना होगा जो कि भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होंगे परन्तु हम काफी शक्तिवान हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : हमें पाकिस्तान द्वारा नेपाम बम्बों के प्रयोग की खबरें मिली हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय विधी तथा परम्परा के हर नियम यह विरुद्ध बहुत घृणित कार्य है। क्या हम ने पहले लगाये गये इन आरोपों की पुष्टी कर ली है और क्या इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार के लिये रखा है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : युद्ध के दौरान हमारे नागरिकों तथा सैनिक संस्थानों को तहस नहस करने के लिये उन्होंने नेपाम बम्बों का प्रयोग किया।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय यह जानना चाहते हैं कि क्या हम ने इस मामले पर विचार किया है और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा न्यायाधिकरणों को इस सम्बन्ध में सूचित किया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : वास्तव में मेरा प्रश्न था कि कारण चाहे कुछ भी हो, इस विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं की गई। यह एक ऐसा मामला है जिसको हर अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के सामने रखा जाना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक इसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के नोटिस में लाने तथा प्रचार करने का सम्बन्ध है, इसका प्रचार किया गया है। जहां तक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्बन्ध है, केवल वे ही मामले जिनका युद्धविराम उल्लंघनों से सम्बन्ध होता है, उन के ध्यान में लाये जाते हैं।

श्री नाथ पाई : मेरे मित्र, श्री कपूर सिंह व्दारा उठाई गयी आध घण्टे की चर्चा के दौरान प्रतिरक्षा मंत्री ने इस चिन्ताजनक खबर की कि पाकिस्तानी सैनिक 80 सिख लड़कियों को उठा ले गये, पुष्टी की थी। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया था कि वह मामले पर गौर करेंगे और जो भी जानकारी उन्हें प्राप्त होगी, उससे सदन को सूचित करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन अभागी लड़कियों के बारे में कोई और सूचना प्राप्त हुई है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस विषय पर एक दूसरा तारांकित प्रश्न भी है, परन्तु यह अच्छा होगा कि मैं जानकारी अभी दे दूं, क्योंकि पता नहीं हम उस प्रश्न तक पहुंच पायें या न पहुंच पायें। जांच की जा रही है और हमें विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा करनी होगी। कराची स्थित हमारे प्रतिनिधियोंसे सूचना प्राप्त हुई है कि उन 51 व्यक्तियों में से 30 व्यक्ति कराची में एक कैम्प में रखे गये हैं। उन के नाम आदि की जांच की जा रही है। जब भी मुझे पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, मैं अवश्य सदन को सूचित करूंगा।

Shri Bade : It has been asked in part (a) of the question that Pakistani troops have perpetrated atrocities in the Indian territory. May I know whether it is not a fact that twelve thousand Soda Rajputs of Rajasthan living in border areas have fled away as a result of Pakistani attack after cease fire and whether Government are also aware that Pakistanis have looted their property, abducted their women folk and converted them?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे सही संख्या की जानकारी नहीं है। इस बारे में मुझे पूर्वसूचना चाहिए। यह ठीक है कि सीमा की दूसरी ओर से बहुत से राजपूत हमारी ओर आये हैं और हमारा सामान्य अनुभव है कि सीमा के उस पार रहने वाले उनकी सम्पत्ति छीन लेते हैं। इस बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है।

Shri Bade : Their property has been snatched away and their women folk have been abducted and converted.

May I know whether Government have got any information and figures in this regard?

Has the Govt. any information about how much property, how many women were taken away by them and how many people were converted ?

Mr. Speaker : They have got no figures, but have they got any information ?

श्री हरि विष्णु कामत : उनका प्रश्न बलात् कार्य परिवर्तन से है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा है कि हमें सूचना प्राप्त हुई है कि सीमा के उस पार रहने वाले कुछ व्यक्तियों को हमारी ओर आने को बाधित होना पड़ा। बलात् कार्य परिवर्तन की जानकारी के लिये मझे पूर्वसूचना चाहिये।

Shri Gulshan : May I know whether Government have made an attempt to obtain the information that any sikh Gurdwara or Mandir has also been burnt in the villages, which have been burnt in Khem Karan, Fazilka and Rajasthan ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्रीमन्, विस्तृत जानकारी के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये, क्योंकि इन में से अधिकतर स्थान सीमा के उस पार वालों के अधिकार में है। यह संभव है और मेरा यह अनुमान है कि जब वे मकानों को जला रहे हैं, तो गुरुद्वारों या मंदिरों को जलाने में उन्हें कोई हिचकिचाहट न होगी।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : इस बात को देखते हुये की पाकिस्तानने न केवल युद्ध नियमों का उल्लंघन किया है, बल्कि जानबूझकर ऐसे अत्याचार किये हैं जो जनबध तुल्य है, क्या सरकार ने कभी इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। मुख्य प्रश्न के उत्तर में ही इन अत्याचारों तथा इस बारे में उठाये गये कदमों का उल्लेख हैं।

Shri Rameshwaranand : Even after such fierce fighting with Pakistan, their forces are burning our towns and launching attacks on us. May I know what our forces are doing? Are they doing nothing? Mr. Speaker I must get an answer to my question.

Mr. Speaker : It will certainly be answered. The questions asked by hon. Member should be answered.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य को हमारी सेना के कार्य के बारे में कुछ गलतफहमी है। या तो उन्होंने इसे बिल्कुल गलत समझा है या उन्होंने क्या घटनाएं हो रही इस बारे में जानने का बिल्कुल प्रयत्न नहीं किया है।

Shri Rameshwaranand : Am I wrong? You are telling that we are wrong, while you are yourself wrong. Cases of arson, looting and abducting of women are happening and when these are brought to your notice, you say, it is wrong statement.

श्री कपूर सिंह : इन अभागी सिख लड़कियों के अपहरण के बारे में क्या प्रतिरक्षा मंत्री को ज्ञात है कि 15 अक्तूबर, 1965 को एक भूतपूर्व एम०एल०ए० सरदार बखतावार सिंह ने पंजाब के मुख्य मंत्री कामरेड रामकिशन को रिपोर्ट दी थी और उसमें उन लड़कियों के नाम तथा संख्या भी बताई थी तथा उस ही दिन के पाक्षिक पत्र में जिसका वह सम्पादन करते है इसका उल्लेख किया था और यदि मैं उन्हें लिखित प्रमाण दूं तो क्या वह कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्वाभाविक है कि इस बारे में मुझे पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना पर निर्भर रहना होगा। जैसा कि मैंने कहा है, इस विशेष मामलों में, इस सदन के लिये दिये गये अपने आश्वासन के अनुसरण में, मैंने स्वयं पंजाब के मुख्य मंत्री को जांच करने के लिये लिखा है। जांच के उपरान्त मुझे उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा तो करनी ही होगी।

श्री कपूर सिंह : इस आश्वासन में यह वचन भी दिया गया था कि उन लोगों को विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिन्होंने इस मामले में जानबूझ कर देरी की है।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर ही वह इस विषय पर विचार करेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार ने कुछ युद्धबन्दियों के साथ पाकिस्तान में किये जा रहे अमानवीय बर्ताव पर ध्यान दिया है; यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या उसने हमारे यहां युद्ध बन्दियों के साथ किये जा रहे अच्छे बर्ताव से उसकी तुलना की है? उदाहरणार्थ मैं कथवा के एक शिविर में गया था। क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही कर रही है कि जो युद्ध बन्दी हमारे देश से पाकिस्तान ले जाये जायें उनके साथ और भी मानवीय बर्ताव किया जाये तथा उनका अधिक ध्यान रखा जाये?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में कि वहां कितने आदमी हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, और उन्हें कहां रखा गया है, आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये हम अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास संस्था की सहायता ले रहे हैं। यह जानकारी, स्वभावतः हम उनके द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे है, परन्तु अब तक बहुत थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई है।

Shri Bade : I would like to say that such atrocities are being perpetrated there, women have been abducted and 12,000 *Soda Rajputs* have been kidnapped and converted.

आकाशवाणी की संसद् समीक्षा (टुडे इन पार्लियामेंट) कार्यक्रम (फीचर)

+

***658. श्री कपूर सिंह :**	**श्री प्र० के० देव :**
श्री सोलंकी :	**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्या ध्यान आकाशवाणी के संसद समीक्षा (टुडे इन पार्लियामेंट) कार्यक्रम (फीचर) के बारे में 11 सितम्बर, 1965 के "मार्च आफ दी नेशन" साप्ताहिक में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस समाचार में निहित आलोचना को स्वीकार नहीं करती। संसद की कारवाई पर आकाशवाणी से जो प्रसारण होता है उसमें सभी दलों के सदस्यों की बातों और राय को उचित और निष्पक्ष ढंग से स्थान किया जाता है।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि सरकार ने संसद सदस्यों के भाषणों के वर्गीकरण के लिये तीन आधार बनाये हुए हैं--कांग्रेस समर्थक, हिन्दू सैन्यवाद और हुलड़बाजी--यदि हां, तो क्या सरकार के विचार में इस सभा के योग्य सदस्यों के प्रति यह अनुचित नहीं है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए क्या मैं यह बता सकता हूं कि यह प्रसारण श्री जी० एस० भार्गव ने किया है जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है और न ही वह सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्ध रखते है। परन्तु वह एक स्वतंत्र पत्रकार है और फ्रांकेस एजेन्सी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : सरदार कपूर सिंह के भाषण को सदा अधिक महत्व दिया जाता है।

श्री कपूर सिंह : सरकार की इस प्रेस रिपोर्ट पर, कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों को महा-निदेशक के पद पर नियुक्त करना चाहता है, क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मेरा विचार नहीं कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would like to know whether any news was televised wherein a correspondent of the Engish daily has said that walk-out of the Indian delegation from the Security Council as a protest to Shri Bhutto's speach was unjustified?

Mr. Speaker : We have not yet reached the television stage.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it was said there?

Mr. Speaker : It might have been said there but we are still at radio.

श्री बालकृष्णन : कितने स्टेशनों से और कितनी भाषाओं में संसद समीक्षा का प्रसारण किया जाता है .... **(अंतर्बाधा)**

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मुझे इस प्रश्न के लिये सूचना चाहिये परन्तु इस समीक्षा का प्रत्येक दिवस प्रसारण किया जाता है .... **(अंतर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि श्री कछवाय का प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है फिर भी, कुछ सदस्य महसूस करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये परन्तु मैं इस की आज्ञा नहीं दे रहा हूं...... **(अंतर्बाधा)**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would like to know whether it is a fact that a prominent correspondent of Engish daily has televised a news that it was unjustified and a mistake that our Minister has walked out from the Security Council as a protest to Mr. Butto's speech. Whether this is not anti-Indian?

Mr. Speaker : The correspondent has said that he did a bad thing.......'.

Shri Prakash Vir Shashtri : The hon. member intends to say whether such thing should be televised that the Indian External Affairs Minister should not have walked out from the Security Council. It is insulting to us that such things are televised from India.

The Minister of Information & Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : It has already been discussed in the House. This question has already been answered. There were two different opinions about this but the third, which was moderate, was kept before public. The over-all effect of this was not that walk-out was not a good thing.

Shri Prakash Vir Shashtri : No body has asked about the effect.

+ पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग

***659. श्री प्र० के० देव :**
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दे० द० पुरी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री चं० का० भट्टाचार्य :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान में अपने उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या कम करने के बारे में विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का आकार पहले कम कर दिया है।

(ख) अब तक 120 कर्मचारी अपने परिवारों समेत भारत भेजे गए हैं।

श्री प्र० के० देव : क्या पूर्वी पाकिस्तान से भी ये लोग आये है ?

श्री स्वर्ण सिंह : ये सभी 120 अधिकारी कराची से आये हैं। पूर्वी पाकिस्तान से भी कर्मचारी वर्ग के कुछ सदस्यों को वापस बुलाये जाने का प्रस्ताव है, परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है इस प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री प्र० के० देव : क्या पाकिस्तानी अधिकारी भी भारत से वापस पाकिस्तान गये हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी, हां। पाकिस्तान उच्चायुक्त के सदस्य भी वापस गये हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार किया है कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त में सदस्यों की संख्या को कम करना भारत के हित में हैं ; यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : सभी सम्बन्धित बातों पर विचार किया गया था। प्रधान मंत्री ने इस सभा में एक भाषण दिया था जिसमें सभी बातें बताई थी कि किन कारणों हमें कराची से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाना पड़ा है और वहां कर्मचारीवर्ग के सदस्यों को कम करना पड़ा है। इस सभा को यह बात मालूम होगी कि पाकिस्तान ने हमारे उच्चायुक्त के सदस्यों के साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया था और हमने विरोध पत्र भी भेजा था जिसको पाकिस्तान ने रद्द कर दिया था। हमारे पास इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं था कि हम कड़ा विरोध करते और पाकिस्तान को क्षमा मांगने को कहते और इस आश्वासन के लिये कहते कि हमारे उच्चायुक्त आम राजनैतिक विशेषाधिकार उपलब्ध किये जाये और जब ऐसा आश्वासन नहीं मिला तो इस के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था कि हम अपने उच्चायुक्त को ही वापस बुला लें।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक लम्बा उत्तर दिया है। मैं उससे संतुष्ट हूं।

श्री कपूर सिंह : लम्बे उत्तर का यह अर्थ नहीं कि प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, यह अधिकतर प्रश्न को टालने के लिये होता है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मुझे विश्वास है कि प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I would like to know that how many persons are still there and when they are proposed to be repatriated?

Shri Swaran Singh : At present there is no proposal to repatriate all the members. About 120 people have already come back. I think 110 persons are still there.

श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों को और समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए समाचारों को देखते हुए कि कराची में भारतीय कर्मचारी वर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है और कि उनको राजनैतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टता भी नहीं दिखाई गई है क्या मैं जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री ताशकन्त में प्रधान अयूब के साथ होने वाली बैठक में यह प्रश्न उठायेंगे कि यदि भविष्य में भारतीय उच्चायुक्त के कर्मचारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया तो हो सकता है कि हमें न केवल वहां अपने कर्मचारी वर्ग की संख्या को ही कम करना पड़े अपितु वहां कराची में अपने उच्चायुक्त को बन्द करने के प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : मैं इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। परन्तु मान लो कि यदि वह एक दूसरा प्रस्ताव रखते हैं कि हमें आपस में राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित कर लेने चाहिय और हम दोनों को फिर से उच्चायुक्त को वहां भेजना चाहिये। यदि वह ऐसा प्रस्ताव करते हैं तो हमें इस संदर्भ में सब बातों पर विचार करना पड़ेगा।

श्री नाथ पाई : क्या आप कोई आश्वासन लेंगे या नहीं? राजनैतिक सम्बन्ध फिर से स्थापित करने का क्या लाभ है? मान लो कि यह प्रश्न उठता है तो क्या आप आश्वासन लेंगे या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक काल्पनिक प्रश्न है।

श्री नाथ पाई : यह औपकाल्पनिक प्रश्न नहीं है ऐसा होना स्वाभाविक है .....

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री इस समय यह कैसे बता सकते हैं कि किस समय क्या प्रश्न उत्पन्न होगा और उसका उत्तर क्या होगा? श्री दी० चं० शर्मा।

श्री नाथ पाई : यह मूल प्रश्न था ।

श्री दी० चं० शर्मा : विदेश कार्य मन्त्रालय द्वारा यह बताया गया है कि 120 व्यक्ति वापस आये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि दूसरे 110 व्यक्तियों ने इस संसार में या पिछले जन्म में क्या पाप किया है जो उन को वहां ऐसे अमानवीय व्यवहार जिस का उदाहरण किसी देश के इतिहास में नहीं मिलता, के लिये पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है और कि सरकार इस बात के लिये क्या कर रही है कि उन लोगों को वहां पर किसी प्रकार परेशानी न हो और कि उन के जीवन को भय न हो ?

श्री कपूर सिंह : व्याकरण की दृष्टि से अंग्रेजी गलत है ।

श्री स्वर्ण सिंह : इस में पाप का कोई प्रश्न नहीं है ......

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां यह जानने के लिये नहीं हूं कि यह अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से ठीक है या नहीं। परन्तु इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि पिछले जन्म में उन्होंने कोई गलती या पाप किया था या नहीं ।

श्री स्वर्ण सिंह : युद्ध-विराम के बाद **(अन्तर्बाधा)**

श्री दी० चं० शर्मा : मेरा विचार है कि आप को उन्हें ऐसा अवलोकन करने से रोकना चाहिये। मैं जानता हूं कि वह कितनी अंग्रेजी जानते हैं और यह भी जानता हूं कि वह क्या है ।

अध्यक्ष महोदय : आप को और आगे कुछ नहीं कहना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इन बातों में न पड़े कि अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से ठीक है या नहीं। मैंने कई बार कहा है कि मैं यहां इसलिये नहीं .... **(अन्तर्बाधा)**

श्री दी० चं० शर्मा : मैं किसी भी पेरा से विवाचन लेने को तैयार हूं जो इन को 5 मिनट के लिये अंग्रेजी बोलने को कहे यह भद्र पंजाबी लहजे में अंग्रेजी बोलते है .... **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। आप इस प्रतिवाद को क्यों जारी रखे हैं। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ुंगा कि अंग्रेजी ठीक है या गलत। सदस्यों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिये। इस वाद प्रतिवाद को कहीं समाप्त होना चाहिये । **(अन्तर्बाधा)** मैंने अगले सदस्य को बुलाया है।

श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ढाका में भारतीय उप-उच्चायोग के कर्मचारियों को उचित ध्यान दिया गया है और क्या कलकत्ता में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी किसी प्रबन्ध के अधीन वापस पाकिस्तान जा रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम ने कलकत्ता में पाकिस्तान उप-उच्चायोग के कर्मचारियों को वापस बुलाये जाने के लिये नहीं कहा है और न ही पाकिस्तान ने हमें अपने कर्मचारियों को वहां से बुलाने के लिये कहा है। यह एक कार्यवाही है जो दोनों ओर की सरकारों ने की है। दोनों सरकारों ने कर्मचारियों को कुछ लोगों को वापस बुलाया हैं। ढाका में हालात कुछ कठीन अवश्य थे परन्तु बुरे नहीं थे, परन्तु फिर भी कर्मचारियों को कम करने का प्रस्ताव है ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विदेश कार्य मंत्री से जानना चाहता जो लगभग 100 व्यक्ति वहां पर रह गये हैं उन की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और क्या कोई आश्वासन मिला है कि उन को पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : झगड़े के समय जो परेशानी उच्चायोग के सदस्यों को उठानी पड़ी थी उस में युद्धविराम के बाद पर्याप्त कमी हो गई है और इस समय उन के जीवन को अधिक भय नहीं है।

Shri Parkash Vir Shastri : As the Minister of External Affairs has just now stated that unless apology for the ill-treatment which she has given to the staff of the Indian High Commission, we have got no intention to restore the normal diplomatic relaticns, I would like to know how long this deadlock will continue and when a final decision will be taken either side.

Shri Swaran Singh : It is very difficult to answer this question at this moment.

Shri Buta Singh : Keeping in view the ill-treatment meted out to our staff of the High Commission, I would like to know whether Prime Minister has discussed this matter with friendly countries that they will look after our interest in Pakistan if we are forced to close our High Commission there?

Shri Swaran Singh : At present there is no need of seeking any body's help because a large number of the members our of staff are still working there. Help is sought only when there is a complete breakdown in the diplomatic relations.

Shri Bade : You have stated that large number of the members of the Indian High Commission have been called back 125 are till there. May I know the number of Indian citizens who are still there?

Shri Swaran Singh : I want a separate notice for the question.

श्री सिकरे : क्या सरकार का ध्यान इस प्रोपेगण्डा की ओर गया है जो पाकिस्तान ने आरम्भ कर रखा है कि भारत में पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है और सरकार ने इस बात को विश्व को बताने के लिये, कि पाकिस्तान यह प्रोपेगण्डा बिल्कुल निराधार कर रहा है और कि उस ने जो भारतीयों से दुर्व्यवहार किया है उस को छिपाने के लिये यह प्रोपेगण्डा पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, क्या कदम उठाये हैं?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कहते है कि पाकिस्तान ने यह झूठा प्रोपेगण्डा किया है परन्तु इस पर कोई देश विश्वास करने वाला नहीं और हम ने सभी देशो को वास्तविक तथ्यों से जानकारी करा दी है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षन नोटिस को लेते है। श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री कपूर सिंह : इस से पूर्व कि आप कोई प्रश्न उठायें मैं प्रार्थना करना चाहता है कि आपने इस सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में जो निदेश दिया है वह इस सभा के सभी सदस्यों को मानना अनिवार्य है। आपने अभी बताया है कि माननीय सदस्य द्वारा बोली गई भाषा के बारे में भविष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। दो प्रकार के हस्तक्षेप होते हैं। एक हस्तक्षेप भाषा की सुन्दरता को बनाये रखने के लिये होता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस प्रकार का हस्तक्षप आवश्यक नहीं है और इस की आप आज्ञा न दें। परन्तु इस बात पर भी हस्तक्षेप हो सकता है कि जो वाक्य अभी इस सभा में बोला गया है उस के दो अर्थ हो सकते हैं क्यों कि वह व्याकरण के हिसाब से ठीक नहीं है। इस मामले में, मेरा विचार है, कि हस्तक्षेप की न केवल आज्ञा होनी चाहिये परन्तु उस का स्वागत होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का फैसला करना मंत्री का काम है। यदि (**अंतर्बाधाएं**) जो वाक्य बोला गया है उस के अर्थ के बारे में उन को कोई सन्देह है तो वह बता सकते हैं कि इस वाक्य के दो अर्थ निकलते है और कि सदस्य किस का उत्तर चाहते हैं। यदि मंत्री इससे अवगत नहीं हैं . . . . . (**अन्तर्बाधाएं**) प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अमरीका को प्रतिरक्षा दल

*657. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका को भेजा गया प्रतिरक्षा विशेषज्ञों का दल अब भारत लौट आया है ;

(ख) यदि हां, तो इनके दौरे का क्या परिणाम रहा ;

(ग) क्या अमरीका ने कुछ निश्चित आश्वासन दिए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे आश्वासन क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (घ) : भूतपूर्व श्री एस० जे० शहानी डी० जी० ओ० एफ० ने यू० एस० सैनिक ऋण-विक्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुध कारखानो के लिये संयन्त्र तथा मशीनों की प्राप्ति के संबंध में यू० एस० अधिकरणों से बातचीत करने के लिए जून/जुलाई 1965 में यू० एस० ए० का भ्रमण किया था। इस बातचीत के दौरान में संयन्त्र तथा मशीनों की सप्लाई के लिए प्रबंधों को अन्तिम रूपरेखा दी गई थी। तदपि यह कार्यक्रम यू० एस० सरकार द्वारा सितम्बर 1965 से स्थगित कर दिया गया है।

कराची में भारतीय उच्चायोग

*660. **श्री सोलंकी :**
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री यशपाल सिंह :
श्री काजरोलकर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दे० द० पुरी :
श्री रा० बरूआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान कराची में भारतीय उच्चायोग के हितों की देख-भाल करने के लिये कुछ पश्चिमी देशों से अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि संबंधित देश भारत का यह काम नहीं कर सके ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

खान अब्दुल गफ्फार खां

*661. श्री हेडा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री दे० द० पुरी :
श्री रा० बरूआ :
श्री बृजराज सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 30 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान अब्दुल गफ्फार खां ने भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत आने के लिये दिये गये निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन्कार करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) उचित अवसर आने पर खान अब्दुल गफ्फार खां भारत आने को सहमत हो गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वियतनाम संघर्ष

*662. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री रा० बरूआ :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वियतनाम संघर्ष को समाप्त करने के लिये कोई पहल की है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने ऐसे मित्र देशों के साथ संपर्क बनाए रखा है जो वियतनाम की स्थिति से संबद्ध है। वियतनाम की स्थिति बराबर गंभीर बनी हुई है।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां को अफगानिस्तान के शाह का कथित संदेश

*663. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस संदेश की कोई सरकारी अथवा अन्य पुष्टि प्राप्त हो गई है जिसका उल्लेख पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा में किया था कि अफगानिस्तान के शाह ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां को संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने वर्तमान संघर्ष में भारत के विरूद्ध पाकिस्तान का समर्थन करने का आश्वासन दिया था ; और

(ख) इस संबंध में सरकार की ठीक-ठीक सूचना क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : अफगान विदेश कार्यालय के डाइरेक्टर जनरल ने काबुल में भारतीय राजदूत को यह आश्वासन दिया है कि महामहिम शाह अफगान ने लिखित अथवा मौखिक, किसी भी रूप में, पाकिस्तान को यह आश्वासन नहीं दिया था कि अफगानिस्तान भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडटों के भोजन में विष

***664. श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० प्र० यादव :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के वार्षिक शिविर में 600 कैडेटों के लिए तैयार किये गये भोजन में विष मिलाने का प्रयास किया गया था ;

(ख) न्याय-वैधिक विज्ञान (फोरेन्सिक) प्रयोगशाला द्वारा भोजन की जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) ऐसा प्रयास करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) कथित दोषी से पकड़े गए पौडर की पुड़ियों में तथा एन० सी० सी० छात्रों के लिए तैयार किए गए खाने की कुछ मदों में वैधिक प्रयोगशाला पटना द्वारा कनेर पाई गई थी, जो एक तेज़ विष है।

(ग) कथित दोषी इस समय पुलिस की हिरासत में है और उसके विरूद्ध स्थानिय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाने वाला है।

National Defence Fund

***665. Shri Rameshwaranand :** Will the **Prime Minister** be pleased to state ;

(a) whether the cash and gold contributed by the public towards the National Defence Fund at the time of the Sino-Indian conflict in 1962 has been fully credited to the Fund;

(b) whether it is a fact that some gold handed over to some Ministers in the States has not been properly accounted for;

(c) whether it is also a fact that unauthorised persons have misappropriated the public donations; and

(d) if so, the steps taken to prevent such misappropriations?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) The State Governments who are primarily responsible for organising collections for the National Defence Fund have been requested to make arrangements for the audit of the accounts relating to these collections. Their final reports are still awaited.

(b) Government have no information to this effect.

(c) and (d). When the National Defence Fund was set up in 1962, arrangements were made for the contributions to be received by certain specified banks and all post offices. The State Governments were also authorised to nominate other suitable agencies for undertaking collections. These instructions were reiterated recently through a press note and the members of the public were advised not to give any contributions to any unauthorised persons. In spite of this, the possibility of certain unauthorised persons having made some collections cannot be completely ruled out. All specific complaints brought to Government's notice are enquired into by the State Governments.

उच्चाधिकार प्राप्त समिति

*666. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किन्दर लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही गृह-कार्य मंत्री के सभापतित्व में, हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने का समान फार्मूला बनाने के लिये एक उच्चाधिकारयुक्त समिति दिल्ली में बनाई गई है ;

(ख) यदि हां तो समिति के निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) समिति के सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक पेश करने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : (क) से (ग) : इस प्रकार की किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। फिर भी, इस प्रश्न पर हाल ही में गृह मंत्री तथा पुनर्वास मंत्री ने पंजाब राजस्थान तथा जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श किया और सभी इस बात से सहमत थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के संघर्ष में उन राज्यों के पीड़ित व्यक्तियों की राहत तथा उनके पुनर्वास में सहायता देने के लिए एक सी नीति अपनाना उचित होगा। तदनुसार सहायता के प्रस्तावों को एक रूपता दी जा रही है।

Border Violations by Pakistan

*667. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 95 on the 8th November, 1965 and state :

(a) whether any such statement wherein Pakistan has been held guilty exclusively has been made by the U. N. Observers and U. N. Secretary-General in connection with the reports lodged with them regarding 965 violations of border by Pakistan upto the 3rd November, 1965; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing some of the adverse findings of U. N. Observers against Pakistan is placed on the table of the House. [**Placed in the Library. See No. LT. 5306/65.**]

झूठे प्रचार के बारे में पाकिस्तान को विरोध पत्र

***668. श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया गया है कि वह झुठा प्रचार न करे तथा भारत के बारे में झूठी प्रचार सामग्री प्रकाशित न करे ; और

(ख) यदि हां, तो यदि कोई उत्तर मिला है तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) हमारी सरकार भारत से संबद्ध ऐसे झूठे प्रचार और आरोपों के विरूद्ध पाकिस्तानी अधिकारियों से अक्सर विरोध प्रकट करती रही है जो पाकिस्तानी अधिकारियों और पाकिस्तानी प्रचार के माध्यम के द्वारा प्रसारित लिए जाते हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे भारत के बारे में झूठी खबरें देने वाली प्रचार सामग्री वितरित न किया करें।

(ख) पाकिस्तानी अधिकारियों ने हमारे कुछ विरोध-पत्रों का उत्तर दिया है जिनमें हमेशा की तरह यह कहा है कि हमारी आपत्तियां निराधार है। आमतौर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है।

स्थल सेना में डाक्टरों और नर्सों की कमी

***669. श्री राजेश्वर पटेल :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री रा० बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान स्थल सेना में प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टरों और नर्सों की कमी अनुभव हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सेना में डाक्टरों और नर्सों की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) आपात काल में सेना की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार डाक्टरों और नर्सों की संख्या बढ़ाने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, जहां तक सैनिक चिकित्सा कोर और सैनिक नर्सिंग सेवा का संबंध है। सैनिक दन्तोपचार कोर में कोई कमी नहीं है।

(ख) जी, हां ।

(ग) सैनिक चिकित्सा कोर और नर्सिंग सेवा में अधिकृत डाक्टरों की सम्पूर्ति के लिये किए गए उपाय इस प्रकार है :—

सैनिक चिकित्सा कोर :

(1) सक्रिय सेवा के लिए रिजर्व अफसर पुनः बुलाए गए हैं।

(2) ए० एम० सी० अफसरों की साधारण ढंग से भर्ती के अतिरिक्त, आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् से राज्य सरकारों के डाक्टरों की उपनियुक्ति की एक योजना पुरस्थापित की गई है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों को कहा गया है कि वह उपनियुक्ति की शर्तों पर सशस्त्र सेनाओं में और अधिक राज्य डाक्टरों को भेजने में सहायता करें।

(3) उदार शर्तों पर आपाती कमीशनें प्रदान करने की योजना पुरःस्थापित की गई है।

(4) सशस्त्र सेनाओं में जाने को इच्छुक उम्मीदवारों की असुविधा दूर करने के लिये चयन बोर्डों को विकेन्द्रित कर दिया गया है, जिससे राज्यों के चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और स्थानिय सैनिक प्रतिनिधि उम्मीदवारों का चुनाव कर सकें, और सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सा सेवाओं के मुख्य निदेशक नियुक्ति पत्र भेजने के लिये सिफारिशें भेज सकें।

(5) एम० बी० बी० एस० के अन्तिम वर्षीय छात्रों को (प्रोबेशन पर) अल्पकालीन नियमित कमीशनें प्रदान की जा रही हैं। अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् उनका 5 वर्षों के लिए सशस्त्र सेनाओं में सर्व करना आवश्यक है।

(6) स्वेच्छा से ए० एन० सी० में शामिल होने वाले चिकित्सा अधिकारियों को अपने राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं।

सैनिक नर्सिंग सेवा :

(1) केन्द्रीय तथा राज्यों का चिकित्सा सेवा की स्थायी और अस्थायी नर्सों की पुनर्नियुक्ति की एक योजना पुरःस्थापित की गई है।

(2) आपात स्थिति की घोषणा से पहले अस्थायी नर्सिंग अफसरों की भर्ती केवल समय समय पर की जाती थी, परन्तु अब बिना रूके होती है।

(3) एम० एन० एस० में नियुक्ति शर्तों में एक अर्थात् धात्री विद्या में अर्हता की छूट दे दी गई है।

(4) आम क्षेत्रों से असैनिक नर्सों की भर्ती का काम जोरों पर किया जा रहा है। चयन बोर्डों को विकेन्द्रित कर दिया गया है, कि सशस्त्र सेनाओं में स्वेच्छा से शामिल होने वालो की शीघ्र भर्ती देश भर में व्यापक बना दी जाए। भर्ती को प्रोत्साहन देने के लिए असैनिक अस्पतालों और संस्थाओं में वरिष्ठ नर्सिंग अफसरों द्वारा भ्रमण भी किए जाते हैं।

(5) प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रयास जोरों पर हैं, जिस के लिए अधिक नर्सिंग स्कूल खोले गए हैं।

बर्मा में भारतीय राष्ट्रजन

*670. **श्री रणंजय सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय बर्मा के नागरिक बन गये थे तथा कितने नहीं बने थे, जिनका व्यापार बर्मा सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीयकरण योजना के एक अंग के रूप में जब्त कर लिया ;

(ख) बर्मा सरकार ने इनमें से कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार तथा नजरबन्द किया था ; और

(ग) सरकार ने इनको रिहा कराने तथा उनकी सम्पत्ति भारत वापस लाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस बात के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि कितने भारतीयों ने बर्मा की राष्ट्रिकता स्वीकार कर ली है और कितनों ने नहीं। किंतु बर्मा सरकार ने जिनके व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया है, उनकी संख्या लगभग 2,500 है।

(ख) जिन लोगों को गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया गया है उनकी ठीक-ठीक संख्या मालूम नहीं है। परन्तु, ऐसा विश्वास किया जाता है कि करीब 400 से 500 तक लोग बर्मा में नज़रबंद हैं।

(ग) जिन लोगों को, उनपर बिना मुकदमा चलाए, हिरासत में रख्खा हुआ है, उनपर जल्दी मुकदमा चलाने अथवा उन्हें छोड़ने का प्रश्न राजनयिक सूत्रों के माध्यम से सर्वोच्च स्तर पर उठाया गया था। इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है किंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

अफ्रो-एशियाई सम्मेलन

***671. श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री अफ्रो-एशियाई सम्मेलन के बारे में 10 नवम्बर, 1965 को दिए गए अपने वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका, नेपाल, तथा बर्मा उन देशों में से कुछ देश हैं जिन्होंने भारतीय प्रस्तावों का समर्थन किया है कि रूस, मलयेशिया तथा सिंगापुर को अफ्रो-एशियाई सम्मेलन में शामिल किया जाये ;

(ख) क्या उपर्युक्त तीन देश उन देशों में से हैं जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों से सहमत थे कि कुछ राज्यों की खेदजनक अनुपस्थिति ऐसा कारण नहीं है कि सम्मेलन का विलम्बन किया जाय अथवा क्या वह उन में थे जिन्होंने विलम्बन की मांग की थी; और

(ग) सभी अफ्रो-एशियाई राज्यों को निमंत्रित करने के प्रयास विफल हो जाने की दृष्टि से क्या सरकार का विचार ऐसे राज्यों का गठबन्धन करने का है जिनके आपसी हित तथा विचार एक हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस विषय पर श्री लंका औ बर्मा नहीं बोले। नेपाल ने अपने इस इरादे की घोषणा की कि वह रूस के भाग लेने के प्रश्न पर राय जाहिर नहीं करेगा लेकिन उसने अफ्रो-एशियाई सम्मेलन में मलयेशिया और सिंगापुर के भाग लेने का समर्थन किया।

(ख) बर्मा, श्रीलंका और नेपाल के प्रतिनिधिमंडल इस विषय पर नहीं बोले।

(ग) जी, नहीं।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सिख महिलाओं का अपहरण

*672. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा के गांवों से सिख महिलाओं के अपहरण के बारे में 17 नवम्बर, 1965 को आधे घंटे की चर्चा पर दिए गए अपने उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : इन्क्वायरी अभी सम्पूर्ण नहीं हो पाई। तदपि कराची में हमारे उच्च आयोग ने पंजाब के कई गांवों की 61 स्त्रियों और बच्चों के नाम बताए हैं जिन के पाकिस्तान में बन्दी बनाए जाने की रिपोर्ट मिली है। कई प्रार्थनाओं के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार द्वारा इन कुटुम्बों के मुखिया पुरुषों की सूची प्राप्य नहीं की गई है, जिन्हें भी बन्दी बना लिया गया है। झंगड़ तथा पक्का चिश्ती गांवों के पहले लापता रिपोर्ट किए गए 51 में 30 के नाम उपरोक्त 61 में से 30 नामों से मिलते जुलते हैं। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 30 पाकिस्तान में जीवित हैं। यह भी हो सकता है कि इन दोनों गांवों की शेष लापता स्त्रियों में से कुछ कराची में बन्दी बनाए गए व्यक्तियों में भी हों, क्योंकि अपने उच्च आयोग द्वारा बताए गए नामों में और पंजाब सरकार द्वारा बताए गए नामों में कई हालतों में बहुत थोड़ा अन्तर है।

ब्रिटिश उच्चायोग को पुलिस संरक्षण

*673. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकी और अरब विद्यार्थी रोडेशिया में अपनाई गयी ब्रिटिश नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिये नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्च आयोग के कार्यालय गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश उच्च आयोग ने शिकायत की है कि उन्हें तुरन्त पुलिस संरक्षण नहीं दिया गया ;

(ग) क्या ब्रिटिश उच्च आयोग ने भारत सरकार से कोई मुआवज़ा मांगा हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अफ्रीका के प्रति ब्रिटिश रवैये के विरूद्ध विरोध प्रकट करने लिये कुछ अफ्रीका और अरब से आए हुए विद्यार्थी यूनाइटेड किंगडम के हाई कमीशन गए थे।

(ख) जी, नहीं। हाई कमीशन ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस वाले फौरन पहुंच गए।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन द्वारा हथियारों के बेचने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को ढीला करना

***674. श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन ने भारत को हथियार बेचने पर लगा प्रतिबन्ध ढीला कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? और

(ग) क्या इस प्रतिबन्ध के ढीले किये जाने के बाद से ब्रिटेन ने भारत को क्या शस्त्रास्त्र दिये है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुछ भी नहीं ।

Pak. Occupation of Indian Territory in Jaisalmer

***675. Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Pakistan has occupied an area of 1,600 square miles in Jaisalmer after the declaration of cease-fire on the 23rd September, 1965;

(b) whether the said occupied area includes Kishangarh, Darmi Khu, Buily Sarkari Tara, Longanewala and Shahgarh posts;

(c) whether there are 109 oil wells in Shahgarh area;

(d) whether a French Company is engaged in digging oil wells in that area: and

(e) whether the whole of that oil area has been occupied by Pakistan after the cease-fire?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Pakistan did occupy the places named after the cease-fire. But Shahgarh was re-occupied by our Security Forces on 31st October, 1965 and is under our control.

(c) No, Sir.

(d) Under a contract entered into between Oil and Natural Gas Commission and a French Company, the latter are engaged as contractors in a certain area of Jaisalmer district for investigating possibilities of finding oil in that area.

(e) No, Sir.

Indians Detained in Pakistan

***676. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Government has not permitted the employees of the office of Indian High Commission in Pakistan to see the detained Indians;

(b) whether it is also a fact that inhuman treatment is being meted out to those people; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) to (c). Officers of the Indian High Commission in Pakistan have been permitted to visit certain groups of interned Indian nationals. The treatment that is accorded to them by the Pakistan Government is uniformally bad; it is particularly so during the early stages of their arrest and internment. Efforts are being made to repatriate all these persons.

चीन का तिब्बत पर अधिराजत्व का दावा

***677. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 22 नवम्बर 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 357 के तथा उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने तिब्बत पर चीनी अधिराजत्व के दावे के मामले की अब जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत ने इस स्थिति को मान लिया था कि तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता है। उसी समय हमने तिब्बत के स्वायत्तता के अधिकार को माना था और उसे बड़ा महत्व दिया था। हम इसके पक्ष में हैं कि तिबत में मूलभूत स्वतंत्रता और मानवाधिकार फिर से दिये जायें। हमारे इस निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय की हिदायतें

***678. श्री सिंहासन सिंह :** **श्री नरेंद्र सिंह महीडा :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : **श्री श्यामलाल सर्राफ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक कार्य तथा राष्ट्र मण्डल संपर्क मंत्रालय से राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गये दिनांक 6 अगस्त, 1948 के पत्र संख्या एफ० 120–13–48 ओ० एस० (III) में दी गई हिदायतें पाकिस्तान और भारत के बीच अघोषित युद्ध के बाद अब भी लागू हैं ?

(ख) यदि हां, तो भारतीय सिविल न्यायालयों द्वारा जारी किये कमीशन पर पाकिस्तान में और प्रति लं.भतः गवाहों के बयान लेने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इसके विपरित पत्र भेजा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, ये निर्देश अब भी लागू हैं।

(ख) और (ग) : भारत और पाकिस्तान में गवाहों के बयान लेने के लिये एक-दूसरे देश की दीवानी अदालतों द्वारा जारी किए गए प्रार्थना और समादेश पत्र आदि तामील और वापसी के लिये राजनयिक सूत्रों के ज़रिये भेजे जा रहे हैं।

Payment of Bonus to D. C. M. and Swatantra Bharat Mills Employees

*679. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade : Shri Madhu Limaye : Shri Prakash Vir Shastri : Shri S. M. Banerjee : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Kashi Ram Gupta : Shri Hem Barua : Shri Ram Sewak Yadav : Shri S.C. Samanta : Shrimati Renu Chakravarty : Dr. L. M. Singhvi : Shri Kapur Singh : Shri P. R. Chakraverti : Shri P. H. Bheel : Shri Buta Singh : Dr. Ranen Sen : Shri Yudhvir Singh : Shri Kishen Pattnayak : Shrimati Savitri Nigam : Shri Nath Pai : Shri Sheo Narain : Shri Yajnik :**

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 20,000 employees of the Delhi Cloth Mills and Swatantra Bharat Mills have neigther been paid outstanding bonus pertaining to the last four years under the provisions of the Payment of Bonus Act, nor they have been shown any accounts;

(b) whether it is also a fact that the Unions of the workers of the said Mills have lodged a written complaint with Government to this effect; and

(c) if so, action taken by Government in regard thereto?

Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). complaint has been received from only one union i e. Kapra Mill Mazdoor Sangh. A statement is said on the Table of the Sabha about the present position in regard to the payment of outstanding bonus to the employees of Delhi Cloth Mill and Swatantra Bharat Mills.

Statement

Year	Position
1960-61 and 1961-62	The management of Delhi Cloth Mill and Swatantra Bharat Mills paid to the workmen basic wages of 3 months and 10 days as bonus for the year 1960-61 and 3 months basic wages as bonus for the year 1961-62. The claim for additional bonus for the above two years is pending before the Industrial Tribunal, Delhi. Originally 7 unions of workers were parties to the disputes. Out of these, 6 unions have withdrawn their claim as the management has offered additional 1·1/3 per cent of salary or wages to compromise the workmen's claim. At present only one union viz., Kapra Mill Mazdoor Sangh is pursuing the matter before the Tribunal. The award of the Tribunal is awaited.

Statement

Year	Position
1962-63	No claim in this respect has been raised before any appropriate authority.
1963-64	The management have already distributed bonus at the rate of 8·1/3% of the total average wage earnings (basic and dearness allowance) as per agreement, dated 27-10-1964. This agreement provides for a review of quantum of bonus. The agreement also provides that the dispute in respect of previous years would be withdrawn. The management have now contended that since the withdrawal has not been accepted by one of the Unions and the case for the years 1960-61 and 1961-62 is still pending before the Industrial Tribunal, Delhi, they would review the final calculation of quantum of bonus for the years 1963-64 only when the dispute for the years 1960-61 and 1961-62 is finally disposed of by the Tribunal. On receipt of the complaint from the Unions that this interpretation of the agreement by the Management is not correct, the matter is being taken up by the Delhi Administration with the management with a view to resolving the dispute. The accounts have been shown to the Unions.

संयुक्त राष्ट्र संघ की आयव्ययक समिति

*680. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ को आयव्ययक समिति के इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अथवा उसके अन्य संगठनों के अधिवेशन में भाग लेने के लिये आने वाले सभी प्रतिनिधि मण्डलों की अपने-अपने देशों से संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय तक की यात्रा के लिये केवल मितव्ययता वाली श्रेणी (इकानोमी क्लास) का ही खर्च वापिस दिया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : इस प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस आधार पर कुछ बातें सुरक्षित रखी कि इससे एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों के प्रति भेदभाव होता है और भारत ने उस प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पांचवी समिति द्वारा पारित कर दिया गया।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

*681. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए धन जमा करने में पदाधिकारियों द्वारा जोर डाले जाने के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसे पदाधिकारियों की ऐसी समाज विरोधी कार्यवाहियों को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अनुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये अंशदान पूर्णतः अपनी इच्छा से दिए जाते हैं, और सरकार ने यह बात बार बार स्पष्ट कर दी है। प्रदेशीय सरकारों को भी इस बारे में उचित सलाह दे दी गई है। तो भी, राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये अंशदान प्राप्त करने हेतु अपनाए गए तरीकों के बारे में जो कोई शिकायतें मिलती हैं उन्हें सम्बन्धित प्रदेशीय सरकारों को ध्यान देने तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया जाता है।

"रिव्यू आफ दि इंस्टीट्यूट आफ स्टैट्रेजीक स्टडीज, लन्दन"

***682. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में प्रकाशित हुए 'रिव्यू आफ दि इन्स्टीट्यूट आफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज, लन्दन' की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की अपेक्षा भारत को अधिक सनिक नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इससे कहां तक सहमत है; और

(ग) यदि यह समाचार गलत है, तो इसके प्रभाव का निराकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ख) तथा (ग) : युद्धनीतिक अध्ययन संस्था लन्दन की वार्षिकी रिपोर्ट से संबंधित समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट सरकार के सामने आई। समाचार-पत्र की रिपोर्ट से पता चलता है संस्था के अनुमान में हाल के भारत-पाक युद्ध में दोनों को जन, द्रव्य और साज़सामान संबंधी लगभग बराबर की क्षति हुई है। मालूम होता है यह रिपोर्ट तथ्यों पर नहीं बल्कि अनुमानों पर आधारित है। अद्यतन प्राप्य डैटा के अनुसार पाकिस्तानी और भारतीय क्षतियों के आंकड़े इस प्रकार है :—

मद	भारतीय क्षतिएं	पाकिस्तानी क्षतिएं
सनिक सेविवर्ग . .	2759	5800 से अधिक
विध्वस्त/क्षतिग्रस्त नाकाम किए गए टैंक	80 इन के अतिरिक्त 48 टैंकों को सख्त हानि पहुंची थी, परन्तु मरम्मत के पश्चात् वह काम में आ सकेंगे)।	475 (इनमें से 39 भारतीय सेनाओं द्वारा चालू दशा में पकड़े गए थे।
विमान . .	अन्तरिक्ष युद्ध में 28	अन्तरिक्ष युद्ध में 73
सत्ताक्षेत्र . . .	290 वर्ग मील जम्मू काश्मीर तथा पंजाब में तथा राजस्थान क्षेत्र में मुनावाओ की सीमा चौकी	740 वर्ग मील, जिसमें शामिल है पाकिस्तान में 470 वर्ग मील और पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में 270 वर्ग मील।

उपरोक्त तथ्यों का भारत और विदेश में विभिन्न सरकार साधनों द्वारा पहले ही काफी प्रचार किया गया है।

बोनस का भुगतान

*683. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री नो० श्रीकान्तन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री लखमू भवानी :
श्री वाडीवा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री तुला राम :
श्री योगेन्द्र झा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बूटा सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्रीमती सुभद्रा जोशी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 का लाभ उठा कर मजदूर संघों की पूर्णतया उपेक्षा की है, यहां तक कि गत द्विपक्षीय प्रणाली, समझौतों तथा अनुपातों की उपेक्षा करके प्रबन्धकों ने अधिनियम का अपना विवेचन किया है और उन्हें एक पक्षीय आधार पर लागू किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने उनके द्वारा पहले अनुपात को सुरक्षित रखने के लिये दिये गये आश्वासनों की पूर्णतया उपेक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक हड़तालों तथा इनसे उत्पन्न होने वाली मुकदमेबाजी को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इन उद्योगपतियों ने धमकी दी है कि कुछ फालतू कर्मचारियों की, जिनके लिये काम नहां है, छंटनी की जा सकती है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (घ) : अभी तक इस प्रकार का कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 हाल ही में पास हुआ है। इस अधिनियम का दायरा बहुत विस्तृत है। इस अधिनियम के लिये दोनों केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में उचित सरकारें हैं।

(ग) इस अधिनियम में अनुपालन न करने सम्बन्धी शिकायतों का निपटारा करने के लिये व्यवस्था है ।

Bidi Industry

1820. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) the number of workers engaged in Bidi Industry, State-wise;

(b) the number of States where the Acts relating to minimum wages and hours of work are in force;

(c) whether the proportion of bidi workers amongst the T.B. patients is more; and

(d) whether Government have ever assessed the percentage of workers amongst them who will be benefited by the Bonus Act?

Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) According to the Indian Labour Statistics, 1965 published by the Labour Bureau, Simla, the provisional figure of total estimated average daily employment in bidi factories during 1963 was 76,000. Returns under other Acts, as far as available, add up to 4,52,000.

Government has no complete information about the number of workers employed outside factories but there is no doubt that a large number of workers are so employed.

(b) The Minimum Wages Act which also regulates the hours of work has been made applicable to the bidi industry in 12 States and one Union Territory *viz.*, Tripura. In Delhi, where the Minimum Wages Act has not yet been applied to bidi industry, the working hours are regulated by the Delhi Shops and Establishments Act, 1954.

(c) No information is available.

(d) No.

हज यात्रा

1822. श्री मुहम्मद कोया :
श्री रामहरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगल लाइन्स के प्रबन्ध निदेशक ने घोषणा की है कि इस वर्ष केवल 14,000 लोगों को ही हज यात्रा के लिये ले जाया जायगा;

(ख) हज यात्रा के लिये इस वर्ष कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये हैं और पिछले वर्ष कितने व्यक्तियों को हजयात्रा की अनुमति दी गई थी;

(ग) क्या आवेदकों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सरकार हज यात्रियों को संख्या को बढ़ा कर कम से कम पिछले वर्ष को संख्या के बराबर करने की संभावना पर विचार करेगी; और

(घ) प्रत्येक हज यात्री को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी और क्या सरकार इस राशि की अपर्याप्तता को देखते हुए इसे बढ़ाने का संभावना पर विचार करेगी?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) परिवहन प्रबंधों को और विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रख कर यह निर्णय किया गया है कि 15,300 व्यक्तियों (बच्चों को छोड़कर) (14,300 समुद्र से और 1000 हवाई जहाज़ से) को 1966 की हज के दौरान हज यात्रा करने की अनुमति दी जाए। मुगल लाइन लि० शिपिंग कम्पनी ने, जो हज यात्रायात का प्रबंध करती है सरकार की स्वीकृति से 14,300 व्यक्ति को जहाज़ से ले जाने के कार्यक्रम की घोषणा की है जिससे कि जानेवाले तीर्थयात्री यात्रा के लिये आवेदन दे सके।

(ख) 29,564 व्यक्तियों ने इस वर्ष यात्रा के लिये आवेदन दिया। पिछले वर्ष 32,000 आवेदकों की अनुमानित संख्या के मुकाबले 18,291 व्यक्तियों को, जिनमें बच्चे शामिल थे, समुद्री जहाज़ और हवाई जहाज़ के द्वारा हजयात्रा करने की अनुमति दी गई थी।

4—13 Locksabha/66

(ग) उपर्युक्त (क) में जो स्थिति समझाई गई है, उसे ध्यान में रखते हुए, 1966 हज के लिए नियत 15,300 व्यक्तियों की सीमा में वृद्धि करना संभव नहीं है।

(घ) प्रत्येक तीर्थयात्री को 1000 रु० तक विदेशी मुद्रा रखने को अनुमति है। किसी भी यात्री को अपना निर्वाह करने तथा अपने धार्मिक कर्त्तव्य निभाने के लिये यह धनराशि काफी है क्योंकि उसे सऊदी अरब के प्रवास की अवधि में खाने-पीने के लिये खाद्यान्न ले जाने की भी अनुमति दी जाती है।

बर्मा से प्रत्यावर्तित लोग

1823. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1965 तक कितने व्यक्ति बर्मा से भारत में लौट आये हैं;

(ख) बर्मा में अभी और कितने भारतीय व्यक्ति है;

(ग) इस संबंध में क्या व्यवस्था की गई है कि वे लोग अपना धन वापस ला सके, जो भारत से अपना धन वहां ले गये थे; और

(घ) क्या रंगून स्थित हमारे दूतावास को आदेश दिये गए है कि इस प्रकार जो धन उन्हें मिले व उसे ले लें ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार करीब 1,29,375 लोग बर्मा से भारत वापस आ चुके हैं।

(ख) अनुमानतः करीब 3 लाख भारतमलक लोग अब भी बर्मा में हैं किंतु यह कहना बड़ा मश्किल है कि उनमें से कितने लोग भारत लौटना चाहते हैं। 52,000 से ज्यादा लोगों ने प्रतीक्षा सूची में अपना नाम लिखा रखा है।

(ग) भारतीय राष्ट्रिकों की निधि भारत वापस लाने का अभी कोई अंतिम प्रबंध नहीं किया गया है, चाहे वह अपना मूलधन यहां से ले गए हों या न ले गए हों; इस मामले पर दोनों सरकारों के बीच विचार-विनिमय हो रहा है।

(घ) जी हां।

श्रीलंका में भारतीय नागरिक

1824. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 1 दिसम्बर, 1965 तक श्रीलंका से कितने भारतीय नागरिक भारत आये;

(ख) श्रीलंका सरकार के परामर्श से उन का धन वापस लाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) कितने भारतीय नागरिक अब भी श्रीलंका में हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) लगभग 1,23,500 भारतीय नागरिक 12 सितम्बर, 1964 से 30 नवम्बर, 1965 के बीच श्रीलंका से वापस आए।

(ख) श्रीलंका से अंतिम रूप में विदा होते समय भारतीयों को भारत भेजने के लिये 75,000 रुपये तक विनिमय की सुविधाएं दी जाती हैं।

(ग) लगभग 31,000।

भारतीय सहायता से सिक्किम में बैंक

1825. **श्री राम हरख यादव :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार का विचार भारत की सहायता अथवा सहयोग से एक बैंक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सिक्किम सरकार युनाइटेड कमर्शल बैंक के सहयोग से एक बैंक की स्थापना करने पर विचार कर रही है।

(ख) इस प्रस्ताव पर सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सविस्तार विचार करने की आवश्यकता होगी।

सिंगापुर से सद्भावना मिशन

1826. **श्री राम हरख यादव :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सिंगापुर से एक सद्भावना मिशन भारत की यात्रा पर आया था; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, सिंगापुर से एक सद्भावना प्रतिनिधी मंडल भारत की यात्रा पर आया था और 9 से 13 नवम्बर 1965 तक यहां ठहरा था ; इसके नेता सिंगापुर के उपप्रधान मंत्री थे और इसमें वहां के विदेश मंत्री तथा राज्य शिक्षा मंत्री भी थे।

(ख) उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार को यह बताना था कि सिंगापुर भारत की मित्रता की कद्र करता है और भारत सरकार का समथन करता है।

लन्दन में नेहरू स्मारक न्यास

1827. **श्री राम हरख यादव :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 नवम्बर, 1965 को श्री नेहरू के 76 वें जन्म दिवस पर उनकी याद में लन्दन में एक नेहरू स्मारक न्यास बनाया गया;

(ख) यदि हां, तो न्यास के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) न्यास की उद्देश्य क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय हाई कमिश्नर के अलावा, ट्रस्ट के ये सदस्य हैं :

1. लार्ड माउंटबैटन
2. लार्ड बटलर
3. सर जेरेमी रईसमैन
4. जनरल सर राय बूचर
5. श्री जान ग्रिग

वाइस एडमिरल सर रोनल्ड ब्राकमेन आनरेरी एग्जीक्यूटिव डाइरक्टर के रूप में ट्रस्ट की प्रबंध व्यवस्था करेंगे ।

(ग) ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य नेहरू छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये भारत में सुयोग्य स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को चुनना है। कैम्ब्रिज, ट्रिनिटी, के पुराने कालेज में जिसके लार्ड बटलर मास्टर हैं, हर वर्ष नेहरू स्मारक लेक्चर कराने के भी प्रबंध किए जाएंगे।

लंका में दासों का व्यापार

1828. **श्री कोल्ला वेंकेया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लंका में दक्षिण भारत से अवैध रूप से गये हुए लोगों के दास व्यापार के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष दक्षिण भारत के कितने लोगों को बेचा और खरीदा जाता है ;

(ग) सरकार ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : भारत से श्रीलंका को अवैध रूप से गए लोगों का कोई "दास व्यापार" नहीं है। लेकिन कुछ लोग भारत से श्रीलंका को अवैध रूप से जाते हैं। भारत से इस तरह का आप्रवास रोकने के लिए सरकार ने निरोधात्मक उपाय बरते हैं और संख्या काफी कम हो गई है।

छम्ब-जौरियां अंचल से शरणार्थी

1829. **श्री राम हरख यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छम्ब-जौरियां अंचल के शरणार्थियों को मुफ्त अनाज देने की प्रणाली को बदल कर नकद सहायता देना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो नई योजना का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता मिली है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) योजना में परिवार की सदस्य संख्या के अनुसार 30 रुपये से 70 रुपये प्रति मास की दर से शिविर-वासियों को नकद सहायता देने की व्यवस्था है, ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	परिवार की सदस्य संख्या	कुल मासिक नकद सहायता
1.	एक सदस्य वाला परिवार	30 रुपये
2.	दो सदस्यों वाला परिवार	40 रुपये
3.	तीन सदस्यों वाला परिवार	50 रुपये
4.	चार सदस्यों वाला परिवार	57 रुपये
5.	पांच सदस्यों वाला परिवार	65 रुपये
6.	पांच से अधिक सदस्योंवाला परिवार . . .	70 रुपये

यह प्रणाली, जो पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिये शिविरों में सन्तोष-जनक रूप में कार्य करती रही है, जम्मू तथा काश्मीर में भी सन्तोषजनक रहनी चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला

1830. **श्री पू० चं० देवभंज** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलाई लामा ने कभी भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला स्वयं अथवा दूसरों के साथ मिल कर पेश करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। सरकार को परम पावन दलाई लामा से ऐसा कोई अनुरोध-पत्र नहीं मिला है जिसमें संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत के प्रश्न पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत अथवा सह-प्रस्तुत करने की बात कही गई हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल्लचेरि में बड़े (हेड) डाकघर की इमारत

1832. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में तेल्लचेरि में बड़े (हेड) डाकघर की इमारत बनाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसके लिए भूमि कब ली गई थी ;

(ग) उस पर कितनी लागत आई ; और

(घ) इमारत के निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) प्रशासनिक स्वीकृति व खर्च की मंजरी दी जा चुकी है और अब विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) 25 जुलाई, 1961।

(ग) 23,707 रुपये 87 पैसे।

(घ) इमारत बनाना शुरू करने से पहले बहुत सी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इनमें स्थान की अनुसूची, प्रारम्भिक नक्शे व प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार करना, प्रशासनिक स्वीकृति तथा खर्च की मंजूरी देना, कार्यकारी नक्शे व विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना, तकनीकी मंजूरी भेजना, टेंडर मंगाना और ठेकेदारों को काम सौंपने का काम शामिल है।

इस काम की स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। मौजूदा आर्थिक संकट के कारण खर्च में कमी करने की आवश्यकता की दृष्टि से, निर्माण कार्य को तुरन्त प्रारम्भ करने की तात्कालिक आवश्यकता की जांच की जा रही है।

केरल में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

1833. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में डाक तथा तार कर्मचारियों को क्वार्टर देने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) वित्तीय वर्ष 1965-66 में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) प्रत्येक जिले में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) केरल में 649 कर्मचारियों को क्वार्टर दे दिये गये हैं। इसके अलावा क्वार्टरों की 38 यूनिट बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 9 यूनिटों का निर्माण हो रहा है। और भी अधिक क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) 1,27,000 रुपये मुख्य शीर्ष के अंतर्गत।

(ग) त्रिचूर—1000 रुपये

क्विलोन—2100 रुपये

कोट्टायम्—2000 रुपये

भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर

1834. **श्री अ० व० राघवन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये स्वीकृत योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भूतपूर्व सैनिको की विद्यमान सहकारी समितियों को अपना कार्य बढाने के लिये क्या सहायता देने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कानपुर में भारतीय वायुसेना का अस्पताल

1835. **श्री रामानन्द शास्त्री :**
श्री राम हरख यादव :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कानपुर छावनी में भारतीय वायुसेना के वर्तमान अस्पताल में एक परिवार विभाग खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो नयी विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय वायु सैनिक हस्पताल, कानपुर में एक परिवारिक पक्ष पहले से विद्यमान है। आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संवर्धन परिवर्तन किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल समवायों के कर्मचारी

1836. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल समवाय अपनी वैज्ञानिक तथा स्वचालित यंत्रों के प्रयोग सम्बन्धी योजनाओं का अच्छी तरह परीक्षण होने के दौरान ही अपने कर्मचारियों पर सेवा निवृत्त होने के लिये जोर डाल रहे हैं अथवा उनकी छंटनी कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) इस बारे में एक शिकायत पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन से प्राप्त हुई है ।

(ख) तेल कम्पनियों में रोजगार और कार्य-सुरक्षा सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति इस मामले पर विचार करेगी ।

मंगोलिया में रिहायशी मिशन (रेजिडेन्ट मिशन)

1837. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगोलिया में रिहायशी मिशन (रेजिडेन्ट मिशन) खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : उलान बटोर में रिहायशी मिशन खोलने के सवाल पर अब भी विचार किया जा रहा है ।

नई दिल्ली में थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग में स्थित डाकखाने में चोरी

1838. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **संचार** मंत्री 30 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1063 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में कनाट प्लेस में थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग में स्थित डाकखाने में हुई चोरी के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा की जा रही जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) पुलिस अधिकारियों ने यह मानकर कि इस मामले का कुछ सुराग नहीं मिला है, फिलहाल इसे खत्म कर दिया है ।

(ख) कोई और ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो

1839. **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी सीमाओं पर चीन द्वारा आक्रमण किये जाने के पश्चात् पूर्वी सीमा क्षत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लगाने के लिए एक हजार और सामुदायिक रेडियो दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दिये गये रेडियो में से कितने प्रतिशत रेडियो ठीक काम कर रहे हैं।

(ग) क्या पूर्वी सीमा क्षेत्रों के लिये कोई चलता-फिरता संधारण एकक (मोबाइल मेन्टेनेंस यूनिट) स्थापित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने और उनके प्रधान कार्यालय कहां है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 82–83 प्रतिशत।

(ग) जी, नहीं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ठीक-ठाक करने वाला दल है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय वायु सेना के पूना स्थित बस डिपो में कुप्रशासन

1841. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वायु सेना के पूना स्थित बेस सिगनल्स रिपेयर डिपो में कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शिकायत की कोई जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। वायु सेना बेस सिग्नल रिपेयर डिपो पूना में भ्रष्टाचार के आरोपों संबंधी बिना दस्ताखत के एक शिकायत अगस्त 1965 में प्राप्त हुई थी।

(ख) जांच करने पर शिकायत कृतकनामक प्रमाणित हुई थी। सरकार की नीति के अनुसार सरकारी अधिकारियों के विरूद्ध ऐसी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करना होती, और इस लिये मामला समाप्त कर दिया गया हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Bombay Dockyard

1842. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some contractors had been given work in the Bombay Naval Dockyard Expansion Scheme;

(b) whether the contract system had been given up in 1957 on finding this work as unsatisfactory;

(c) whether the contract system is being revived in the expansion scheme; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir. Out of 20 Major Works so far undertaken under this Scheme since its inception in 1953, 18 have been let out on contract.

(b) No Sir. In fact, out of the 18 Contracts referred to in (a) above, 15 were let out after 1957.

(c) and (d). Do not arise.

Demands of Defence Establishments workers in Bangalore

1843. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Bagri :

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) the action taken to meet the demands of workers of the Hindustan Aeronautics Ltd., Hindustan Machine Tools Ltd., Bharat Electronics Ltd., and Bharat Earth Movers Ltd.; and

(b) the permanent solution envisaged by Government keeping in view the importance of these undertakings from the security point of view?

Minister of Labour and Employment (Shri Sanjivayya) : (a) The Industrial relations in these undertakings fall in the state sphere. Accordingly the Labour Department of the Government of Mysore took appropriate action to conciliate in the disputes and an interim settlement was reached.

(b) (i) A Wage Board for Engineering Industries has been set up, and this will make recommendations for rationalising the wage structures of these undertakings also.

(ii) The Hindustan Machine Tools Ltd., entered into a three-year Truce Agreement with the representative of their labour union on 15th September, 1965. The management and the workers have reaffirmed their decision to abide by the Code of Discipline in Industry and by the Industrial Truce Resolution and have agreed to maintain industrial peace and harmony during the period of operation of this settlement.

बुडापेस्ट में अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन

1844. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुडापेस्ट (हंगरी) में हाल में ही हुए दो अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों में चीन का भारत को "पाकिस्तान पर आक्रमक" कह कर बदनाम करने का प्रयास विफल कर दिया गया था तथा वज्ञानिकों ने अपनी बठक में चीन से कह दिया था कि वह या तो ठीक ढंग से व्यवहार करे अथवा सम्मेलन से निकल जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस समूची घटना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) चीन ने वैज्ञानिक सम्मेलन के मंच से भारत तथा अन्य कुछ देशों पर आक्षेप करने का जो प्रयत्न किया था, उसे निष्फल कर दिया गया था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष ने उनके व्यवहार की बहुत निंदा की थी और चीनी प्रतिनिधिमंडल बिल्कुल अकेला पड़ गया था।

(ख) भारत सरकार वैज्ञानिक मंचों से राजनीतिक प्रचार करने की निंदा करती है।

विदेशों में शस्त्रास्त्र की सहायता

1845. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री दे० व० पुरी :
श्री व० कु० दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी देश ने भारत को शस्त्रास्त्र की सहायता देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सहायता किसी प्रकार की राजनीतिक शर्तों के बिना दी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग): अनुदान के आधार पर भारत को सैनिक सहायता यू० एस० ए० ओर यू० के० से प्राप्त हो रही थी, परन्तु वह सितम्बर 1965 से स्थगित कर दी गई है। यह सहायता मुख्यत: चीनी आक्रमण का सामना करने के लिये दी जा रही थी, और हमें दिया गया सामान इन सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता था, और हम इस सामान को इन सरकारों को लौटा दिए जाने के लिये आबद्ध थे, जब हमें उसकी उस उद्देश्य के लिये आवश्यकता न रहे कि जिस के लिये दिया गया था। यह सहायता सितम्बर 1965 से इन सरकारों द्वारा स्थगित कर दी गई है, जब भारत को पाकिस्तानी आक्रमण के विरूद्ध प्रतिरक्षात्मक कार्य करना पड़ा।

इन सरकारों ने इस देश को तब से अपने सहायता कार्यक्रम को दुबारा कार्यान्वित करना शुरू नहीं किया है। भारत नकद तथा उधार आधार पर संसार के कई देशों से सैनिक साजसामान खरीदता है। यू० एस० ए०, कनाडा, यू० के०, पश्चिमी जर्मनी तथा स्विटजरलैंड द्वारा सैनिक साज-सामान का विक्रय भी सम्पूर्णत: अथवा निर्यात लाइसेंस प्रक्रिया पुरस्स्थापित करके प्रवृत्य-तौर पर पाकिस्तानी आक्रमण के पश्चात् स्थगित कर दिया गया है।

अग्रिम क्षेत्रों में असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारी

1846. श्री स० चौ० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त भत्ता दिया जा रहा है जो अग्रिम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसकी वास्तविक मात्रा कितनी है; और

(ग) क्या यह भत्ता सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को दिया जाता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं । तदपि अग्रिम क्षेत्रों में सेवा कर रहे रक्षा असैनिक कर्मचारियों को निम्न लाभ और रियायतें देय हैं जिन्हें साधारण रण क्षेत्र सेवा रियायतें कहा जाता है :—

(1) सेना अथवा वायुसेना के लड़ाकुओं के लिये लागू, जैसे कि स्थिति हो, मान पर निशुल्क राशन और फ्यूल ।

(2) निशुल्क तम्बुओं में वास्य स्थान ।

(3) सेना सेविवर्ग के कम से कम अनिवार्य मान पर निश्शुल्क वस्त्र, अगर कोर कमांडर संक्रियात्मिक कारणों के लिये ऐसे वस्त्रों का जारी किया जाना अनिवार्य विचार करे ।

(4) कुटुम्ब नियतन का निशुल्क भेजा जाना ।

(5) हस्पताल में चिकित्सा सहित निशुल्क चिकित्सा ।

(6) अघातक/घातक दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त होने पर घाव-चोट अथवा कुटुम्ब पेन्शन या उपदान या कार्मिक मुआवजा अगर लागू हो ।

(7) प्रति व्यक्ति प्रति सप्ताह टिकट-रहित सेनाओं के दो पत्र ।

(8) अधिकाधिक 30 रुपये तक प्रति मास प्रति व्यक्ति बिना कमीशन भारतीय सीमाओं के अन्दर अन्दर मनीआर्डर और भारतीय पोस्टल आर्डर भेजा जाना ।

(9) साधारण किराये की अदायगी पर पुराने ड्यूटी स्थान पर सरकार द्वारा दिए गए वास्य स्थान को धारण किये रहना ।

पर वह रक्षा असैनिक कर्मचारी जो अग्रिम क्षेत्रों में कई विशिष्ट कठिन माने गए प्रदेशों में सेवा कर रहे हैं, एक निम्न दरों पर विशेष भत्ता भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसे ऊंचाई/अस्वास्थ्यप्रद जलवायु भत्ता कहा :—

वेतन	मासिक भत्ता
(क) वेतन जो 110 रु० से अधिक न हो . . .	25 रुपये
(ख) 110 रु० से अधिक परन्तु 200 रु० से कम वेतन .	40 रुपये
(ग) 200 रु० से अधिक परन्तु 300 रु० से कम वेतन .	60 रुपये
(घ) 300 रु० से अधिक परन्तु 400 रु० से कम वेतन .	65 रुपये
(ङ) 400 रु० से अधिक परन्तु 750 रु० से कम वेतन .	70 रुपये
(च) 750 रु० से ऊपर वेतन . . .	100 रुपये

(ग) जी, हां ।

Shram Vir National Awards

1847. **Shri D. N. Tiwary** : Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) whether any awards in cash and merit certificates have been given in any industries under the Shram Vir National Awards scheme;

(b) if so, the names of industries and recipients thereof; and

(c) the acts for which these awards have been made for giving valuable suggestions, merit or for averting mishaps ?

Minister of Labour and Employment (Shri Sanjivayya) : (a) Not yet.

(b) and (c): Do not arise.

गोदी मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड

1848. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री वारियर :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री हाजी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदी मजदूरों के लिए केंद्रीय मजरी बोर्ड की अन्तरिम सिफारिशों को जहाज मालिकों ने लागू नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के न मानने के लिये जहाज मालिकों ने क्या कारण पेश किए हैं; और

(ग) राष्ट्रीय आपातकाल में गड़बड़ी न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : जी, हां। जहाजी कम्पनियों ने यह तर्क दिया है कि उनके कर्मचारी मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गत नहीं आते। अतः उनके लिए सिफारिशें लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बम्बई बन्दरगाह में यह समझौता हुआ है कि विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत न्याय निर्णय के लिये भेज दिया जाय। अन्य बन्दरगाहों में भी क्रियान्विति के मामले की पैरवी की जा रही है।

राष्ट्रमण्डल सचिवालय के लिये महासचिव

1849. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल सचिवालय के लिये दो महासचिवों की नियुक्तियों के बारे में चर्चा करने के लिये लंदन में राष्ट्रमण्डल के उच्चायुक्तों की अक्तूबर में बैठक हुई थी;

(ख) उनकी नियुक्तियों के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ;

(ग) क्या पाकिस्तान ने महासचिव के पद के लिये भारतीय उम्मीदवार का विरोध किया था; और

(घ) अंत में कौन कौन व्यक्ति चुने गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्रियों की पिछली बैठक में जो प्रक्रिया तय हुई थी, उसके अनुसार दो उप-महासचिवों की नियुक्ति राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों ने अपने लंदन स्थित प्रतिनिधियों के माध्यम से की थी। पता चला है कि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह भारत-विरोधी कार्रवाइयां की।

(ग) खबर है कि पाकिस्तान ने इस अवसर पर भी भारत विरोधी कार्रवाईयां की थी।

(घ) एक उप-महासचिव घना के श्री ए० एस० लार्सन आडू होंगे और उनकी सामान्य जिम्मेदारियां होंगी जिनमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रशासन और सम्मेलन सेवा का काम होगा; दूसरे उप-महासचिव श्रीलंका के श्री गुणरत्ने होंगे जिनकी मुख्य जिम्मेदारी आर्थिक मामलों की होगी जिसमें विकास की समस्याएं भी शामिल हैं।

Offer from Indian Families in London

1850. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian families residing in London have offered to support 150 families of our army personnel;

(b) whether it is also a fact that they have asked for a list of 150 families ;

(c) if so, whether Government have since sent a list of 150 families; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Information was received in September, 1965 through the Indian High Commission in London that some Indian residents in U. K. desired to have a list of 100 families whose husbands had been killed during the present fighting, so that they could assist these families financially for the next 10 years to come.

(c) and (d). A general decision was taken to the effect that all donations should be credited into the Disabled Army Personnel, Widows and Orphans Fund or the Air Force Benevolent Fund. Accordingly, a reply was sent to the Indian High Commission to request the donors to send their contributions/donations to either of these two funds. Although the donations will be utilised strictly for the purpose which may be indicated by the donors, the actual amount to be disbursed to each individual family will depend on the assessment of their needs made by the Managing Committee of the Fund. Wishes of the donors, however, in respect of the purpose and categories of persons for which the donations should be used will be respected as far as possible. Care will also be taken to ensure that the assistance is rendered to those who are in real need of the same.

सरकारी क्षेत्र उद्योग स्थल

1851. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री पाराशर :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री चांडक :
श्री वाडिवा :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री दाजी :
श्री बड़े :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मंत्रालयों को कोई निदेश दिए गए हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से बड़े बन्दरगाह नगरों में सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों की स्थापना के बारे में प्रायः प्रतिरक्षा मंत्रालय की सलाह ली जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) : 1957 में सम्बद्ध मंत्रालयों से प्रार्थना की गई थी कि नये औद्योगिक उपक्रमों के स्थान के बारे में विचार करते समय प्रतिरक्षा मंत्रालय से परामर्श किया जाये क्योंकि कोई प्रतिरक्षा दृष्टिकोण हो सकता है जिस पर वह मंत्रालय विचार करना चाहे। पुनर्विचार के बाद अब यह निर्णय किया गया है कि केवल निम्न प्रकार के मामलों में प्रतिरक्षा मंत्रालय से परामर्श करना आवश्यक होगा :—

(1) जिनमें 10 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी व्यय हो ; और

(2) ऐसे मामलों में जिनके बारे में मंत्रालय समझता है कि प्रतिरक्षा दृष्टिकोण है अथवा जिनके लिए अत्यधिक परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता होगी।

भारतीय राज्यक्षेत्र में अज्ञात विमान

1852. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री शिव चरण गुप्त :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अक्तूबर, 1965 की प्रातःकाल भारतीय राज्यक्षेत्र में उड़ता हुआ एक अज्ञात विमान देखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह पाकिस्तानी विमान था; और

(ग) उसे गोली मार कर क्यों नहीं गिराया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, और उसे पहचाना नहीं जा सका। इससे पहले कि उसे मार गिराया जाता वह भाग निकला।

सैनिक मोटर गाड़ियां

1853. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सैनिक मोटर गाड़ियों में बैलून टायर लगे होते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे टायरों का निर्माण आरम्भ करने के लिये, विशेषकर मरूस्थल क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाने वाली गाड़ियों के निर्माण के लिये क्या योजनायें बनाई गई हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) वर्तमान रक्षा गाड़ियों के समूह में सैण्ड ट्रीड (बैलून) टायर फिट नहीं किए हुए हैं।

(ख) तथा (ग) : रेगिस्तानी क्षेत्रों में संक्रिया में व्यवस्त सैनिकों द्वारा इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतर काम में आने वाले साइजों के सैण्ड ट्रीड (बैलून) टायरों का निर्माण हस्तगत करने के लिए देश में टायर निर्माताओं को कहा गया है।

हवलदार अब्दुल हमीद

1854. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शासकीय तौर पर परम वीर चक्र विजेता हवलदार अब्दुल हमीद की स्मृति में क्या विशेष कार्यवाही की गई है; और

(ख) उन के आश्रितों के पालन-पोषण तथा कल्याण के निमित्त क्या व्यवस्था की गई है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : भूतपूर्व हवलदार अब्दुल हमीद परम वीर चक्र, की विधवा को उसके पति को परम वीर चक्र प्रदान किए जाने के उपलक्ष्य में यू०पी० सरकार से 10,000 रुपये नकद इनाम में मिले हैं। सरकारी और निजी विभिन्न साधनों से उसे कुल 4,000 रुपये से अधिक एक राशि भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 11 सितम्बर से 31 दिसम्बर 1965 तक की अवधि के लिए 137.50 रुपये का एक विशेष कुटुम्ब भत्ता भी उसे दिया गया है। 1 नवम्बर, 1965 से विशेष कुटम्ब पेन्शन और बच्चों के लिए भत्ते के बराबर, जब तक वह स्वीकृत नहीं हो जाते, इन्क्वायरी होने तक उसे एक राशि भी प्राप्त होती रहेगी। उनके पेन्शनी दस्तावेज संपूर्ण हो चुके हैं, और स्वीकृति के लिए मामला चलाने के लिए रिकार्ड आफिस में भेज दिए गए हैं। राज्य सरकार से मिलने वाले नकद अनदान के अतिरिक्त उसे 10 बीघा भूमि प्रदान की गई है, और उसके पति को परम वीर चक्र प्रदान किए जाने के उपलक्ष्य में 30 वर्ष के लिए वह 500 रुपये की एक वार्षिकी की भी अधिकारिणी है। उसके बच्चे लारेंस किंग जार्ज स्कूलों में छात्रवृत्तियों के भी अधिकारी हैं। ऐसी परम्परा नहीं है और यह उचित भी न होगा कि किसी एकल सैनिक की स्मृति में, उसे मान देने के लिए कोई विशेष पग उठाए जाएं। स्वतंत्रता प्राप्त होने से लेकर अपने वीर गति पाने वालों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

नैरोबी में पाकिस्तानी दूतावास की भारत विरोधी कार्यवाहियां

1855. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नैरोबी (केन्या) में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भारत-विरोधी कार्यवाहियों के बारे में समाचारपत्रों में समाचार देखे हैं;

(ख) क्या इस बारे में केन्या सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस सरकार से कोई उत्तर मिला है और यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जी हां, नैरोबी स्थित हमारा मिशन इस समस्या के प्रति पूरी तरह जागरूक है और जब कभी आवश्यकता होती है, वह समुचित प्रतिकारी उपाय बरतता है। कीनिया सरकार का ध्यान भी इस तरह की कार्यवाइयों की ओर दिलाया गया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें यह पसंद नहीं कि विदेशी मिशन इस तरह की कार्रवाइयां करे।

जोधपुर के लिये प्रसारण केन्द्र

1856. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे पश्चिम राजस्थान के लिये जोधपुर में एक प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रार्थना पत्र अथवा अभ्यावेदन भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस समय इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जोधपुर में एक कम शक्ति के मीडियम वेव ट्रांसमीटर का विविध भारती केन्द्र काम कर रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जोधपुर में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर युक्त आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है, फिर भी यह केन्द्र पूरे पश्चिमी राजस्थान में नहीं सुनाई देगा।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी प्रस्ताव पर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मिलनी है।

संयुक्त प्रबन्ध परिषद्

1857. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रम सम्मेलन में संयुक्त प्रबन्ध परिषद् योजना में अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया है ;

(ख) क्या कार्य समितियों और संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के कार्य बिल्कुल अलग अलग हैं ;

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इस शंका के कारण कि ये परिषदें नितान्त प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों में अन्तक्षेप करेंगी, इन्हें प्रोत्साहन देने में मालिकों की हिचकिचाहट से इन परिषदों के कार्य की प्रगति में कितनी रुकावट पड़ी है; और

(घ) इसकी धीमी प्रगति के लिए मजदूर संघों की बहुलता और अन्त संघ प्रतिद्वन्दिता कहां तक जिम्मेदार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 30 और 31 अक्तूबर, 1965 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 23 वें अधिवेशन की कार्यसूची में अन्य विषयों के साथ साथ संयुक्त प्रबन्ध परिषदों के सम्बन्ध में नीति की पुष्टि का विषय भी था; परन्तु उक्त सम्मेलन में समय के अभाव के कारण कार्यसूची की इस मद्द पर विचार नहीं हो सका और इस मद्द को स्थायी श्रम समिति की आगामी बैठक के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है ।

(ख) कार्य समितियों के कार्यों की औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 3(2) में परिभाषा इस प्रकार की गई है :—

"कार्य समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह मालिकों और मजदूरों के बीच अच्छे सम्बन्ध और सौहार्द बनाए रखे तथा सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा दें और इस प्रयोजन के लिए साझे हित या सम्बन्ध के मामलों में अपने विचार व्यक्त करें तथा इन मामलों में स्थूल मत-भेद दूर करने की कोशिश करें ।"

चूंकि इन कार्यों की केवल सामान्य रूप में परिभाषा की गई है और न कि विचार-विमर्श के लिए विशिष्ट विषयों के रूप में, इसलिए संयुक्त प्रबन्ध परिषद् के कार्य प्रबन्ध परिषदों सम्बन्धी ड्राफ्ट माडल एग्रीमेंट की मद्द 5, 6 और 7 में परिभाषित किए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं :—

"5. परिषद/परिषदों की मैनेजमेंट द्वारा निम्नलिखित मामलों में सलाह ली जायेगी :—

(i) स्थायी आदेशों की सामान्य क्रियान्विति और आवश्यक होने पर उनमें संशोधन ;

(ii) उत्पाद और निर्माण के नए तरीकों को चालू करना जिनमें व्यक्तियों और मशीनरी का पुनर्प्रविस्तार भी शामिल है ;

(iii) कामबंदीयां काम में कमी ।

6. परिषद/परिषदों को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने, विचार-विमर्श करने और सुझाव देने का भी अधिकार होगा :—

(i) उद्योग की सामान्य आर्थिक स्थिति ;

(ii) बाज़ार, उत्पादन तथा विक्रय कार्यक्रम ;

(iii) उपक्रम का संगठन और उसका सामान्य संचालन ;

(iv) उपक्रम की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालने वाले हालात ;

(v) निर्माण और कार्य के उपाय ;

(vi) वार्षिक बैलंस-शीट तथा लाभ और हानि विवरण एवं सम्बन्धित कागज़ात और स्पष्टीकरण;

(vii) विस्तार के लिए लम्बे समय की योजनाएं, पुनर्प्रविस्तार आदि; और

(viii) ऐसे अन्य मामले जो तय किए जाएं ।

7. परिषद/परिषदों पर निम्नलिखित जिम्मेवारी सौंपी जायेगी :—

(i) कल्याण-उपायों का प्रशासन ;

(ii) सुरक्षा उपायों का पर्यवेक्षण ;

(iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षुता योजनाएं चालू करना ;

(iv) काम के घंटों, मध्यावकाश और सवेतन छुट्टियों की अनुसूची तैयार करना ;

(v) कर्मचारियों से प्राप्त मूल्यवान सुझावों के लिए पुरस्कार की अदायगी ;

(vi) कोई अन्य विषय जो संयुक्त परिषद द्वारा स्वीकार किया जाए।''

(ग) और (घ) : कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किये गये हैं और न ही इन प्रस्तावों को अनुभवतः स्थापित करना सम्भव है। परन्तु हमारे पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि ये कारक संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की योजना की प्रगति में आंशिक रूप से बाधक हैं।

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्वीकारोक्ति

1858. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि श्री मुहम्मद अय्यूब ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भाषण में स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने 1947 में जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर आक्रमण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान ने यह स्वीकारोक्ति किस रूप में तथा किस प्रकार की भाषा में की थी तथा इस स्वीकारोक्ति का क्या लाभ उठाया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारतीय प्रतिनिधि, श्री मीर कासिम के वक्तव्य का जवाब देते हुए पाकिस्तान के प्रतिनिधि, श्री मोहम्मद अयूब ने 29 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नलिखित शब्द कहे थे :

"उन्होंने (श्री कासिम ने) पाकिस्तान पर इलज़ाम लगाया कि उसने एक बार नहीं बल्कि तीन बार हमला किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार पाकिस्तान पर हमलावर होने का इल्ज़ाम तब लगाया जबकि पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने काश्मीर पर हमला किया। किंतु उस समय काश्मीर भारत का अंग नहीं था। उस समय तक तो महाराजा ने विलयन का झूठा प्रस्ताव भी नहीं किया था।"

इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी और ज्यादा साफ़ शब्दों में स्वीकार किया था जब कि उन्होंने 7 दिसंबर 1960 को जकार्ता, इन्डोनेशिया, की एक आम सभा में कहा था :

". . . . . और इस तरह काश्मीर की समस्या खड़ी हुई, जहां कि मुसलमान आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। स्वभावतया हम पाकिस्तान के लोग उनकी मदद के लिए गए।"

पाकिस्तान के राष्ट्रपति की इस स्वीकृति का इस्तेमाल सरकारी प्रकाशनों में किया गया है और ये प्रकाशन संसार भर में बांटे गए हैं।

भारतीय विदेश सेवा विषयक समिति

1859. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री हरि विष्णु कामत :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी विदेश सेवा की पर्याप्तता का अनुमान लगाने तथा इसे सुव्यवस्थित एवं मजबूत करने के लिये सिफारिशें करने के निमित्त श्री एन० आर० पिल्ले की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने अपने कार्य में कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या समिति ने कोई अन्तरिम सिफारिशें की हैं अथवा करने वाली है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) समिति द्वारा अपना कार्य कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस समिति को अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 1966 तक देनी है। किंतु, वर्तमान आपाती स्थिति के कारण बहुत से और काम उठ खड़े हुए और उनमें उलझ जाने के कारण इस समिति के काम की गति धीमी पड़ गई।

(ख) और (ग) : इस समिति ने कोई मध्यावधि सिफारिशें नहीं की हैं और सम्भवत: वह ऐसा करेगी भी नहीं क्योंकि जिन बातों पर विचार किया जा रहा है वे ऐसी नहीं कि उन पर अलग-अलग करके विचार किया जा सके।

(घ) उम्मीद है कि यह समिति अब अप्रैल अथवा मई 1966 तक अपनी रिपोर्ट देगी।

Jodhpur Airport

1860. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether some further special arrangements have been made for the protection of the Jodhpur Airport; and

(b) if not, the reasons for the same?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) Necessary action is in hand.

(b) Does not arise.

Issue of Passports

1861. Shri Kapur Singh :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister has issued any order that the granting of passports should be expedited so that the applicants may get them conveniently and within a specified period; and

(b) if so, the steps being taken to implement these orders?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A draft of revised passport rules has been prepared by the Ministry of External Affairs which has been reviewed in consultation with the Ministry of Home Affairs. As several other Ministries are also interested, an inter-Ministerial meeting is planned in the near future to finalise the review. Thereafter necessary steps will be taken to implement the new rules.

मंगलौर पत्तन में नौसैनिक एकक

1862. **श्री बासप्पा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना अधिकारी मंगलौर गये थे और उन्होंने उस स्थान को नौसैनिक एकक स्थापित करने के लिये उपयुक्त पाया; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंगलौर पत्तन बन जाने पर वहां नौसैनिक एकक स्थापित करने का काम आरम्भ किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : मंगलौर में इस समय नौसेनिक विकास के लिए कोई योजना नहीं है, अभी तक इस बन्दरगाह की किसी नौसैनिक यूनिट की स्थापना के लिए उपयुक्त होने संबंधी छानबीन नहीं की गई ।

National Nutritional Advisory Committee

1863. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) the number of recommendations made by the Sub-Committee set up by the National Nutritional Advisory Committee in connection with the requirements of nutritional elements for families of labour class, which have been accepted by Government;

(b) the details thereof; and

(c) the measures being taken by Government to implement them?

Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya) : (a) to (c). The main recommendations of the Sub-Committee are:—

(i) For purposes of evaluating the nutritional requirements, the family should be taken as the unit and not the industrial worker.

(ii) In calculating the nutritional requirements the standard working class family should be taken to consist of 3 adult consumption units including the earner.

(iii) The minimum food requirements for the family as a whole should be calculated on the basis of a net intake of 2,750 calories per adult consumption unit in respect of families of workers in factories and plantations.

(iv) Special additional allowances will have to be made for workers in mines had in the comparatively heavier industrial occupations.

(v) The Committee has indicated some diet schedules for different regions. The Committee has also suggested that mere prescription of diet schedules was not enough but to be really effective it has to be preceded by sustained education in health and nutrition of organised sections like industrial workers.

In pursuance of (v) a Committee is being set up in the Ministry of Health to devise ways and means to educate industrial workers for improving their health and nutritional standards.

The Report has also been placed before the Labour Panel for 4th Plan so that it is taken into account for framing suitable recommendations for the 4th Plan.

Isreal's Attitude Towards India

1864. Shri Sidheswar Prasad : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the attitude adopted by Isreal at the time of Pakistan's attack on India;

(b) the nature of policy adopted by Isreal in respect of the Kashmir dispute; and

(c) the attitude adopted by that country at the time of the chinese attack on India?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) and (b). Isreal's attitude is reflected in the following extract from the statement of the Israeli Representative in general debate of the 20th session of the General Assembly on 7th October, 1965 :

> "Since the end of the Second World War, some fifty so-called 'local wars' have erupted. The latest example has been the fighting over Kashmir which we all pray is now being halted, in response to the Security Council's unanimous cease-fire resolutions and the peace mission of our dedicated and selfless Secretary General. Did the tons of thousands of widows and orphans left after these outbreaks find consolation in the thought that their bereavement was caused only by a local war? Need we be reminded of the destruction cause, or the tons of thousands of scorched acres? Nobody knows how a global war might begin, but all know what its end will be. As to local wars, we know how they might end".

(c) At the time of the Chinese aggression on India Isreal had informed us that they

> ".......fully appreciated India's restraint and forbearance as evidenced during the various stages of the border dispute........."

Report of Tanks and Machinery

1866. Shri Gulshan : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some industrialists of Punjab have offered to the Government of India, that they are prepared to repair the tanks and other machinery damaged in the recent Indo-Pak. conflict; and

(b) if so, the number of industrialists who have been assigned this job?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) A number of parties in various States including Punjab have offered their services to repair vehicles, machinery etc. No specific offer for repair of tanks has been received.

(b) The repair of some of the vehicles was entrusted to various private parties in Punjab. Information about the number of such parties is not avilable.

फिल्म वित्त निगम

1867. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़िल्म वित्त निगम के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : सरकार को फिल्म वित्त निगम से निम्नांकित प्रस्ताव मिले हैं :—

(1) अच्छी फ़िल्में बनाने के लिए फ़िल्म निर्माताओं को आर्थिक सहायता दी जाए।

(2) फ़िल्म वित्त निगम तथा आर्ट फ़िल्म की आर्थिक सहायता से बनी फ़िल्मों को दिखाने के लिये सिनेमा-घरों का निर्माण किया जाए।

(3) फ़िल्म वित्त निगम द्वारा फ़िल्में बनाई जाएं।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय हमें अधिक से अधिक किफायत करनी है, ऊपर के प्रस्ताव (1) तथा (2) विचाराधीन है और आशा है कि इन मामलों पर अन्तिम निर्णय जल्दी हो जाएगा। तीसरे प्रस्ताव के बारे में सरकार ने यह निर्णय किया है कि निगम को स्वयं फ़िल्म बनाने का काम नहीं करना चाहिए।

पश्चिमी पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों की भूमि पर पाकिस्तान का कब्जा

1868. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब तथा अन्य गुरुद्वारों की हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिस की वार्षिक आय अनुमानतः पांच अथवा छः लाख रुपये है तथा 18 वर्षों में अब तक पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के किसी लेखे में से यह राशि वसूल की जायेगी तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अमृतसर को दी जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) गुरुद्वारा ननकाना साहब और आसपास के अन्य गुरुद्वारों की ज़मीन की प्रबंध-व्यवस्था एक ऐसे बोर्ड के अधीन कर दी गई है जो पाकिस्तान सरकार द्वारा

अप्रैल 1960 में लागू की गई उस योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है जिसका सबंध धर्मार्थ (चैरिटेबिल), धार्मिक अथवा शिक्षण ट्रस्टी से संलग्न निष्क्रांत संपत्ति का प्रबंध और निपटान करने से है।

(ख) 1955 के पंत-मिर्ज़ा क़रार के बाद जो भारत-पाकिस्तान देव-स्थान सम्मिलित समिति स्थापित की गई थी, उसके ज़रिये इस विषय पर बातचीत चलती रही है। इस समिति की दूसरी बैठक के संबंध में पाकिस्तान सरकार अभी तक राज़ी नहीं हुई है जो हमने इसके लिए बार-बार ज़ोर दिया है।

वैमानिकों के रिक्त पदों पर काम कर रहे असैनिक क्लर्क

1869. श्री बड़े :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु सेना के मुख्यालय में इस समय वैमानिकों के रिक्त पदों पर कुल कितने असैनिक क्लर्क काम कर रहे हैं;

(ख) ये पद कितने समय से नहीं भरे गये हैं;

(ग) उन्हें वायु सेना के मुख्यालय में खपाने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) कितने यूनिट क्लर्कों को वायु सेना के मुख्यालय में यूनिटों की नियमित पदलियों में लगाया गया है और दिसम्बर, 1965 के अन्त तक कितने व्यक्तियों के खपा लिये जाने की संभावना है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 71।

(ख) यह 71 रिक्त स्थान समय समय पर जैसे निम्न दर्शाया गया है असैनिकों द्वारा पुरा किए जाने के लिए विमुक्त किए गए थे :—

(तिथि) से	संख्या
1-9-1961 से पहले	15
1-9-1961 .	23
7-6-1962 .	12
10-4-1963 .	1
30-5-1963 .	2
30-8-1963 .	1
16-1-1964 .	16
29-4-1964 .	1

(ग) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत इन क्लर्कों को सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों के काडर में खपाने का कोई उपबंध नहीं हैं, जिसके लिए प्रविष्टि यू० पी० एस० सी० के क्लर्क वर्ग के लिए परीक्षा द्वारा होती है। इसलिए यह उन क्लर्कों के लिए है जो आवश्यक आयु के हों उस परीक्षा में बैठने के अन्य अर्हताओं युक्त हों, और उस काडर के लिए अर्ह हों।

(घ) उपरोक्त सभी 71 असैनिक क्लर्क यूनिट काडर के, नियमित अवर श्रेणि क्लार्कों के सम्मिलित रोस्टर पर ले लिए गए हैं।

पंचायत समिति कार्यालयों के लिये टेलीफोन

1870. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1965 तक उड़ीसा में कितने पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन की व्यवस्था की जा चुकी थी; और

(ख) उक्त राज्य में पंचायत समिति कार्यालयों में टेलीफोन लगाने के लिये इस समय कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 30 सितम्बर, 1965 तक उड़ीसा में पंचायत समिति कार्यालयों वाले 128 स्थानों पर टेलीफ़ोन (सार्वजनिक टेलीफोन घर) की सुविधाएँ दी जा चुकी हैं; और

(ख) उड़ीसा में पंचायत समिति के कार्यालयों वाले स्थानों पर टेलीफोन (सार्वजनिक टेलीफोन घर) की सुविधाएं देने के लिए 186 आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं।

तिब्बती शरणार्थी

1871. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तिब्बती शरणार्थियों को अभी बसाना शेष है; और

(ख) उन्हे बसाने का वर्तमान कार्यक्रम क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) करीब 20,000 जिनमें लगभग 15,000 वे लोग भी शामिल हैं जो मजदूरों के रूप में पहले से ही काम कर रहे हैं।

(ख) मौजूदा पांच कृषि बस्तियों के अतिरिक्त एक और बस्ती मैसूर राज्य में बनाई जा रही है जिसमें करीब 4,000 तिब्बतियों को बसाया जाएगा। कई ऐसी औद्योगिक योजनाओं पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है जिनसे कोई 3,000 तिब्बतियों को रोजगार मिल सकेगा।

उड़ीसा में डाकिये

1872. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न डाकघरों में इस समय कितने डाकिये काम करते हैं;

(ख) उन में से कितने डाकिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं;

(ग) उन में से कितने डाकियों को मकान किराया भत्ता मिलता है; और

(घ) तीसरी पंचवर्षिय योजना में अब तक उन्हें कुल कितनी राशि का मकान किराया भत्ता दिया गया है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 765 ।

(ख) 139 ।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियां .		31
अन्य जातियां		168
	कुल	199

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियां		5,535 रुपये
अन्य जातियां . . .		47,546 रुपये
	कुल	53,081 रुपये

उड़ीसा में अधिसूचित किये गये रिक्त पद तथा उन पर की गई नियुक्तियाँ

1873. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1965 तक उड़ीसा में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के संस्थानों में कुल कितने रिक्त पद अधिसूचित किये गये थे; और

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से इन संस्थानों में कितनी रिक्त पद भरे गये ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) :

क्षेत्र	जनवरी-जून, 1965 के मध्य सूचित रिक्त स्थान	जनवरी-जून, 1965 के बीच भरे गए रिक्त स्थान
1	2	3
सरकारी क्षेत्र . . .	17,571	8,686
निजी क्षेत्र . . .	2,762	1,414
कुल .	20,333	10,100

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों में बेरोजगारी

1874. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1965 तक उड़ीसा में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को संख्या कितना थी; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को उक्त अवधि में रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) :

प्रार्थियों का वर्गिकरण	30 जून, 1965 को चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या	जनवरी-जून, 1965 के बीच काम पर लगाए गए लोगों की संख्या
1	2	3
अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार	5,043	967
अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	8,099	1,437

Labour Canteen in 'P' Block

1875. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Omkar Singh :
Shri Gauri Shankar Kakkar :
Shri Jedhe :
Shri V. T. Patil :

Will the Minister of **Labour** and **Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Canteen in 'P' Block has been closed;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the alternative arrangements made by Government with a view to making available foodstuffs to the employees at fair prices?

Minister of Labour & Employment (Shri Sanjivayya) : (a) The Departmental canteen of the Ministry located in 'P' Block has been shifted to 'Shram-Shakti Bhavan', Rafi Marg.

(b) Some of the Sections of the Ministry of Labour and Employment accommodated in 'P' Block for whose convenience the canteen was started were shifted to 'Shram-Shakti Bhavan'. The canteen in 'P' Block was, therefore, shifted to the new building to meet the needs of officers and staff there.

(c) The employees in 'P' Block can avail of the canteen facilities in "Shram Shakti Bhavan" and other Government buildings near about 'P' Block.

Detection of Nuclear Explosion

1876. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of Institutions in India in which atomic and nuclear explosions in the nearby areas can be detected;

(b) whether it is a fact that the atomic institutions in India could not detect the atomic explosions by China; and

(c) if so, the reasons therefor?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) Atomic and thermonuclear explosions can be detected by pressure waves in the air and by their fallout, if they are above the earth's surface, and by seismometers and seismic arrays if they are underground. Underground explosions can and have been detected by the Seismic Array at Gauribidanur in Mysore State set up by the Atomic Energy Establishment at Trombay. Pressure waves from overground explosions may be detected by some of the meteorological stations set up by the India Meteorological Department, if the explosion is big enough. They can be and have been detected by their fallout at some of the ten fallout detection stations from Srinagar to Ooty in South India set up by the Department of Atomic Energy.

(b) The Chinese explosions were detected in India by their fallout. Analysis of the fallout also enabled the conclusion to be reached that U-235 had been used.

(c) Does not arise.

प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन असैनिक स्कूल अध्यापक

1877. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय के अधीन असैनिक स्कूल अध्यापकों को यूनिट शिक्षा प्रशिक्षकों के स्थान पर नियुक्त किया जाता है;

(ख) क्या असैनिक स्कूल अध्यापकों को स्थायी घोषित नहीं किया जाता और उन्हें वर्षों तक अस्थायी रखा जाता है, क्योंकि उन्हें स्पष्टतः रिक्त पदों पर नियुक्त नहीं किया गया होता;

(ग) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने तथा इन अध्यापकों को स्थायी घोषित करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ स्नातक अध्यापकों को चपरासियों की वैकल्पिक नौकरियों की पेशकश की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) असैनिक स्कूल अध्यापक अल्प अवधियों के लिए इस शर्त पर नियुक्त किए जाते हैं कि यथासंभव जितना शीघ्र हो सके उनके स्थान पर सैनिक अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। जैसी ही और जभी सैनिक अध्यापक प्राप्त होते हैं, उन्हें फालतू करार दे दिया जाता है, और जहां शक्य हो सके उन्हें वैकल्पिक कामों में समंजित कर लिया जाता है।

(ग) उन असैनिक स्कूल अध्यापकों को खपाने के लिए, जो अभी सेवा में हैं, 5 वर्षों से अधिक सेवा वाले असैनिक स्कूल अध्यापकों का एक स्थायी काडर बनाने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) तथा (ङ) : कुछ फालतू स्नातक अध्यापकों को चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों के वैकल्पिक कामों पर लगाया गया है, क्योंकि रिक्त स्थानों के अभाव तथा उनकी निम्न वरीयता के कारण उन्हें समतुल्य स्थानों पर नहीं खपाया जा सका। उन द्वारा निम्न स्थानों को स्वीकार करने में रज़ामन्दी संबंधी प्रमाणपत्र दिए गए हैं।

Relation between the Indian Union and British Crown

1878. **Shri Jagdev Singh Sidhanti** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the legal relation between the Indian Union and the British Crown;

(b) the legal relation between the Indian Union and the Commonwealth;

(c) whether the Indian Union is fully independent of the British Crown; and

(d) whether the Indian Union is completely free to sever its relation with the British Crown?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) Since January 26, 1950, when India's present constitution came into force, India is a sovereign independent Republic. As far as the Constitution of India is concerned, the President of India is the Head of the State. The British Crown has no place under the Indian Constitution.

(b) India is a member of the Commonwealth;

(c) Yes, Sir. India is fully independent of the British Crown and owes no allegiance to it.

(d) Yes, Sir.

श्रीमती पण्डित की पश्चिमी "जर्मनी की यात्रा"

1879. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
[श्री प्र० चं० बरुआ :]

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को विशेष दूत के रूप में वर्तमान भारत पाकिस्तान संघर्ष के बारे में भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिये पश्चिमी जर्मनी भेजा गया था; और]

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हमारे ख्याल में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की यात्रा से जर्मन संघ गणराज्य सरकार द्वारा भारत पाकिस्तान झगड़े में भारतीय स्थिति को अच्छी तरह समझने में सहायता मिली।

पटना और रांची में रेडियो स्टेशन

1880. **श्री हु० च० सोय** : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची और पटना के रेडियो स्टेशनों के प्रसार उपकरण अपेक्षाकृत बहुत कमजोर हैं तथा इस क्षेत्र के श्रोताओं ने इस सम्बन्ध में शिकायतें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, पटना केन्द्र के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है, परन्तु रांची केन्द्र का ट्रांसमीटर कमज़ोर है, अतः इसके अच्छी तरह सुनाई न देने की शिकायतें आई हैं।

(ख) बिहार के उत्तर पूर्वी इलाकों में प्रसारण के लिए मध्यम शक्ति का एक ट्रांसमीटर भागलपुर में लग रहा है। दरभंगा से मैथिली भाषी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों और रांची से आदिवासी क्षेत्रों में प्रसारण के लिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में और ट्रांसमीटर लगाने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

1881. **श्री वारियर** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रिमंडल सचिव ने 8 अक्तूबर, 1965 को राष्ट्रीय रक्षा कोष के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संस्थाओं/संघों/संधानों का एक सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन किन संगठनों को बुलाया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सभी महत्वपूर्ण तथा मान्यता प्राप्त संगठनों को सम्मेलन में बुलाया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उनका सहयोग प्राप्त न करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग) : पाकिस्तान द्वारा आक्रमण से उत्पन्न संकट के समय यह सोचा गया था कि सरकारी कर्मचारी भी प्रतिरक्षा प्रयासों में भाग लेना चाहेंगे। इस सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धांत निश्चित करने के लिए, जो सामान्य रूप से सरकारी कर्मचारियों को मान्य हों, मंत्री मंडल सचिव ने दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनों के जो भी प्रतिनिधि मिल सके, उनसे अनौपचारिक भेंट की और विचार विमर्श किया। अनौपचारिक बैठक में जिन संगठनों के प्रतिनिधि आये थे, उनकी सूची संलग्न है।

सूची

1. भारतीय विदेशी सेवा संगठन (बी)।
2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी (सैक्शन आफिसर्स) (विभागीय परीक्षा श्रेणी) संगठन।
3. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (श्रेणि 1 अधिकारी) संगठन।
4. डाक अधिकारी संगठन।
5. भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) संगठन।

6. केन्द्रीय सचिवालय सेवा श्रेणी 1 संगठन ।

7. भारतीय पुलिस सेवा संगठन ।

8. सशस्त्र सेना मुख्यालय असैनिक अधिकारी संगठन ।

9. अखिल भारतीय प्रतिरक्षा लेखा सेवा संगठन ।

10. भारतीय सीमा शुल्क सेवा (श्रेणी 1) अधिकारी संगठन ।

11. केन्द्रीय सचिवालय सेवा (श्रेणी 1) अधिकारी संगठन ।

12. भारतीय सिविल तथा प्रशासन सेवा (केन्द्रीय) संगठन ।

इस विचार विमर्श के दौरान यह विचार किया गया कि सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय रक्षा कोष में स्वेच्छा से एक दिन का वेतन देकर, अथवा इसके बराबर मूल्य के प्रतिरक्षा पत्र खरीदकर और अपने काम को पहले से अधिक दक्षता से करके, प्रतिरक्षा प्रयास में उपयुक्त रूप से भाग ले सकते हैं । इन विचारों का व्यापक प्रचार हुआ । सभी संगठनों के सचिवों को भी आगे कार्यवाही करने के हेतु सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को सूचित करने के लिये कहा गया । किसी सरकारी कर्मचारी अथवा सरकारी कर्मचारियों के संगठन से सहयोग न लेने की कोई बात ही नहीं थी । यह समझना चाहिये कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठन इतने अधिक है कि मंत्रिमंडल सचिव के लिए उन सब से मिलना सुनिश्चित करना संभव नहीं था ।

पाकिस्तान को सैन्य सामग्री की सप्लाई

1882. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 8 नवम्बर 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर में के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान को कुछ देशों द्वारा सैन्य सामग्री दिये जाने के समाचार किन साधनों से प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इन समाचारो को सत्यता का पुष्टीकरण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इन देशों में से प्रत्येक का भारत के प्रति कैसा रुख है अर्थात् अमैत्री का अथवा मैत्री का, इस बारे में सरकार ने क्या धारणा बनाई है ; और

(घ) इस धारणा से उन देशों में से प्रत्येक के प्रति सरकार की नीति अथवा रवैये म यदि कोई परिवर्तन आया है तो क्या ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : ऐसी खबरें मिलती रहीं हैं कि पाकिस्तान को कुछ देशों से कुछ सैनिकसाज-सामान मिला है । बहुत से देशों ने राजनैयिक सूत्रों के ज़रिए भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है की उनके यहां से पाकिस्तान को सैनिक साज-सामान नहीं दिया जा रहा । सरकार इस ओर से पूरी तरह सजग है । जाहिर है कि जो देश पाकिस्तान को सैनिक सहायता दे रहे हैं उन्हें भारत का दोस्त नहीं समझा जा सकता ।

प्रतिरक्षा दल की रूस यात्रा

1883. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मत सिंहका : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न प्रकार का प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान प्राप्त करने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त अधिकारी दल हाल ही में रूस गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : अधिकारियों के जिस दल ने हाल में सोवियत संघ का भ्रमण किया, वह मुख्यतः वहां मिग उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में गया था ।

खान निरीक्षक

1884. श्री बड़े : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी खाने हैं तथा खानों के निरीक्षण के लिए सरकार ने खान निरीक्षकों के कितने पद निश्चित किए हैं;

(ख) क्या खानों में मरने वाले आदमियों तथा बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के आधार पर यह संख्या पर्याप्त है;

(ग) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1965 को इन अधिकारियों के बीस पद खाली थे तथा अर्हता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध होने पर भी इन पदों को स्वीकार नहीं कर रहे थे ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री संजीवय्या) :

(क) खानों की संख्या	3,884
खान-निरीक्षकों के पदों की संख्या	43

अन्य विभिन्न ग्रेडों के निरीक्षकों—जैसे कि सहायक निरीक्षक, प्रादेशिक निरीक्षक, आदि—के 57 पद हैं ।

(ख) यह कहना सत्य नहीं होगा कि खानों में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन मृत्यु-दर में, जो 1962 से घट रही थी, इस वर्ष घोरी कालियरी 28 मई को हुई भीषण दुर्घटना के कारण बढ जायेगी । परन्तु खानों के निरीक्षणों की अपेक्षित आवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है ।

(ग) 1-4-1965 को खान-निरीक्षकों के 19 पद खाली थे । संघ लोक सेवा आयोग पर्याप्त उम्मीदवारों की सिफारिश नहीं कर सका और आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों में से कुछ

ने नियुक्ति-प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये हैं। कुछ वर्षों के लिये योग्य खान-इंजीनियरों की भारी कमी रही।

(घ) सम्भवतः कुछ उम्मीदवारों ने खान-निरीक्षकों के वेतन-मान और सेवा-शर्तों को इतना आकर्षक नहीं समझा और उनके लिये अन्य स्थान पर अधिक अच्छा भविष्य था।

(ङ) अब कुछ स्थान तदर्थ भर्ती के आधार पर भर लिये गए हैं और इस ग्रेड में केवल 5 रिक्त-स्थान है। हाल के वर्षों में वेतन-मानों में दो बार संशोधन किया गया है और उचित खान-इंजीनियरों को आकर्षित करने हेतु सेवा-शर्तों के मामले पर भी विचार किया जा रहा है।

सिलाई प्रतिष्ठानों के कार्यकर्ता

1885. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सिलाई प्रतिष्ठानों के कार्यकर्त्ताओं की कार्य करने की स्थिति सम्बन्धी कृष्ण मूर्ति समिति की सिफारिशों को, जो दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वीकृत हैं, नियजकों द्वारा व्यावहारिक रूप में क्रिया करवाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) दिल्ली प्रशासन की औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी ने समझौता कराने के लिये मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बार विचार-विमर्श किया, परन्तु अभी तक समझौता सम्भव नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में प्रयास अभी भी जारी है।

(ख) विचार-विमर्शों से पता चलता है कि सम्बन्धित पक्षों में बहुत मतभेद हैं और उनके दृष्टिकोण पेचीदा हैं। अतः समझौता कराने में देरी हो गई।

समाक्ष तार सम्बन्ध (कोक्सिअल केबल लिंक)

1886. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में समाक्ष तार (कोक्सिअल केबल लिंक) के साथ सभी मुख्य नगरों को मिलाने की कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर कितना अनुमानित व्यय होगा ; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहधुरीय प्रणाली से भारत के महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों को जोड़ने के लिये निम्नलिखित योजनायें बनाने का प्रस्ताव है :—

1. जालन्धर-अमृतसर
2. अम्बाला–पटियाला–भटिंडा–फिरोजपुर
3. नई दिल्ली–मुरादाबाद–बरेली–लखनऊ
4. मेरठ–लखनऊ–हाथरस–आगरा

5. जोधपुर–बीकानेर
6. राजकोट–तेजपुर–घोराजी–पोरबन्दर तथा घोराजी–वेरावल ।
7. इलाहाबाद–जबलपुर
8. गोरखपुर–वाराणसी ।
9. मद्रास–विजयवाड़ा–कटक–खड्गपुर
10. विजयवाड़ा–सिकन्दराबाद
11. बंगलौर–गुंटकल–सिन्कदराबाद–नागपुर
12. कोयम्बटूर–सलेम–बंगलौर
13. मद्रास–कुड्डापेह–गुंटकल
14. बंगलौर–मैसूर
15. मद्रास–पोण्डिचेरी–तंजौर–त्रिची
16. तंजौर–कुराईकुडी–मदुराई
17. मदुराई–तिरुनेलवेली–नागर कोइल-त्रिवेन्द्रम ।

फिर भी, इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और इनमें रद्दोबदल हो सकती है ।

(ख) उक्त सभी योजनाओं की लागत लगभग छत्तीस करोड़ रुपये होगी होने की संभावना है। चूंकि योजनाओं को अभी तक अन्तिम रुप नहीं दिया गया है, अतः लागत में भी रद्दोबदल हो सकती है ।

(ग) योजनाओं की जांच की जा रही है । अभी तक वास्तविक काम में कोई प्रगति नहीं हुई है।

आकाशवाणी में "बृजभाषा"

1887. **श्री कृष्णपाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा हिन्दी भाषा की 'बृजभाषा' बोली को उचित मान्यता नहीं दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बृजभाषा के साहित्य एवं कला की उन्नति चाहने वाली संस्थाओं ने अभ्यावेदन भेजे हैं जिनमें बृजभाषा भाषी क्षेत्र में (मथुरा और इसके आसपास) एक स्थायी प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के लिये सरकार से प्राथना की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से बृजभाषा के कार्यक्रमों के लिये प्रति दिन एक अथवा डेढ़ घंटा नियत करने का सरकार का विचार की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बृज क्षेत्र के लिये, चौथी पंचवर्षीय योजना में एक रेडियो केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(घ) दिल्ली केन्द्र के अधिकांश कार्यक्रम हिन्दी में होते हैं । इसके अतिरिक्त, यह ब्रज, हरियाना गढ़वाल और दिल्ली नगर इन चार सांस्कृतिक क्षेत्रों की आवश्यकताएं भी पूरी करता है ।

ब्रज क्षेत्र के श्रोताओं के लिए दिल्ली केन्द्र 20 मिनट का एक कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इसके अलावा, 'लोक मानस' नामक रूपक माला के अन्तर्गत, ब्रज क्षेत्र की संस्कृति पर विविध कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दिल्ली केन्द्र से ब्रजभाषा में वार्ता, रूपक, संगीत, आदि के कार्यक्रम भी होते रहते हैं।

दिल्ली केन्द्र को इतनी अधिक और विविध प्रकार की आवश्यकताऐं पूरी करनी होती हैं, कि ब्रजभाषा के कार्यक्रमों का वर्तमान समय बढ़ाना संभव नहीं है। ब्रजक्षेत्र के लिये अलग केन्द्र खुल जाने के बाद, यह संभव हो सकेगा।

रोडेशिया में लड़ने वाले अफ्रीकियों को सहायता

1888. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोडेशिया में श्री इयान स्मिथ की सरकार के विरुद्ध लड़ने वाले अफ्रीकियों ने भारत सरकार से कोई सामग्री तथा वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जी नहीं। फिर भी, सरकार इसपर विचार करेगी ही ।

Nehru Memorial Trusts

1889. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the names of countries who have proposed to form Nehru Memorial Trusts?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : The information is being collected and the same will be laid on the Table of the House.

Flooding of area under our control by Pak

1890. **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Jag Dev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani troops had breached a canal on the 11th November, 1965 resulting in the flooding of the area in Bedian under our control;

(b) if so, the full details thereof; and

(c) the action taken by the Government in the matter?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Yes, Sir. On the 11th November, Pakistani troops breached the southern bank of Bhuchar Distributory in area 6 miles North of Bedian, in the Lahore Sector. The cutting of this Distributory caused flooding of some of our positions in the area.

(c) A cease-fire violation complaint has been lodged about this incident with the U. N. Military Observers.

स्मारक टिकट

1891. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1965 में भारत की गण्यमान्य विभूतियों के मानार्थ बहुत से स्मारक टिकट जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन विभूतियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितने कितने मूल्य के डाक टिकट जारी किये गये ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां।

(ख) जमशेदजी एन० टाटा, लाला लाजपतराय, पंडीत जवाहरलाल नेहरु, पं० गोविन्द बल्लभ पंत, सरदार वल्लभभाई पटेल, देशबन्धु चित्तरंजन दास तथा विद्यापति।

(ग) सभी मामलों में 0.15 पैसे के।

Hindi sections of All India Radio

1892. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that correspondents and editors who do not know Hindi are working in some Hindi Sections of All India Radio Stations;

(b) if so, whether it is harming the Hindi news service;

(c) whether non-English knowing employees are posted in English news section ; and

(d) if so, the reasons for not recruiting Hindi knowing journalists?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Newsprint

1893. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that she has advised the newspaper organisations to reduce the consumption of newsprint;

(b) if so, the extent of the reduction advised; and

(c) whether Government propose to take any steps to fix the number of pages of newspapers with a view to removing the legal difficulty after the judgement given by the Supreme Court in regard to the price-page schedule of the newspapers in June, 1965?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The news papers have been advised to plan and make adjustments immediately in the utilisation of their entitlement of printing and writing paper with a view to conserving as much newsprint as possible. The extent of reduction in the consumption of newsprint should be decided by the newspapers themselves.

(c) No, Sir.

वाराणसी छावनी बोर्ड क्षेत्र में चुंगी

1894. **श्री राम हरख यादव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी छावनी बोर्ड ने बहुत अधिक दर चुंगी लगा दी है जो जन साधारण के लिये अहितकर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त चुंगी लगाने से पहले भारत सरकार की अनुमति ले ली गई थी ; और

(ग) क्या जन साधारण के दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों अर्थात् साइकिल टाइप मशीन तथा ऐनकों आदि पर चुंगी की दर को कम करने का सरकार विचार कर रही है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हण) : (क) चुंगी के दर तथा ऐसे सामान का, जो चुंगी महसूल के अन्तर्गत आते हैं, वाराणसी छावनी बोर्ड द्वारा 13 नवम्बर, 1965 से संशोधन किया गया था, और वह उसी तिथि से नगरपालिका वाराणसी द्वारा लगाए गए महसूलों के समान स्तर पर लाए गए थे। संशोधन से पहले विचार किए जाने वाले महसूलों के संबंध में छावनी बोर्ड द्वारा जनता से सुझाव और आपत्तिएं आमंत्रित की गई थीं, परन्तु कोइ भी प्राप्त नहीं हुई थी। महसूल दर बहुत अधिक नहीं समझे गये।

(ख) जी हां।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चीन द्वारा पकड़े गये भारतीय सैनिकों की वापसी

1895. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनने पकड़े गए तीन भारतीय सैनिकों की वापसी के प्रश्न को आस्थगित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : हालांकि चीन सरकार ने 18 नवम्बर, 1965 के नोट में कहा था कि उन्होंने उन तीन सैनिकों का "निपटान करने के संबंध में विचार स्थगित कर दिया था", जो वे उठा ले गए थे, लेकिन बाद में 25 नवम्बर के नोट में चीन सरकार ने सैनिकों को वापस करने की इच्छा व्यक्त कर दी । ये तीनों सैनिक 28 नवम्बर, 1965 को वापस कर दिए गए ।

हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी (केरल)

1896. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा साबरीगिरी परियोजना में नियुक्त कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल का नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कम्पनी ने कर्मचारियों तथा उनके संघके साथ किये गये पहले समझौते को कार्यान्वित करने से इंकार कर दिया है ; और

(ग) कम्पनी तथा कर्मचारियों के बीच के विवाद को हल करने के लिये क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) केरल सरकार के श्रम विभाग द्वारा समझौता कार्य जारी है ।

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी दूसरा प्रादेशिक सम्मेलन

1897. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया और अफ्रीका के लिये सामाजिक सुरक्षा संबंधी दूसरा प्रादेशिक सम्मेलन 13 से 16 दिसम्बर, 1965 तक नई दिल्ली में होगा ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में कितने देश आमंत्रित किए गए हैं और कितने देश इसमें भाग लेंगे ; और

(ग) उसमें चर्चा के क्या-क्या मुख्य विषय होंगे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ने एशिया और ओशीनिया के लिए दूसरा क्षत्रीय सम्मेलन 13 से 18 दिसम्बर, 1965 तक नई दिल्ली में करने का आयोजन किया है ।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ने इस क्षेत्र के 18 देशों की ऐसी सामाजिक सुरक्षा संस्थाओं को निमंत्रित किया है जो इस संघ की सदस्य है । आशा है कि 18 देशों की संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेंगे ।

(ग) इस सम्मेलन की विचार-सूचि पर निम्नलिखित विषय हैं :—

(1) एशियाई देशों में सामाजिक सुरक्षा का अर्थ विगत अनुभव और भावी आयोजना ।

(2) नए वर्गों अथवा नए क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या योजनाएं चालू करने अथवा मौजूदा योजनाओं का ही इनमें विस्तार करने की पूर्व आवश्यकताएं—विशेषकर मौजूदा सरकारी, गैर सरकारी अथवा स्वयंसेवी चिकित्सा सुविधाओं के इस्तेमाल करने, प्रशिक्षण देने तथा चिकित्सा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के संदर्भ में ।

(3) प्राविडेन्ट फन्ड से पेंशन बीमा में बदली कराने के संबंध में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आर्थिक पहलू ।

(4) प्रादेशिक समितियों की दूसरी बैठक की रिपोर्टें ।

औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिये त्रिपक्षीय समिति

1898. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपातकाल में औद्योगिक कायकर्त्ताओं को हुई कठिनाइयों के सम्बन्ध में विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार केन्द्र में एक त्रिपक्षीय समिति के बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस समिति के सदस्य कौन कौन होंगे और इसके क्या कार्य होंगे ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : एक केन्द्रीय त्रिपक्षीय स्थायी समिति 18 नवम्बर, 1965 को गठित की गई ।

(ग) समिति का कार्य मजदूरों और प्रबन्धकों की मुख्य समस्याओं की समीक्षा और समाधान करना तथा जब आवश्यक हो तो उन्हें अन्तर्मन्त्रालय समिति के सामने आवश्यक कार्यवाही के लिये पेश करना है । इसका गठन इस प्रकार है :—

केन्द्रीय श्रम मंत्री	अध्यक्ष
मालिकों के प्रतिनिधि	3
1. एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इंडिया . .	1
2. आल इंडिया आरगेनाईजेशन आफ इंडस्ट्रियल एम्प्लायर्स	1
3. आल इंडिया मैनुफैक्चर्स आरगेनाईजेशन .	1

मज़दूरों के प्रतिनिधि	4
1. इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस .	1
2. हिन्द मज़दूर सभा . . .	1
3. आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस . .	1
4. यूनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस . .	1

चीनी उद्योग सम्बन्धी दूसरा मजूरी बोर्ड

1899. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या श्रम ओर रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग सम्बन्धी दूसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के बारे में कब तक अन्तिम रूप से निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ;

(ख) प्रस्तावित बोर्ड के सदस्यों और प्रधान के नाम क्या हैं; और

(ग) बोर्ड अपना प्रतिवेदन कब देगा ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : चीनी उद्योग संबंधी दूसरे मजूरी बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा विचारार्थ विषय दर्शाने वाले दिनांक 16 नवम्बर, 1965 के सरकार के संकल्प संख्या डब्लू० बी०—7(2)/65 की प्रतियां 23 नवम्बर, 1965 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

(ग) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और इस अवस्था में यह कहना कठिन है कि यह मजूरी बोर्ड कब अपना प्रतिवेदन दे सकेगा।

प्रथम एकता सम्मेलन

1900. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकी-एशियाई और लैटिन अमरीकी राष्ट्रों का प्रथम एकता सम्मेलन 3 जनवरी, 1966 को हवाना में होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस सम्मेलन में भाग लेगा; और

(ग) इस सम्मेलन की कार्यसूचि क्या होगी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार कोई प्रतिनिधि नहीं भेजेगी क्योंकि एकता आंदोलन का स्वरूप ग़ैर-सरकारी है। लेकिन अफ्रोएशियाई एकता संबंधी एक भारतीय संस्था है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्यालकोट अंचल में भारत द्वारा पाकिस्तानी विमान का गिराया जाना

1901. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किंदर लाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 नवम्बर, 1965 को भारतीय छोटे हथियारों की गोलियों द्वारा एक पाकिस्तानी विमान गिराया गया था, जब कि वह स्यालकोट अंचल के फिलौरा क्षेत्र में भारत द्वारा अधिकृत ठिकानों के ऊपर उड़ान कर रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) : 18 नवम्बर (न कि 19 नवम्बर) 1965 को 5 बज कर 40 मिनट पर सायं पाकिस्तान का एक हवाई-प्रेक्षण चौकी विमान वास्तविक नियन्त्रण रेखा के एक मील अन्दर आ गया था और स्यालकोट अंचल में फिलौरा क्षेत्र की हमारी रक्षित चौकियों के ऊपर उड़ता देखा गया था। विमान पर छोटे हथियारों द्वारा गोली चलाई गयी थीं, और उड़कर बाहर निकलते हुए विमान को तेज़ी से ऊंचाई से गिरता देखा गया था। इस घटना के संबंध में युद्ध विराम अतिलंघन की संयुक्त राष्ट्रों के सनिक प्रेक्षकों से शिकायत कर दी गई है।

आगरा के निकट विमान दुर्घटना

1902. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किन्दर लाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 नवम्बर, 1965 को आगरा (उत्तर प्रदेश) में हुई एक विमान दुर्घटना में एक पायलट अफसर मारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : मामला एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी द्वारा जांच अधीन है।

"A Date with Stars" Function

1903. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that "A Date with Stars" function was organised in aid of the National Defence Fund at the National Stadium, New Delhi on the 21st November, 1965;

(b) if so, the amount collected as a result thereof; and

(c) the expenditure incurred thereon?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The final accounts have not yet been cast but it is expected that the total collection will be about Rs. 5 lakhs whereas the expenditure will be about Rs. 1 lakh.

स्वामी राम तीर्थ के डाक टिकट

1904. श्री जेबे :

श्री वि० तु० पाटिल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के महान वेदान्त दार्शनिक स्वामी राम तीर्थ की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी अगली वर्षगांठ पर इसके जारी किये जाने की संभावना है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख) : जी हां ।

पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा गोलीबारी

1905. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने 21 नवम्बर, 1965 को 24 परगना ज़िले में वोइरा गांव में तथा नदिया ज़िलें (बंगाल) में गेडे में भारतीय ठिकानों पर गोलीबारी तेज़ कर दी और इस तरह गेडे में एक नया मोर्चा खोल दिया ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 1483 दिनांक 29 नवम्बर, 1965 के उत्तर में कहा गया है पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाएं नवम्बर 1965 मास में भारतीय सीमा की चौकी वयरा (जिस को वोयरा भी कहा जाता है) गोलाबारी करती रही हैं। तदपि ऐसा नहीं बताया जा सकता कि 21 नवम्बर, 1965 को गोलाबारी ज़ोरों पर की गई थी । पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं ने 19 नवम्बर, 1965 को गेडे में भी हमारी चौकियों पर गोलाबारी शुरु कर दी थी। यह गोलाबारी समय समय पर जारी रही है ।

(ख) पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे गए थे । जभी आवश्यक समझा गया उत्तर में आत्मरक्षा में हमारी सुरक्षा सेनाओं ने भी गोलियां चलाई। अन्य उपाय जो भी और जब भी आवश्यक समझे गए किए जाएंगे ।

दिल्ली के निकट विमान दुर्घटना

1906. श्री बृजबासी लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 नवम्बर, 1965 को दिल्ली के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना हो जाने के कारण एक पायलेट आफिसर की मृत्यू हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी हां। दुर्घटना मुरादनगर से 3 मील उत्तर-पश्चिम को हुई थी।

(ख) दुर्घटना की जांच के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आदिष्ट कर दी गई है। दुर्घटना का कारण उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर जाना जा सकेगा।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

1907. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को 13 और 17 नवम्बर 1965 को दौरान भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करने के लिए विरोध पत्र भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई उत्तर मिला है तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभी कोई जवाब नहीं मिला है।

Supply of Guns at All India National Rifles Association

1908. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Karni Singhji :
Shri N. R. Laskar :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry had given an assurance to supply twelve-bore guns and ·315 bore rifles to the All-India National Rifles Association from the Ordnance Factory;

(b) whether it is also a fact that the Rifles Association made a written request to the Ordnance Factory for the supply of 12-bore guns and ·315 bore rifles at fair prices;

(c) if so, the causes of the delay in the supply of the aforesaid arms;

(d) whether the cartridges for ·315 bore rifles are manufactured in India; and

(e) If so, the present production thereof?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Due to the suspension of production of sporting arms in the ordnance factories since the emergency, it has not been possible to meet the requirement of the Association which is fairly large.

(d) and (e). The cartridges for ·315 bore rifles were previously manufactured in ordnance factories. The production has been suspended since the Emergency.

आयुध कारखानों में स्टेनोग्राफर

1909. श्री रिशांग किशिंग : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963 में आयुध कारखानों के महानिदेशालय में काम करने वाले स्टेनोग्राफरों ने अपनी शिकायतों के बारे में आयुध कारखानों के महानिदेशक को एक ज्ञापन पेश किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या थीं तथा उन पर क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कुछ स्टेनोग्राफर जून 1963 में डी० जी० ओ० एफ० को मिले थे, और उन्होंने उसे बिना दस्तखतों के, अपने मामले से संबंधित, एक विवरण देते हुए, अपनी शिकायतें बताई थीं ।

(ख) उनकी शिकायतों का सार था, डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालयों में क्लर्की स्टाफ का स्टेनोग्राफर पद को उन्नति की प्रत्याशंसा का अभाव । निर्णय किया गया कि सहायकों के तौर पर कुछ समय के लिए परीक्षण के पश्चात् उपयुक्त वरिष्ठ स्टेनोग्राफरों की उन्नति के लिए, सुपरिन्टेण्डेण्टों के चार स्थान सुरक्षित किए जाएं ।

(ग) दिसम्बर, 1964 से 10 स्टेनोग्राफरों को सहायकों के तौर पर काम करने का अवसर प्रदान किया गया है । एक और वर्ष के पश्चात् उनकी सुपरिन्टेण्डेण्टों के चार सुरक्षित स्थानों के लिए उपयुक्तता पर विचार किया जाना है । डी० जी० ओ० एफ० कर्मचारी-संघ ने कलकत्ते के उच्च न्यायालय में जनवरी 1965 में एक याचिका दी थी, कि डी० जी० ओ० एफ० रक्षा मंत्रालय स्टेनोग्राफरों को क्लर्की कार्यों और सुपरिंटेण्डेण्टों के तौर पर नियुक्त करना वापस लेले, निरसित कर दे या विरत कर दे । इसके पश्चात एक अन्तरिम निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की गई थी कि अधिकरणों को रोका जाए कि वह स्टेनोग्राफरों को क्लर्की काडर में नियुक्त न करें । जबकि वह अन्तरिम निषेधाज्ञा की मांग मानी नहीं गई थी, उच्च न्यायालय ने एक निदेश जारी किया है कि क्लर्की काडर स्टेनोग्राफरों का आगे नियुक्त किया जाना या उनकी सुपरिन्टेण्डेण्टों के स्थान पर नियुक्ति के संबंध में मुख्य नियम के अन्तिम फैसले का पालन किया जाए । मामले के इस पहलू पर अपने वैधिक सलाहकारों के साथ सलामशविरे से अधिक जांच हो रही है । उपरोक्त (ख) में उल्लिखित फैसले की कार्यान्विति अन्तिम निर्णय पर निर्भर होगी ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में स्टेनोग्राफर

1910. श्री रिशांग किशिंग : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्त्रालय के सम्बन्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे श्रेणी 2 के स्टेनोग्राफर सुपरिन्टेंडेंट के पदो पर पदोन्नत हो सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी पदोन्नति की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) रक्षा मन्त्रालय की निम्न विरचनाओं में दूसरे वर्ग का कोई स्टेनोग्राफर नहीं है । ए० एफ० एच० क्यू० और अन्तः सेवा संगठनें दूसरे वर्ग के

स्टेनोग्राफर सुपरिंटेन्डेंट वर्ग में पदोन्नति के लिए विचार जानने के लिए अधिकारी नहीं हैं; ऐसी पदोन्नतियों के लिए केवल प्रथम वर्ग के स्टेनोग्राफर सुपरिन्टेंडेंटों के कुछ पद के उन्नति के अधिकारी हैं, जो उनके लिए सुरक्षित रखे गए हैं ।

(ख) दफ्तरी कार्यवाही में आवश्यक अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट वर्षों के लिए, सहायक के तौर काम करने को प्रतिनियुक्त होने के पश्चात् डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालयों में, दूसरे वर्ग के स्टेनोग्राफरों में से सुपरिन्टेण्डेंटों के पदों के लिए पदोन्नतिएं की जाती हैं ।

पुर्तगाल में चुनाव

1911. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पुर्तगाल की नेशनल असेम्बली के आगामी आम चुनावों के लिये गोआ, दमन और दीव का प्रतिनिधित्व करने के लिये पुर्तगाल में उम्मीदवार खड़े किये गये हैं ;

(ख) क्या उक्त समाचार सच है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से विरोध प्रकट किया गया है अथवा कोई अन्य कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । सरकार का ध्यान इन खबरों की ओर दिलाया गया है कि 7 नवंबर, 1965 को पोर्तुगीज़ नेशनल असेम्बली के जो चुनाव हुए थे उनमें गोआ, दमन और दीव का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार भी खड़े किए गए थे ।

(ख) यह खबर सही है और यह पता चला है कि तीन व्यक्ति चुने गए थे ।

(ग) और (घ): पुर्तगाल सरकार से इसके लिए विरोध नहीं प्रकट किया गया है क्योंकि गोआ, दमन और दीव भारत संघ के अभिन्न अंग हैं और पुर्तगाल की इस तरह की कार्यवाही की ओर ध्यान देना आवश्यक अथवा महत्वपूर्ण नहीं समझा गया ।

राजस्थान में दूसरी परमाणु भट्टी

1912. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में दूसरी परमाणु भट्टी स्थापित करने के लिये कार्रवाई करने से पूर्व कनाडा की सरकार ने कुछ गारण्टियां मांगी हैं अथवा कुछ शर्तें रखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : (क) से (ग) : राजस्थान परमाणु विद्युत प्रायोजना के दूसरे रिएक्टर का निर्माण भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा किया जायेगा । आयात किये जाने वाली रुढ़ सामग्री और उपकरणों पर होने वाले व्यय के लिये वित्तीय सहायता कनाडा या किसी अन्य देश से ली जायेगी । कनाडा सरकार से कोई औपचारिक सूचना जिसमें ऐसी सहायता के लिये शर्तें दी गई हों नहीं मिली है ।

अखबारी कागज की कमी

1913. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज़ की कितनी कमी है, और

(ख) कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका से छठे नान प्राजेक्ट ऋण करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, और उसके अन्तर्गत धन राशी का बंटवारा स्थगित हो गया हैं । अतः इस सहायता के अन्तर्गत चालू वर्ष में अमरीका से जो लगभग 9,450 मीटरी टन अखबारी कागज़ का आयात होने वाला था, उसका मिलना अब अनिश्चित है ।

(ख) 1 दिसम्बर, 1965 को हुई अखबारी कागज सलाहकार समिति की बैठक में स्थिति पर विचार किया गया और अखबारों से कहा गया है कि वे अपने अंश के अखबारी और छपाई व लिखाई के कागज़ को इस ढंग से इस्तेमाल करें, जिससे अखबारी कागज का खर्च यथासम्भव कम हो ।

"Dhol Ki Pol" Programme

1915. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the popular programme "DHOL KI POL" which was being broadcast daily from the Delhi Station of All India Radio is not being broadcast for the last few days;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that since the programme is not being broadcast, a number of requests are being received from the listeners of All India Radio for the resumption of its broadcast; and

(d) if so, when it will be possible to resume its broadcast?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) It is not correct to say that the programme "Dhol Ki Pol" was being broadcast daily. There were occasional gaps between the days which it was broadcast, owing to the exigencies of the Stations programme schedule. The programme was discontinued with effect from 12-11-1965, as even the best programmes tend to lose their appeal and originality if continued indefinitely.

(c) A few such requests have been received.

(d) We are considering bringing out this programme in different form.

आगरा जनरल पोस्ट आफिस में विस्फोट

1916. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 नवम्बर, 1965 को आगरा जनरल पोस्ट आफिस, आगरा में भारी विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो विस्फोट से कितनी क्षति हुई; और

(ग) विस्फोट किन कारणों से हुआ ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां। 24 नवम्बर, 1965 को प्रातः लगभग 11.50 बजे आगरा प्रधान डाकघर के हाल में एक एक मिनट के बाद दो विस्फोट हुए थे।

(ख) पार्सल के दो थैलों में आग लग गई और उनका कुछ हिस्सा जल गया। खिड़की, दरवाजे और रोशनदानों के कुछ शीशे टूट गए और एक छत का पंखा क्षतिग्रस्त हो गया। चौथी श्रेणी के दो कर्मचारियों को बहुत मामली चोटें आईं।

(ग) गोंडा के सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट द्वारा अगरा के इंस्पैक्टर आफ एक्सप्लोसिव्ज को भेजे गए एक पार्सल में, जिसमें विस्फोटक पदार्थ रखे थे, डाक उतारते समय विस्फोट हुआ। यह भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा 19 के विरुद्ध था, जिसका उल्लेख डाकघर निर्देशिका के खण्ड 202 (4) में किया गया है।

भूमि के नीचे खानों में काम करने वाले मजदूरों को पुरस्कार

1917. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खानों में सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद ने वास्तव में भूमि के नीचे काम करने वाले मज़दूरों को तिमाही पुरस्कार देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो ये पुरस्कार कब से दिये जाने लगेंगे;

(ग) प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे सरकार तथा मज़दूरों को कहां तक लाभ होगा ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष की चौथी तिमाही से।

(ग) इस पुरस्कार को पाने के लिए विशिष्ट मजदूर को दुर्घटना से मुक्त रहना चाहिए और तिमाही में कम से कम 90 प्रतिशत हाज़री होनी चाहिए। अभी तक यह प्रतियोगिता रानीगंज और झरिया कोयला-क्षेत्रों की खानों के लिए सीमित होगी जिनमें पिछले वर्ष 1600 अधिक मज़दूर काम करते थे। प्रत्येक कोयला-क्षेत्र में हर तिमाही में 6 पुरस्कार दिए जाएंगे— इनमें से पहला पुरस्कार 200/- रु० का, दूसरे दो पुरस्कार सौ-सौ रुपये के और तीसरे तीन पुरस्कार पचास-पचास रुपये के होंगे।

पुरस्कार लाटरी द्वारा निकाले जायेंगे।

(घ) आशा है कि विजेताओं को प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ के अलावा इस योजना से—

(i) उत्पादन में वृद्धि होगी।
(ii) अनुपस्थिति में कमी होगी।
(iii) अर्जित मज़दूरी में वृद्धि होगी।
(iv) मज़दूरों में और अधिक सुरक्षा चेतना का विकास होगा।

बलोचिस्तान में बाजार निधियों के कर्मचारी, जो अब भारत में सेवा करते है

1917-क. श्री बूटा सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलोचिस्तान में स्थानीय निधियों, अर्थात् "बाजार निधियों" का प्रबंध और नियंत्रण पूर्णत: सरकार द्वारा किया जाता है और ये निधियां पंजाब और दिल्ली के स्थानीय निकायों के समान नहीं हैं, जिनके लिए सदस्य या तो चुने जाते हैं अथवा नाम-निर्देशित किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या बलोचिस्तान में "बाजार निधियों" के कर्मचारियों को मूल नियम 130 तथा सी० आई० एस० (वेतन का संशोधन) नियमों, 1947 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी माना जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। 31-3-1938 से पहले सरकार बलोचिस्तान में "बाजार फंड्स" की प्रबंध व्यवस्था नहीं करती थी।

(ख) 31-3-1938 से पहले के "बाजार फंड्स" के कर्मचारियों को सरकारी नौकरों के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

(ग) बलोचिस्तान में "बाजार फंड्स" केवल स्थानीय निधि थी और उन निधियों के कर्मचारियों को केंद्रीय राजस्व से अदायगी नहीं की जाती थी; इस तरह उन कर्मचारियों को सरकारी नौकरों के रुप में नहीं माना जा सका।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE. MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY)

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा करेंगे।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना भेजी है और इस से पूर्व कि आप सदस्यों को ध्यान दिलाने वाली सूचना पढ़ने के लिये कहें, नियमों के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर पहले चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। मैंने नाम नहीं देखा परन्तु यह उनका स्थगन प्रस्ताव हो सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आप कभी कभी नाम पढ़ लिया करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी पता लगा है कि वह श्री नाथ पाई का स्थगन प्रस्ताव नहीं था। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब मेरे पास वह प्रस्ताव आयेगा, उन्हें उसके बारे में सूचना दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चीनी सैनिकों के थागला रिज के पार से अनाक्रमण

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिणपूर्व) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह उसपर एक वक्तव्य दें :

"चीनी सैनिकों द्वारा थागला रिज के पार से अतिक्रमण"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 26 नवम्बर, 1965 को सशस्त्र चीनी सैनिक बड़ी संख्या में थागला क्षेत्र में घुस आये और उन्होंने उस क्षेत्र में कई स्थानों पर चौकियां बना ली। पहली दिसम्बर को दोपहर बाद लगभग 250 सशस्त्र चीनी सैनिक नामचाकू नदी के दक्षिण में और आगे बढ़ आये और उनमें से लगभग 100 दक्षिणी किनारे पर पहुंच गये और वहां चौकियां स्थापित कर लीं।

थाग ला पहाड़ी के क्षेत्र में घुस आने के बाद चीनीयों ने उस बीस किलोमीटर विसैन्यीकृत क्षेत्र का उल्लंघन किया जिसे उन्होंने स्वयं स्थापित करने का दावा किया था और थागला पहाड़ी को पार करके उन्होंने अपने इस आश्वासन का भी उल्लंघन किया कि उनका दावा चाहे कुछ भी हों, वह उस क्षेत्र को खाली रहने देंगें।

नवीनतम सूचनाओं के अनुसार चीनियों ने नामचाकू घाटी से 2 दिसम्बर को पीछे हटना आरम्भ कर दिया था और इस समय उस घाटी में कोई चीनी सैनिक मौजूद नहीं है।

ऐसा दिखाई देता है कि चीनी घुसपैठ हमारी सीमाओं पर चीन द्वारा हमें परेशान करने की नीती का एक भाग है। हम इस घुसपैठ के बारे में चीन से पहले ही विरोध प्रकट कर चुके हैं।

हम सक्रिय रूप से तथा सतर्कता से उन सभी क्षेत्रों की निगरानी कर रह हैं। परन्तु हमें अपनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी योजना के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि चीन हमपर दबाव डालने का प्रयत्न कर रहा है ताकि हम अपनी सारी सेना उत्तरी सीमा पर तैनात रखें। इसका सैनिक अभिप्राय यही है। उनका इरादा यह भी है कि पाकिस्तान पर भी यह दबाव डाला जाये कि वह भारत के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखे। इसके पीछे यही एक बड़ा राजनैतिक इरादा प्रतीत होता है। जैसी सैनिक स्थिति उत्पन्न होगी, निश्चय ही हमें उसकी ओर ध्यान देना होगा और उसके अनु-सार कार्यवाही करनी होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार, विशेषकर माननीय प्रधान मंत्री, का यह विचार है कि इस समय चीनियों द्वारा इस प्रकार जानबूझकर भड़काये जाने के पीछे उनका यह इरादा है कि ताशकन्द वार्ता के कुछ दिन पूर्व तनावपूर्ण वातावरण पैदा किया जाये ?

प्रधान मंत्री तथा अणशक्ति मंत्री (श्री लालबहादूर शास्त्री) : चीन की नीति सामान्यतया यह है कि हमारी सीमाओं पर तनाव बना रहे। ऐसा मालूम होता है कि वर्तमान तनाव इसी रवैया के कारण जारी है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : भारत द्वारा भेजे गये विरोध-पत्रों के कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकले है। इस दृष्टि से क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री देश

को यह आश्वासन दे सकते हैं कि चीन के इरादों को निष्फल बनाने के लिये और चीनियों हमारे क्षेत्रों से भगाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जिन-जिन क्षेत्रों में अतिक्रमण हुये हैं, वहां हम सदैव ही सतर्क रहते हैं। हमें इस बारे में अपनी प्रतिरक्षा योजना के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The Chinese have intruded thirty kilometers into our territory and we have only sent protest notes. The Prime Minister had said at Roorkie that even if Pakistan and China both launched an attack on India, we were able to defend ourselves against them. May I know whether it is not in contradiction of the Prime Minister's statement that we are not using force against them but are sending the protest notes only?

Shri Lal Bahadur Shastri : What I said at Roorkie was that it appeared that both Pakistan and China intend to fight with India and therefore, there is no way left for us but to give them a tough fight. Insofar as the use of force is concerned, I would like that the Hon. Members should leave it to the Government to take suitable action. If we discuss this matter daily, it may create difficulty for us.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether the Chinese who intruded into our territory were equipped with heavy armaments and whether the Government had been apprised by the Intelligence Department; if so the steps taken by the Government to check them before they could intrude into our territory.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने पहले भी कहा है कि इस प्रकार के अतिक्रमणों को रोकना बिल्कुल कठिन है क्योंकि सीमा की प्रत्येक इंच भूमि पर सरकार सिपाही तैनात नहीं कर सकती। इस में कोई सन्देह नहीं कि जासूसों ने हमें सूचना दी थी और ज्यों ही चीनियों ने हमारे क्षेत्र में घुसने का प्रयत्न किया, हमें पता लग गया।

Shri Bade (Khargone) : I would like to know whether the Government is contented with the protest-notes; and whether our army did not take any action and allowed the intruders to enter our territory?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने अभी बताया कि सीमा के सभी भागों पर हमारी सेना तैनात नहीं है; वे किसी-किसी समय इस बात से लाभ उठाने और हमारी सीमा में घुसने का प्रयत्न करते हैं।

Shri Bagri (Hissar) : It has been seen that the Chinese troops intrude into our territory time and again and they are driven off as and when they intrude. May I know whether Government's activities would be confined to driving them out or the Government propose to take some other steps in this regard?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने पहले भी इस बारे में कहा है। वे हमें उत्तेजित करना चाहते हैं परन्तु हम इस प्रकार उत्तेजित नहीं होंगे।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : भारत को अपने स्वीकृत सिद्धांतों पर चलने से विचलित करने के लिये पाकिस्तान तथा चीन की सांठ गांठ को ध्यान में रखते हुये क्या प्रधान मंत्री ताशकन्द वार्ता के दौरान प्रसिडेंट अयुब को यह बतायेंगे कि हम अपनी सीमाओं पर हो रहे निरन्तर अतिक्रमणों को बरदाश्त नहीं करेंगे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह स्पष्ट है और इस में कोई सन्देह नहीं कि मुझे यह बात दोहराने की आवश्यकता नहीं। मैंने इस बारे में पहले ही स्पष्टतया कहा हुआ है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : हमारी सीमाओं पर बार बार होने वाले अतिक्रमणों से यह धारणा उत्पन्न हो गई है कि एक दलीय सरकार इन अतिक्रमणों को नहीं रोक सकती और इनकी बड़ी चुनौती का सामना करने के सभी राष्ट्रवादी दलों की एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जानी चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं कि यह धारणा कहां तक ठीक है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री अ० प्र० शर्मा।

श्री प्र० के० देव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होने प्रश्न पूछा है। यही काफी है।

Shri A. P. Sharma (Buxar) : May I know why the Chinese are not taught a lesson so that they might not dare intrude into our territory again?

Mr. Speaker : All the questions pertain to this very aspect of the issue.

श्री अल्वारिस (पंजिम) : यह अतिक्रमण या तो हमें उत्तेजित करने के लिये किये जा रहे हैं या यह देखने के लिये कि हमारी तैयारी कितनी है और जब वे यह देखते हैं कि हम ठीक प्रकार तैयार नहीं हैं तो वे हमारे क्षेत्र में अधिक आगे घुस आते हैं। क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और पर्याप्त तैयारियां की हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह मामला सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह इन परिस्थितियों में क्या कार्यवाही करे।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : May I know the places our army is patrolling in this area at present?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह जानकारी देना जन हित में नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह अतिक्रमण चीनियों द्वारा 1962 में किये गये भारी आक्रमण की याद दिलाते है। मैं जान सकता हूं कि यदि फिर भारी आक्रमण हुआ तो हमारे मित्र देशों में से किस-किस देश ने हमे तुरंत तथा पर्याप्त सहायता देने का आश्वासन दिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अतिक्रमणों का जहां तक सम्बन्ध है, हमने सभी बड़े बड़े राष्ट्रों को इस बारे में सूचना भेजी है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Chinese have intruded into Indian territory many times since September. May I know whether Russian and American Ambassadors have been apprised of the situation and also that the member of the House of Representative of U. S. A., who is in India at present and the members of Senate who are expected to come here would also be informed? May I also know whether they have been informed further that we would be requiring their assistance in the action we would be taking against the Chinese?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अतिक्रमणों के सम्बन्ध में सभी महत्वपूर्ण देशों के राजदूतों को अवगत किया गया है और इसमें अमरीका तथा रूस के राजदूत भी शामिल हैं। जहां तक इन अतिक्रमणों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता

हूं कि हमें यह मालूम करना होगा कि वास्तव में इनके पीछे चीन का क्या इरादा है। निश्चय ही ऐसा प्रतीत होता है कि वह हम पर कुछ दबाव डालना चाहते है ताकि हम अपनी सारी सेना उत्तरी सीमा पर तैनात करें। उनका सामरिक इरादा यही है। साथ-साथ वे पाकिस्तान पर भी यह दबाव डालना चाहते हैं कि वह भारत से अपना संघर्ष जारी रखें। यह उनका राजनैतिक इरादा मालूम देता है। जैसी सामरिक स्थिति उत्पन्न होगी उसी के अनुसार हमें कार्यवाही करनी होगी। जब तक यह पता नहीं लगेगा कि कैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, किसी से सहायता मांगने का प्रश्न नहीं उठता। सोवियत संघ तथा दूसरे देश सामान्य रूप से हमें सहायता दे रहे हैं परन्तु यह सहायता किसी विशेष देश के विरुद्ध नहीं है।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : May I know whether the Colombo Powers have also been apprised of the situation?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक विसैन्यीकृत क्षेत्र तथा वास्तविक नियन्त्रण रेखा का सम्बन्ध है, यह घोषणा कोलम्बो राष्ट्रों ने नहीं परन्तु स्वयं चीन ने की थी कि इस क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। परन्तु अब उन्होंने स्वयं ही अपना आश्वासन पूरा नहीं किया है।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : क्या यह सच है कि भूतान तथा भारत में नागरिकों के रूप में कई चीनी घुस आये हैं और क्या उनको भी निकाला जायेगा?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सूचना का कोई आधार नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि चीनी सैनिक इसलिये अतिक्रमण कर रहे हैं कि वे उस क्षेत्र में गुरेला युद्ध आरम्भ करना चाहते हैं; यदि हां तो क्या सरकार ने गुरेला युद्ध का मुकाबला करने के लिये तैयारियां कर ली हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी भी प्रकार के गुरेला युद्ध की कोई सम्भावना नहीं है। यदि उन्होंने हमारे क्षेत्र में इस उद्देश्य से घुसने का प्रयत्न किया तो हम यथोचित कार्यवाही करेंगे। हम वही गलती नहीं होने देंगे जो 1962 में हुई थी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हम यह जानना चाहेंगे कि वे गलतियां किस ने की थी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह इस प्रश्न से संगत नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की अेक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सहित सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5300/65।**]

रेलवे दुर्घटना समिति की सिफारिशों की अनिर्णीत मदों पर सरकार की टिप्पणियां

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान्, मैं श्री स० का० पाटिल की ओर से रेलवे दुर्घटना समिति, 1962 की सिफारिशों (भाग 1 तथा 2) की अनिर्णीत मदों पर सरकार की टिप्पणियों की अेक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5301/65।**]

भारतीय श्रम सम्मेलन आदि के 23 वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) 30 और 31 अक्तूबर, 1965 को नई दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 23 वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5302/65।**]

(2) जून, 1965 में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के 49 वें अधिवेशन में भारत सरकार के प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन [**पुस्तकालय में देखिये। संख्या एल० टी० 5303/65।**]

वित्तीय समितियां—एक समीक्षा

FINANCIAL COMMITTEES—A REVIEW

सचिव : मैं "वित्तीय समितियां (1964-65)—एक समीक्षा" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश के प्राप्त होने की सूचना देनी है :—

"कि लोक-सभा द्वारा 16 सितम्बर, 1965 को पारित किये गये कोयला खान, भविष्य निधि तथा अधिलाभांश योजनायें (संशोधन) विधेयक, 1965 से राज्य-सभा अपनी 1 दिसम्बर, 1965 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

उड़ीसा सरकार के लेन-देन पर विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन के बारे में निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य

STATEMENT UNDER DIRECTION 115 RE : SPECIAL AUDIT REPORT ON ORISSA GOVERNMENT TRANSACTIONS

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : श्रीमान्, 3 नवम्बर, 1965 के एक तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र मलिक द्वारा एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कि क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार के सौदों में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और इसलिये उड़ीसा लोक लेखा समिति के सभापति, श्री आर० एन० सिंह देव मामले को स्थगित रखना चाहते हैं जबकि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने उन से इस मामले पर लोक लेखा समिति में यथासम्भव शीघ्र विचार करने के लिये कहा है, गृह-कार्य मंत्री, श्री नन्दा ने कहा था कि यह यथार्थता सही है।

लोक लेखा समिति के सभापति, श्री आर० एन० सिंह देव के 4 नवम्बर, 1965 के प्रेस वक्तव्य से यह स्पष्ट पता चलता है कि उस समय तक उन्हें उड़ीसा के मुख्य मंत्री की इस प्रार्थना के बारे में कुछ पता नहीं था कि इस मामले को शीघ्रता से निपटाया जाये। इस के विपरीत लोक लेखा समिति द्वारा कई बार यह कहने पर भी कि लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये, सरकारने उस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करने में विलम्ब किया हालांकि उन्हें वह प्रतिवेदन मई, 1965 में प्राप्त हुआ था। लोक-लेखा समिति के सभापति ने आगे यह कहा कि यह आशा करना अनुचित होगा कि समिति को जल्दबाजी में किसी कार्यवाही करने के लिये कहा जाये। श्रीमान्, मैं यह कहूंगा कि गृह-कार्य मंत्री को उड़ीसा लोक लेखा समिति के सभापति पर दोष नहीं लगाना चाहिये विशेषकर जबकि राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में उड़ीसा के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये बहुत गम्भीर आरोपों के केवल एक भाग के बारे में ही छानबीन की गई है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : चूंकि अनुपूरक प्रश्न बहुत लम्बा था इसलिये मेरे ध्यान में उस प्रश्न का केवल पिछला भाग ही था, जिस में यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिपक्षी नेता चाहते हैं कि उस विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर अभी विचार स्थगित किया जाये, जबकि मुख्य मंत्री ने उन्हें इस पर शीघ्र विचार करने के लिये कहा है, जब मैंने यह बताया था कि यह यथार्थता सही है।

इस स्थिति को यथार्थता सही मानने में मैं मुख्य मंत्री द्वारा उड़ीसा लोक-लेखा समिति के सभापति को 27 अक्तूबर, 1965 को लिखे गये पत्रपर निर्भर कर रहा था जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि उस समय तो आपने बड़ी चिंता प्रकट की थी, परन्तु यह एक आश्चर्यजनक बात है कि जबकि प्रतिवेदन विधान सभा में एक महीना पहले रख दिया गया था जबसे वह लोक-लेखा समिति को मिल गई थी, अब आप इस पर विचार छः महीने तक स्थगित करना चाहते हैं। आगे उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि यदि आप समझते हैं कि लोक लेखा समिति इस थोड़े-से समय में 1965 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर उचित रूप से विचार नहीं कर सकती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि 1965 के अध्याय 4 में समाविष्ट किये गये विशेष लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति दो अथवा तीन सप्ताहों में सुविधापूर्वक विचार कर सकेगी। यदि ऐसा किया जाये तो आगामी महीने की 29 तारीख को आरम्भ होने वाले आगामी सत्र में प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किया जा सकेगा। अन्तिम कंडिका में उन्होंने यह लिखा था कि चूंकि यह प्रतिवेदन आपके कहने पर मांगा गया था अतः यह उचित होगा कि इस प्रतिवेदन पर आपके सभापतित्व में वर्तमान समिति द्वारा ही विचार किया

[श्री नन्दा]

जाये और इसे आगामी वर्ष में मार्च तक बनने वाली एक नई समिति के लिये नहीं छोड़ा जाये। मुझे विश्वास है कि आप अपने निर्णय पर पुन: विचार करेंगे। अत्यधिक देरी करना लोक-हित में नहीं होगा। यह पत्र श्री आर० एन० सिंह को 4 नवम्बर को हुए उनके प्रेस सम्मेलन के पश्चात प्राप्त हुआ था।

यह एक खेदजनक बात है कि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि मैं लोक लेखा समिति के सभापति को दोषी ठहराने का प्रयत्न कर रहा हूं। लोक लेखा समिति के सभापति पर आक्षेप लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

बयालिसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलढाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 42वें प्रतिवेदन से जो 3 दिसम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 42 वें प्रतिवेदन से, जो 3 दिसम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*Motion was adopted.*

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक

DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION) AMENDMENT BILL

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*Motion was adopted.*

श्री त्यागी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक

DELHI HIGH COURT BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय का गठन करने, उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हिमाचल प्रदेश के संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तार करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय का गठन करने, उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हिमाचल प्रदेश के संघ राज्यक्षेत्र तक विस्तार करने तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*Motion was adopted.*

श्री हाथी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के बारे में

RE : ORDINANCE ISSUED BY GOVERNOR OF U. P.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान्, पहले कि अगले विषय पर विचार किया जाये, मैं आप से सविनय निवेदन करूंगा कि आप इस बात पर प्रकाश डालें कि केवल दो अथवा तीन व्यक्तियों को बचाने के लिये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की अपनी शक्ति का दुरुपयोग किये जाने के प्रश्न को सभा में क्यों नहीं उठाया जा सका है । यह आपातकाल है...........

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से इसे नहीं उठाया जा सकता है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह आपातकाल है; और..........

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं यहां इस का उत्तर नहीं दूंगा तो श्री कामत मुझे क्षमा करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस आपातकाल में संघ सरकार राज्यपाल को मंत्रणा दे सकती है।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास आकर इस बारे में मेरे से बातचीत कर सकते हैं अथवा वह मुझे लिख सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, यह मेरे और आप के बीच कोई निजी मामला नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मामला है। मैं आप से सविनय निवेदन करता हूं कि आप लोक हित में इस मामले पर प्रकाश डालें।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : Mr. Speaker, it has been reported in the Press that the Prime Minister would make a statement regarding Shri T. T. Krishnamachari. May I know whether that statement would be made by the coming Friday?

Mr. Speaker : How can I ask about it now. Such statements are made on Fridays and we can ask about it only at that time.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आपने अन्तिम रूपसे यह निर्णय दे दिया है कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का नहीं है । **(अन्तर्बाधाएं)** ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । सभा अब अगले विषय पर चर्चा करेगी ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : एक विशेष समय में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किया जाना विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के सिद्धान्त का हनन करना है । क्या आप हमें इस मामले को इस सभा में उठाने में सहायता देंगे कि इसे यहां कैसे उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले को केवल इस प्रकार से यहां उठाये जाने के बारे में आपत्ति की है । यदि मैं अब इस मामले को उठाने की अनुमति दे देता हूं तो मैं अन्य मामलों को उठाये जाने से कैसे रोक सकता हूं । ज़िम्मेदार दलों के नेताओं को मेरी इस कठिनाई को महसूस करना चाहिये । इस मामले को इस प्रकार से नहीं उठाया जाना चाहिये ।

---

(1) खाद्य स्थिति तथा (2) अनावृष्टि के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव--(जारी)

MOTIONS RE : (i) FOOD SITUATION AND (ii) SITUATION ARISING OUT OF DROUGHT CONDITIONS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब खाद्य स्थिति तथा अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री कृ० ल० मोरे (हतकंगले) : श्रीमान्, इस संकट की घड़ी में जब हमें भुखमरी, अकाल और खाद्यान्न सम्बन्धी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में मुझे पूर्ण आशा है, कि जिस प्रकार हमारे जवानों ने युद्ध क्षेत्र में शत्रु के दांत खट्टे किये हैं, उसी प्रकार हमारे देशभक्त किसान भी अपने देश को इस संकट की घड़ी में बचाने के लिये इस समय की चुनौती का सामना करेंगे और अपनी परीक्षा में पूरा उतरेंगे और अपने देशवासियों तथा अन्य जीवों के जीवन को सुरक्षित रखने में सफल रहेंगे ।

खाद्य मंत्री ने जिस ढंग से खाद्य स्थिति की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए इस संकट से बचने के लिये जो उपाय सुझाये हैं उससे हमें काफी उत्साह मिला है । फिर भी मैं यह बताना चाहूंगा कि किसी कारगर समाहार प्रणाली के बिना खाद्यान्नों के मूल्यों अथवा वितरण पर किसी प्रकार का नियंत्रण सम्भव नहीं है । समूचे देश में समाहार की एक समान नीति को अपनाने से ही सरकार को खाद्यान्न का अधिक स्टाक मिल सकेगा । राज्य खण्डों को बनाये रखने तथा अनाज इकट्ठा करने के लिये कोई भी ढंग अपनाने की स्वतत्रंता राष्ट्रीय हित के लिये हानिकारक होगी । देश के हित तथा बलिदान की समानता के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए यदि अधिक अनाज पैदा करने वाले राज्य तथा कमी वाले राज्य आपस में सहयोग करेंगे तो खाद्यान्न की कमी से उत्पन्न हुई कठिनाईयों का बहुत हद तक निवारण हो जायेगा । परन्तु राष्ट्रीय हित में अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत संसद को कृषि सम्बन्धी राज्य विषयों पर विधान बनाने

की शक्ति का प्रयोग करना और भी अधिक वांछनीय होगा। इस समस्या का स्थायी हल यह है कि खाद्य व्यापार का समूचे रूप से राष्ट्रीयकरण किया जाये। इससे खाद्यान्नों के सम्भरण तथा इसके मूल्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखा जा सकेगा।

जहां तक बाहर से खाद्यान्न मंगाने का सम्बन्ध है, वर्तमान स्थिति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार को बाहर से अनाज मंगाना चाहिए और हमें पी०एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आयात का स्वागत करना चाहिए क्योंकि इस समय इस के अतिरिक्त और कोई उपाय नही है।

केवल बड़े नगरो में राशन-व्यवस्था लागू करने की बजाय सारे देश में इसे लागू किया जाना चाहिए क्योंकि केवल नगरों में ही राशन की व्यवस्था करने से कई कठिनाईयां उत्पन्न हो जायेंगी।

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, हमने खाद्य समस्या को हल करने के लिये कोई भरसक प्रयत्न नहीं किये हैं। हमें अपनी योजना में कृषि को अत्यधिक महत्व देना चाहिये।

इस सम्बन्ध में उच्चतम प्राथमिकता सिंचाई को दी जानी चाहिये। हाल ही में मौन-सून के असफल रहने से हमें शिक्षा लेनी चाहिये कि केवल सिंचाई परियोजनाये ही हमें ऐसी स्थिति से बचा सकती है।

महाराष्ट्र में सिंचाई सम्बन्धी बहुत कम सुविधाये उपलब्ध हैं। कृष्य भूमि का केवल 6.5 प्रतिशत में सिंचाई होती है। मैं माननीय मंत्री से अपिल करुंगा कि वहां पर सिंचाई परियोज-नायें आरम्भ की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र में खाद्यान्न की कमी 22 लाख टन से बढ़कर 60 लाख टन हो गई है। अतः सरकार को महाराष्ट्र सरकार की सहायता करनी चाहिए तथा इसे अधिक अनाज दिया जाना चाहिए, किसानों को हर प्रकार की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। ढोरों के लिये चारे के भण्डार होने चाहिए और अकालग्रस्त क्षेत्रों में नियोजन तथा खाद्य की प्राप्ति के सम्बन्ध में संरक्षण दिया जाना चाहिए।

श्री बालकृष्णन (कोयलपट्टी) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, वर्ष 1965 में हमें दो शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा है, एक पाकिस्तान का तथा दूसरा अनावृष्टि का। हमें पाकिस्तान का इतना भय नहीं है, परन्तु अनावृष्टि से उत्पन्न हुई स्थिति की हमें अत्यधिक चिंता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आगामी वर्ष हमारे देश के लिये शुभ तथा समृद्धिशाली सिद्ध होगा।

मौनसून के असफल रहने से हमारे गांव में 18 तालाबों में से एक तालाब में भी पानी नहीं है। यहां नहीं कुओं में भी पानी उपलब्ध नहीं है लोगों को पानी ढूंढ़ने के लिये इधर उधर जाना पड़ता है। फसलें भी नष्ट हो गई हैं।

पहले कि हम किसी दीर्घकालीन नीति के बारे में सोच विचार करें, हमें अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की सहायता के लिये अपातकालीन कदम उठाने चाहिये। किसान बेकार हो गये हैं अतः हमें उन्हें कुओं के खोदने, उन्हें गहरा करने, नये तालाबों का निर्माण करने तथा छोटे नालों को खोदने का कार्य दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो लोगों के लिये मुफ्त भोजन का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

खेद है कि गांवों में उचित मूल्य की दुकाने खोलने के बारे में कोई प्रयत्न नहीं किये गये हैं।

[श्री बालकृष्णन]

छोटी तथा मध्यम पैमाने की योजनाओं को तुरन्त आरम्भ कर दिया जाना चाहिए। पलार-पोरूण्डलर, खुथिरायर तथा वर्दम्मा नदी योजनाओं को शीघ्रता से क्रियान्वित किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी मध्यम पैमाने की योजनाओं पर बहुत कम लागत आने का अनुमान है।

जहां तक दीर्घकालीन नीति का सम्बन्ध है, हम सदा आयातों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं अतः हमें अपने देश को आत्म-निर्भर बनाना चाहिए। ऐसा केवल घनी खेती द्वारा ही किया जा सकता है। हमें अनुसन्धान की ओर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अनुसन्धान तथा विज्ञान द्वारा ही न केवल अमरीका परन्तु कई एशियाई देश भी अनाज का अधिकाधिक उत्पादन करने में सफल रहे हैं।

सधन खेती द्वारा हम आत्म निर्भर नही बन सकते। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे खाद्य मंत्री इस बात को जानते है और उन्होंने अनुसंधान के महत्व को समझ लिया है। हमें अपने किसानों के रवैय में तबदीली लानी होगी। जब तक वे लोग यह महसुस नही करते कि कृषि उत्पादन उनका बढ़ाना ही कर्तव्य है तब तक यह काम पूरा नही हो सकता। हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि किसानों में एक प्रकार की जागृति आ जाये। उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करना होगा।

कृषि विभाग में समन्वय नही है। इस के कारण किसानों को बहुत कठिनाई होती है। किसानो कोकर्ज, उर्वरक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कई कार्यालयों में जाना पडता है। अतः सरकार को चाहिए कि किसानों को सभी प्रकार की सुविधाये एक ही स्थान पर उपलब्ध करे। भूमि सुधारों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। थकबन्दी से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। हमारे देश में कई धनी लोग जमीन ले लेते है और उसे आगे भाटक पर दे देते हैं इससे उत्पादन में वृद्धि नही हो पाती। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : इस विषय पर प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक सत्र में यहां पर चर्चा होती है। सरकार की हर बार यहां पर निन्दा होती है। माननीय मंत्री को कहना चाहता हूं कि उन्हें देश को अच्छा अनाज उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्न करने चाहिये। इस बारे में हमें अपने सोचने के ढंग में आमूल परिवर्तन करना होगा और अपनी कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन करना होगा। ऐसा करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते है। यदि हम अपने प्रयत्नों के बावजूद भी सफल नहीं होते तो जिम्मेदारी हमारी ही होगी। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह यह बताये कि आत्म निर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये उनकी क्या योजना है। वह कृषि में किस प्रकार सुधार करना चाहते हैं उन्हें यह भी बताना चाहिये हाल ही में रोम में उनकी श्री फ्रीमैन से क्या बातचीत हुई थी।

हमने पहले बहुत भाषण सुने हुए हैं। मेरा खाद्य मंत्री से अनुरोध है कि वह वास्तविक स्थिति को समझे और ठीक ठीक स्थिति के बारे में बतायें। अब मैं माननीय मंत्री तथा सभा के ध्यान में तीन ऐसे उदाहरण लाता हूं जहां कि खाद्यान्नों के बारे में बहुत लापरवाही की गई है। 3 सितम्बर 1965 के हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है कि पंजाब में 15,000 टन चावल जो 84 लाख रुपये का है खराब हो रहा है और उसे पंजाब सरकार उठा नही रही है। कलकत्ता के हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ट के 24 अक्तूबर, 1965 के अंक में छपा है कि कलकत्ता के पोर्ट कमिशनर के शेडों में लगभग 1,000 टन गेहूं खराब हो रहा है और सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस प्रकार के और भी कई उदाहरण हैं। इनसे सरकार की लापरवाही का परिचय होता है। मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिये कि खाद्यान्नों का चूहों, तथा कीटों द्वारा

कितना नाश हो होता है और इसको बचाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं। प्रशासनिक कठिनाईयों को दूर करने तथा विभिन्न विभागों में समन्वय लाने के लिये माननीय मंत्री क्या कदम उठा रहे हैं।

माननीय मंत्री ने कृषि उत्पादन बोर्ड के स्थापित किये जाने की बात कही थी। यह बोर्ड देश में कृषि कार्य के लिये कार्यक्रम निर्धारित करेगा तथा उनकी कार्यन्विति को देखेगा।

मंत्री महोदय वित्त वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री को भी इस बोर्ड का सदस्य बनाना चाहते है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कृषि उत्पादन बोर्ड का पुन: गठन करना चाहती है और प्रधान मंत्री को इसका सभापति बनाया जायेगा इसी प्रकार राज्यों में भी कृषि मंत्रालयों का कार्यभार मुख्य मंत्री स्वयं संभाल लेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों में अनाज की वसुली और उसके वितरण आदि के लिय उचित व्यवस्था कर दी गई है। माननीय मंत्री को राशन व्यवस्था के बारे में भी बताना चाहिये। इस सम्बन्ध में बहुत गलतफहमी फैली हुई है। उन्हें ठीक ठीक स्थिति बतानी चाहिये और क्या सभी राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से सहमत हैं।

यह ठीक है कि हमें पी० एल० 480 पर निर्भर नहीं करना चाहिये परन्तु जब तक हम स्वयं आत्मनिर्भर नहीं हो जाते हमें खाद्यान्नों का आयात करना ही पड़ेगा। भुगतान संतुलन कि स्थिति में अमरीका भी इतनी अच्छी स्थिति में नही है अत: हमें अपने देश में ही आत्मनिर्भरता के लिये अधिक प्रयत्न करने होंगे।

देश के बहुत से राज्यों सुखे के कारण अकाल पड़ने का खतरा बढ़ गया है। मेरे राज्य राजस्थान में ही इस से 55 लाख व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने का भय है। यह राज्य सरकार के सुत्रों से पता चला है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री बताये कि आगामी वर्ष में स्थिति का मुकाबला करने के लिये उन्होंने क्या योजना बनायी है। आज देश को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने रेगिस्तानी इलाके के खेती योग्य बनाने के लिये एक प्राधिकारी की स्थापना की थी। इस को लगभग दो वर्ष हो चुके हैं। मुझे गर्व है कि इस योजना को मैंने हीं आरंभ कराया था। इस में विलम्ब हो रहा है। यदि इसे ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जाये तो बहुत से भूमि कृषि उत्पादन के योग्य बनाई जा सकती है। इससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधारी जा सकती है। मुझे सरकार के इस संकेत पर प्रसन्नता है कि इस बारे में अगले वर्ष कार्य शुरू कर दिया जायेगा। इसके लिये निर्धारित की गई धनराशि में कमी कर दी गई है। यह ठीक नहीं है।

रेगिस्तानो क्षेत्र को ठीक करने के लिये विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता है। प्रो० मार्टिन जोन्स ने जो आक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं सुझाव दिया है कि हमें रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिये पाइपों का प्रयोग करना चाहये। कई स्थानों पर फालतू पानी है। वहां से पानी लाया जा सकता है। सरकार को इस सुझाव पर ध्यान करना चाहिये और कोई योजना बनानी चाहिये। मेरा माननीय मंत्री जो से अनुरोध है कि इस बारे में हमें कुछ बतायें।

सरकार को अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के चारे के लिये भी व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब रहती है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को कोई योजना तैयार करनी चाहियें और चारा भण्डार स्थापित करने चाहिये। इस योजना की केन्द्र सरकार को उदारता से सहायता करनी चाहिये।

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

हमारे देश के समक्ष बहुत सी समस्याएं हैं। हमें अपना अत्याधिक जनशक्ति का पूरा पूरा प्रयोग करना है। सरकार को अपनी नीतियों को और अधिक प्रयत्नों से लागू करना चाहिये। हमें अधिक तत्परता से कार्य करना है और देश को प्रगति के मार्ग पर अग्रेसर करना है।

[श्री प्र० के० देव पीठासीन हुए
SHRI P. K. DEO *in the Chair*]

सरकार को समस्याओं का अध्ययन करके प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिये। हमें आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये सभी संसाधनों को जुटाना चाहिये और इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिये। हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि के व्यवसाय में लगा हुआ फिर भी हम इस मामले में आत्म निर्भर नही है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें बतायें कि उनकी क्या क्या योजनायें हैं।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : माननीय मंत्री ने बताया है कि वह इस कठिन स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या क्या कार्यवाही कर रहे है। मैं जानना चाहती हूं कि अब तक खाद्यान्नों का भण्डार क्यों नहीं बनाया जिस के बारे में हम बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं। आज इस कठिन स्थिति के समय उसकी आवश्यकता अनुभव हो रही है।

पहले भी जब इस विषय पर चर्चा हुई थी तो नये कार्यक्रम के बारे में कहा गया था हमें बताया गया था कि इस सम्बन्ध में बहुत हो रहा है। अब फिर उसी प्रकार की बातें हो रही हैं परन्तु केवल बातों से काम नही चल सकता। मैं माननीय मंत्री की आलोचना नहीं कर रही हूं। मैं समझती हूं कि उनकी अपनी भी मुश्किलें हैं। सरकार ने भूमि सुधारों के बारे में और कार्यवाही करनी चाहिये। भूमि को जोतने वालों को उसका स्वामित्व देने पर कुछ नहीं किया गया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। इस बारे फोर्ड फाउंडेशन के एक सदस्य ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उससे लाभ उठाया जाना चाहिये।

अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी कम्पनियां कृषि का कार्य करेंगी। इससे तो हमें पुरानी जमीनदारी प्रथा ही फिर से आरम्भ कर देनी चाहिये। उन लोगों भूमि के बारे में अधिक जानकारी है। मैं कम्पनियों द्वारा कृषि कार्य करने के पक्ष में नहीं हूं। सरकार को अपनी प्रशासनिक प्रणाली में भी आवश्यक परिवर्तन करने चाहिये। केवल तभी कुछ अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये हमें पश्चिमी राष्ट्रों की नकल नही करनी चाहिये और अपनी स्थितियों के अनुसार सोचकर समस्याओं का समाधान करना चाहिये। गांधीजी ने हमे यही बात सिखाई थी। जब तक हम उस मार्ग पर नही चलते हमारी कोई योजना सफल नही हो सकती।

सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि कानूनी राशन व्यवस्था लागू की जाये। मैं चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में समूचे देश के लिये एकसमान नीति अपनायी जाये।

पश्चिमी बंगाल में इस वर्ष चावल का उत्पादन कम हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में सहायता देने का आश्वासन दिया था, परन्तु यह कब पूरा किया जायेगा हमे मालूम नहीं है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने अनाज की वसुली का एकाधिकार ले रखा है। यह कार्य पूरे देश में होना चाहिये और मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये। दिल्ली में

बहुत देर से राशन व्यवस्था लांगू की जा रही है। अन्य राज्यों वाले दिल्ली का अनुसरण करते है। अतः यह कार्य शीघ्रता से होना चाहिये था।

कई राजनैतिक दल सरकार की नीतियों से अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार लोगों के हित को सर्वोपरि मान कर अपनी नीतियां निर्धारित करती है।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : भारत एक बड़ा कृषि-प्रधान देश है, हमारी जनसंख्या के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं: इस के बावजूद, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमें खाद्य संकट पर वाद-विवाद करना पड़ रहा है।

माननीय मंत्री ने स्वयं कहं है कि स्थिति बहुत चिंताजनक है। खाद्यान्न की कम पर बल देकर हमें देश में आंतक नहीं फैलाना चाहिय । जितना अधिक आंतक फैलेगा उतनाही अधिक झुकाव जमाखोरी की ओर होगा और जितना भी फालतू बेचा जाने वाला अन्न होगा, उतना ही उसकी वसुली कठिन हो जायेगी।

माननीय मंत्री ने कहा था कि पिछली फसल का कुछ अन्न बचा हुआ होगा। इस बचे हुये अन्न को प्राप्त करने के लिये हमें वसुली सम्बन्धी नीति अपनानी होगी। ग्रामदान और श्रमदान की भान्ति एक शल्यदान आन्दोलन चलाया जाना चाहिये। इस आदोलन से कम से कम 20 लाख टन खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है।

अतिथि नियंत्रण आदेश दृढ़तापूर्वक लागू किया जाना चाहये। यह अपील की जानी चाहिये कि समारोहो में खाद्यान्नों का उपभोग कम हो। घरों तथा होटलों में दस लाख टन खाद्यान्न नष्ट होता है। यदि हम उचित पग उठाये तो हम यह दस लाख बचा सकते हैं।

अल्प-कालिक उपायों के रुप में सरकार ने पहले ही दोहरी फसल का मामला उठाया है। दोहरी फसल के लिये नियमित रुप में पानी का सम्भरण किया जाना चाहिये। नलकूपों का प्रबन्ध उदारता से किया जाना चाहिये।

उर्वरकों और रासायनिक खादों की हमें बहुत कमी है। मुझे खेद है कि हम गोबर के इंधन के रुप में प्रयोग को नहीं रोक सके हैं। इस का प्रयोग खाद के रुप में किया जाना चाहिये। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा चाय का चूरा जलाया जाता है। उसका प्रयोग खाद के रुप में किया जाना चाहिये। यह बहुत अच्छा उर्वरक है। संयुक्त स्कन्ध समवायों को कृषि-कार्य में भाग लेने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। यह प्रसन्नता की बात है कि एसोसियेटिड सीमेंट कार्पोरेशन पंजाब में कृषि कार्य आरम्भ कर रहा है। यह बहुत ही अच्छी बात है।

खाद्यान्न की देशी फसल और व्यापारिक फसलों और आयात की गई गेहूं के मूल्यों में समानता शीघ्र निर्धारित की जानी चाहिये।

कृषकों को दिये जाने वाले ऋण का सम्बन्ध उत्पादिकता से जोडा जाना चाहिये न कि उनकी ऋण लेने की क्षमता से। यह ऋण समय पर मिलना चाहिये और जहां तक सम्भव हो, वस्तु के रुप में दिया जाना चाहिये। किसी वर्ष को आधार मान कर वास्तविक किसानों को अतिरिक्त उत्पादन के लिए ऋणों पर ब्याज में और भू-राजस्व में छूट दी जानी चाहिये।

कीटनाशक औषधियों का प्रमाणीकरण किया जाना चाहिये। कृषि गवेषणा की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। राज्यों में कृषि विभाग का प्रभार मुख्य मंत्री और निकट-

[श्री प्र० चं० बरुआ]

तम वरिष्ठ मंत्री द्वारा सम्भाला जाना चाहिये। कृषि कार्यक्रमों के लिये जिला के मुख्यायुक्त को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये।

कृषि के विचार से आसाम समृद्ध राज्य है। हमारे राज्य के सामने दो स्थायी समस्यायें हैं। भूमि का कटाव तथा बाढ़े। यदि उनको सुलझा दिया जाये तो यह राज्य अनाज की खान बन सकता है और उससे पी० एल० 480 की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री मुत्तु गोंडार (तिरुपत्तूर) : खाद्यान्न की कमी दो करोड़ टन की है। हमें खाद्य के मामले में समस्यायों को सुलझाने में यथार्थता का ढंग अपनाना चाहिये। नये नारे लगाने का कोई लाभ नहीं है। एक समय भोजन न करने से कोई लाभ नहीं होगा। इस समस्या का यह हल नहीं है। अब भी लगभग 15 करोड लोग एक समय भोजन नहीं कर रहे हैं। यदि सरकार यह समझती है कि रात्रि कम खाना न खाने से यह समस्या हल हो सकती है तो ऐसा दो बार करना होगा। इस समय इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है कि खाद्यान्न का आयात किया जाये। हम किसी जादू से छः मास में अथवा एक वर्ष में पर्याप्ति मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ वर्षों के लिए पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातित अनाज पर निर्भर करना होगा। अधिक्र अन्न उपजाओं आंदोलन आरम्भ कर के ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।

जिस प्रकार सरकार हमारे जवानों को आधुनिक शस्त्र नहीं दे पाई है, उसी प्रकार वह कृषकों को आधुनिक सामान नहीं दे पाई है। हमें सघन खेती करनी चाहिये। किसान ऐसा करने के लिये तैयार हैं। परंतु सरकार उन्हें आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिये तैयार नहीं है। सघन कृषि केवल उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहां पर सिंचाई के लिये जल की निश्चित व्यवस्था है। हम ऐसे क्षेत्र में, जहां पर्याप्त जल उपलब्ध हो, श्रम प्रधान खेती कर सकते हैं। संकट बीजों के लिए उर्वरकों की भारती मात्रा में आवश्यकता है। इन 17 अथवा 18 वर्षों में सरकार नारों में लगी रही है और उसने उर्वरक प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न नही किया है। यदि सरकार के भरसक प्रयत्न किया होता तो उर्वरक में हम अब तक आत्मनिर्भर हो जाते। परन्तु सरकार ने उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये अपना कर्तव्य नहीं किया है।

सघन कृषि के लिये औजारों की आवश्यकता है। हमें टैक्टर चाहिये। सरकार को भारी संख्या में टैक्टर एक साथ प्राप्त करने चाहिये और उन्हें भूमि जोतने वालों को बिना उत्पादन शुल्क के बेचा जाना चाहिये। रुस ट्रैक्टर देने के लिये तैयार है। यदि हम यह ट्रैक्टर प्राप्त कर के कृषकों को दें तो कृषि में क्रान्ति आ जायेगी।

सरकार चारे के भण्डारों की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रही है। प्रश्न यह है कि चारा प्राप्त कहां से किया जायेगा। हम इस समय कपास, गन्ने, पटसन आदि जैसी धन कमानेवाली फसलों की कृषि कर रहे हैं। इसलिए, चारा मिलने की कोई संभवना नहीं है। अपने खेतों के यंत्रीकरण से ही हम मूसा प्राप्त कर सकते है और अपने पशुओं की रक्षा कर सकते है और दूध की समस्या को हल कर सकते हैं।

सघन कृषि के कार्यक्रम के लिए कृषको को प्रोत्साहन दिया जाना चाहये। आजकल एक बुद्धिमान कृषक अन्न की फसल नहीं उगाता बल्कि वह व्यापारिक फसलें उगाता है क्योंकि उसमें लाभ अधिक होता है। इसलिये यदि सरकार वास्तव में ही खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो उसे कृषक को प्रोत्साहन देना चाहिये और उसके लिए केवल मूल्य स्तर ही

एक प्रोत्साहन है। जब तक अन्न और व्यापारिक फसलों का मूल्य समान नहीं होता, कोई कृषक अन्न का उत्पादन नहीं करेगा। इसके लिये खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा कृषकों को मनवाने की आवश्यकता नहीं है।

समूचे भारत में मौनसुन अनिश्चित है। इस के विरुद्ध कोई उपाय करना होगा और कुएं खुदाना ऐसा एक उपाय है। सारे देश में भारी संख्या में कुएं खुदवाने का कार्य आरम्भ किया जाये।

हमारे राज्य में खाद्यान्न के मूल्य बढ़ गये हैं। इसलिये सरकार को मूल्य में सहायता देनी चाहिये। अब हम अमरीका और दूसरे देशों से खाद्यान्न खरीदने के लिये हम 1,000 करोड रुपये व्यय कर रहे हैं। यदि इस राशि मे से कुछ भाग हम किसानों को आर्थिक सहायता के रुप में दें तो इससे हमारे किसानों को उत्पादन बढ़ाने में निश्चय ही सहायता प्राप्त होगी।

हम 40 करोड रुपये के मूल्य की खली का निर्यात कर रहे हैं। कम से कम कुछ समय के लिये हमें खती के निर्यात को रोक देना चाहिये क्योंकि यह बहुत अच्छी खाद है।

केरल में टेपिओका बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। इस के मद्रास भेजे जाने पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिये।

श्री लिंग रेड्डी (चिकबल्लापुर) : माननीय खाद्य मंत्री ने देश की खाद्य समस्या तथा सुखा का बहुत अच्छा विशलेषण किया है। राज्य सरकारों को भी अन्न की अधिक उपज करने में उतनी ही दिलचस्पी लेनी चाहिये जितनी कि केन्द्रीय सरकार हाल ही में विभिन्न उपायों द्वारा दिखाती रही है। यह आवश्यक है कि राज्य स्तर पर भी एक समन्वय संगठन की व्यवस्था की जाये जैसा कि केन्द्र में खाद्य उत्पादन बोर्ड द्वारा समन्वय किया जाता है। राज्य स्तर पर पंचायी राज, सामुदायिक विकास, सिंचाई और कृषि मंत्रालयों की गतिविधियों में समन्वय करना चाहिये।

यदि हमें पर्याप्त खाद्य का उत्पादन करना है तो यह आवश्यक है कि मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के साथ छोटी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जाये। यदि ऐसा पहले कर दिया जाता तो खाद्य में कमी नहीं होती। यह भी आवश्यक है कि जिस प्रकार मरुस्थल को कृषि-योग्य बनाने के लिये मरुस्थल विकास बोर्ड स्थापित किया जा रहा है, उसी प्रकार केन्द्र और राज्य क्षेत्रों स्तरों पर एक दुर्भिक्ष सहायता बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए अनावृष्टि और बाढ़ के समय पर किसानों की सहायता करने के लिये एक अकाल सहायता निधि खोली जानी चाहिये। एक अकाल बीमा योजना भी बनाई जानी चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि खाद्य मंत्री ने आदान विकास बैंक को संगठित करने के सम्बन्ध में, खाद्य तथा कृषि संघ को लिखा है। यह आवश्यक है कि यदि सरकार खाद्य को उपज में वृद्धि चाहती है तो हमारे रयतों को सस्ते दर पर उधार, अच्छे बीज, कृषि उपकरण और दूसरी वस्तुएं उपलब्ध कराई जानी चाहिये। अभी उनको विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब तक वे पहले लिया हुआ उधार वापिस नहीं करेंगे तब तक उन्हें कृषि सम्बन्धी ऋण नहीं मिलेगा। जब चिरकालीन अकाल पीड़ित क्षेत्रों में फसल नहीं होती तो हम उन से यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वे उधार लौटायें। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में लोगों और पशुओं को बचाने लिए तुरन्त सहायता दी जानी चाहिये। हमें प्रत्येक राज्य में यथासम्भव अधिक चारा भण्डार बनाने चाहिये।

Shrimati Jamunadevi (Jhabua) : The motion of the Minister of Food and Agriculture to discuss the food situation is welcome. On the one hand we are facing food crisis and on the other hand we are facing Chinese and Pakistani aggressions. The food crisis will have to be solved in the same way as our troops solve the problem facing the frontier. The Ministry of Food and Agriculture has only been doing paper work all those years. The officers and employees of the Ministry should take a pledge to overcome this situation.

The departments of Agriculture, Power and Irrigation should be under one Ministry and even if there are separate ministries, it is the responsibility of those ministers to cooperate with each other and expedite the plans.

The Departments of Irrigation, Power, Food and Agriculture should be brought under the charge of one Minister so that the delay in the movement of papers can be avoided, and the cultivators benefited in raising the agricultural production.

Our dependence on P. L. 480 for our food requirements during the last eighteen years has crippled our agricultural economy. This tendency should be discouraged. We are spending heavily on the P. L. 480 imports and not paying attention towards providing more facilities to the cultivators in the matter of irrigation, fertiliser, improved seeds and modern implements. This imported wheat which is deficient in nutritive value goes to the share of the of poor man. I want to know from the Hon. Food Minister as to how many Members of Parliament are consuming imported wheat.

At a time when the food situation is so critical the Hon. Food Minister should not portray horrible picture of it, and thus spread a wave of terror among the farmers. On the other hand efforts should be made to strengthen the food situation. Madhya Pradesh is a surplus state in the matter of food. There was a proposal to set up a fertiliser factory at Korba in Madhya Pradesh. This project has been postponed despite the fact that about 1·5 lakh Rupees have been spent on it. Similarly the Tawa Irrigation project is lying incomplete. Developmental work should not be stopped in the middle in this way. Necessary funds should be sanctioned for their completion.

The distribution system is very defective. The powers relating to distribution have been given to the collectors. They discriminate in the matter of distribution and the poor people are getting only very small quantities of foodgrains. The land revenue should be recovered in the form of food grains and not in cash. This will facilitate the collection of food grains by the administration. The Government should give special attention to the plans relating to irrigation, fertiliser and seeds.

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या से हमारा संबंध स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही है। अब तक हम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में से गुजर चुके हैं और प्रत्येक योजना के आरम्भ में यह आश्वासन दिया गया था कि हम उसकी समाप्ति पर खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। परन्तु आज हम देखते हैं कि पिछले अठारह वर्षों में हमारी खाद्य की स्थिति और भी खराब हो गई है।

गत वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई थी और फिर भी हमें 60 लाख टन अनाज आयात करना पड़ा था। सरकार अब खाद्य समस्या को महसूस करने लगी है क्योंकि अब अमरीका से अनाज के

प्राप्त करने में कठिनाई है। सरकार यह महसूस करने लगी है कि जवान अपने पैरो के सहारे नहीं चलते अपितु अपने पेट के सहारे चलते हैं।

सरकार कहती है कि 1950-51 में हमारा खाद्य उत्पादन 550 लाख टन था और अब यह 880 लाख टन है। इसका अर्थ हुआ कि खाद्य उत्पादन में 55 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस बीच हमारी जन संख्या में केवल 30 प्रतिशत वृद्धि हुई। फिर यह खाद्य की कमी क्यों है ?

अब मैं इसको दूसरे पहलू से लेता हूं। हम मान लेते हैं कि हमने 880 लाख टन अनाज पैदा किया। इस में से यदि हम 130 लाख टन अनाज बीज तथा विभिन्न कारणों द्वारा क्षति के लिये निकाल दें तब भी हमारे पास 750 लाख टन अनाज बच रहता। इसको यदि हम भारत की जन संख्या से भाग दें तो प्रति व्यक्ति 15 औंस आता है। इससे प्रतीत होता है कि हमें बाहर से कुछ मंगाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार को बड़ी योजना पर अधिक बल न देकर छोटी सिंचाई योजनाओं, तालाबों और कुंओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये। इन से उत्पादन में शीघ्र लाभ हो सकता है। बड़ी बड़ी घाटी योजनाएं अच्छी हैं, परन्तु उनकी क्रियान्विति में बहुत अधिक समय लगता है।

दूसरा सुझाव यह है कि किसानों को बीज और उर्वरक समय पर मिलने चाहिये। प्रत्येक राज्य में दो या तीन उर्वरक कारखाने होने चाहियें। कम से कम एक तो होना ही चाहिये। किसान को कुछ ऋण भी मिलना चाहिये। आज भी किसान को 80 प्रतिशत ऋण महाजन द्वारा दिया जाता है जो कि बहुत अधिक ब्याज लेता है। महाजन किसानों से लगभग 25 प्रतिशत ब्याज लेते हैं। इतने अधिक ब्याज पर तो एक उद्योगपति भी लाभ अर्जित नहीं कर सकता, फिर किसान के लिये यह कैसे संभव हो सकता है।

हमारे देश में 2 करोड़ जोतें हैं। इन में से 50 प्रतिशत बहुत ही छोटी हैं और उनमें प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है। सहकारी खेती से हम उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते। हमें इज़राइल की तरह कुछ गांवों को मिला कर एक सहकारी दुकान खोलनी चाहिये जहां से कि किसानों को थोड़े किराये पर समय समय पर कृषि उपकरण तथा बीज प्राप्त हो सकें। ये समितियां ऋण भी दे सकती हैं और किसानों से उनको आवश्यकता से अधिक अनाज लेकर उसे बाजार में बेच सकती हैं या उसे उनके लिये अपने पास जमा रख सकती हैं।

पिछले साल बहुत अच्छी फसल हुई थी और फिर भी बाहर से अनाज मंगाया गया था ताकि रक्षित भंडार बनाये जा सक। मैं जानना चाहता हूं कि अब वह अनाज कहां चला गया। राशन तभी चालू किया जा सकता है जब हमारे पास अच्छा भंडार हो और ऐसा न होने से स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है।

प्रत्येक व्यक्ति को बराबर राशन नहीं दिया जाना चाहिये। धनी लोगों को, जो अन्य चीजों को खा कर रह सकते हैं कम मात्रा में राशन दिया जाना चाहिये और मज़दूरों को अधिक मात्रा में हि राशन दिया जाना चाहिये। देश में भुखमरी हैं और सरकार को इस गम्भीर स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिये।

Shri D. S. Chaudhuri (Mathura) : Mr. Deputy Speaker, Sir, first of all we must know the reasons that count for our low agricultural production. Foremost thing is that we should ensure a fair price to the cultivator for their produce. Some steps have of course been taken in that direction but want to solve the food problem we must pay attention to the difficulties faced by the farmers. Otherwise

8—13 Lok Sabha/66

[Shri D. S. Chaudhuri]

production cannot be increased. An exhibition on poultry and kitchen gardens here in Parliament House cannot solve the problem. If this money is given to the agriculturists, they can put it to a better use and increase the production.

As far as question of food imports are concerned, it is regrettable and unfortunate that much emphasis is being laid on it. These imports should be stopped and all possible aid, assistance, irrigation and other facilities should be made available to the agriculturists. There is no doubt that they will definitely increase the production. A slogan has been raised that we should miss a meal every week. Some people substitute this meal with fruits. But one meal a day is a normal affair for the common man during winter when there is a scarcity of food grains.

While formulating schemes Government do not take into account the practical difficulties in their implementation. Government say that cowdung should be used for preparing compost but they do not realise that there is no other proper substitute for cowdung as a fuel. Then, Reserve Bank has advanced three hundred crores of rupees to the Cooperative Societies for meeting the requirements of agriculturists and charges 24 crores of rupees as interest. The farmers have to borrow 12 crores of rupees from money lenders (Bohras) to pay back this money to the cooperative societies and returns to the money lenders after again taking a loan from the society. The wrong policy of Reserve Bank of India is responsible for it. A deputation of Managing Directors' Union had met the Chief Minister who showed helplessness in the matter and advised to approach the Central Government. On being approached the Centre advised to approach the Planning, who in turn directed us to go to Reserve Bank authorities. We even approached the Prime Minister but it has yielded no results so far.

I find that in my constituency of Mathura 20 lakh persons have borrowed money from land mortgage bank for sinking tube wells but the work is held up for want of cement. If irrigation facilities are not provided within a fortnight, the entire crop would be ruined. Immediate steps shoud be taken to arrange supply of cement to them. The price of cement has been increased and the price of tractors has also been increased. How can it help in increasing production? Your actions should not be influenced by the pressure of capitalists and a few officers. To-day the power lies in the hands of the voters who have voted you in power. Most of them live in the villages who feed the nation and whose sons defend the country. But you look to the amenities of the urban folk ignoring the farmers, who are the backbone of the country. If you provide adequate resources and facilities to the latter, they will produce more and more for the country.

Land revenue and taxes on farmers are being increased. They have no other sources of income. He leads a very simple life and is not in a position even to educate his children. The taxes reduce his capital which he could utilise in increasing production. If adequate facilities are provided to the farmers then only he can increase the production. Measures should be taken to solve the problems of farmers by ensuring adequate agricultural credit by R.B.I., supply of cement and other facilities. The imports of foodgrains should be stopped this year and the money spent thereon should be made available to the farmers and you will find that next year the production would record a marked increase.

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : पिछले अनेक वर्षों से हमें खाद्य समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर तो हमारे प्रधान मंत्री अपने प्रत्येक भाषण में आत्म निर्भर होने और उसके लिये प्रयास करने की बात करते हैं दूसरी ओर माननीय खाद्य मंत्री ने अपने भाषण में निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि स्थिति ऐसी हे कि आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस प्रकार दो तरह की बातों से जनता के मस्तिष्क में भ्रान्ति उत्पन्न होती है। जनता के दिल में यह बात घर कर गई है कि हम आत्म-निर्भर नहीं हो सकते, पी०एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न का आयात करना होगा तथा सहायता देने वाले देशों के दबाव को मानना पड़ेगा। माननीय मंत्री ने मानसून के असफल होने की बात कही। हम स्वतंत्रता प्राप्त होने से ही पहले से यह सुनते आ रहे हैं और पिछले अठारह वर्षों में इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिये था। मानसून की तरह विदेशी सहायता के बारे में संशय किया जा रहा है। पी०एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से खाद्यान्न के आयात का कार्यक्रम अनिश्चित है, लेकिन मंत्री महोदय ने अपने भाषण में इस अनिश्चितता के रहने पर की जाने वाली कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं किया।

श्री फ्रीमैन 1961 में जब कृषिसचिव थे, तो उन्होंने कहा था कि खाद्य कूटनीति का एक अस्त्र बन गया है और यह भी एक शक्ति है। इसलिये जब हम पी०एल० 480 अथवा किसी अन्य विदेशी सहायता की बात करते हैं तो यह नहीं भूलना चाहिये कि हम पर दबाव डाला जायेगा। यदि अमरीकी राजदूत हमें बुरा-भला कहते फिरते हैं कि हम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न नहीं करते रहे हैं, तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। समाचारपत्रों में प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा और वाशिंगटन में बातचीत के बारे में प्रकाशित अनुमानों से यह स्पष्ट है कि अमरीका हमारी पाकिस्तान नीति, खाद्य नीति, चौथी योजना बनाने और उसमें कृषि अथवा उद्योगों पर जोर दिया जायेगा, इन सब बातों के बारे में हमसे कुछ आश्वासन चाहता है। यह हमारा कार्य है कि यह देखें कि हमारे उद्योग और कृषि, दोनों ही की उन्नति हो। यदि कोई हमारी भर्त्सना करता है कि हम कृषि की उपेक्षा करते रहे हैं तो हमें दुख होता है।

हाल में उर्वरकों के आयात की बात कही गई है। लेकिन इनके आयात के साथ उर्वरकों के मल्य, उत्पादन नीति में परिवर्तन करने अथवा इस्पात के लिए विदेशी सहायता लेने अथवा किसी अन्य मामले में दबाव डाला जाये तो स्वाभाविक ही है हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है जो अपनी स्वाधीनता की रक्षा के बारे में सोचना है।

हम उत्पादकों के महत्व की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है। हमारी अर्थ व्यवस्था उत्पादकों को लाभ पहुंचाने वाली न होकर उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने की रही है। हम अपने समाज में उपभोक्ता अथवा व्यापारी को ही अधिक महत्व देते रहे हैं। हम भूमि सम्बन्धी सुधार करना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर सके हैं। अब हम उद्योगपतियों को कृषि के क्षेत्र में बढावा दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि वे अधिक भूमि में खेती करने लगेंगे और उत्पादन बढायेंगे। इन सब मामलों में हमें एक निश्चित राष्ट्रीय नीति अपनानी चाहिये ताकि हमारे सभी उद्देश्य पूरे हो सकें।

श्री मुहम्मद कोया (कोज़ीकोड़) : माननीय खाद्य मंत्री ने देश में खाद्य स्थिति का एक चिन्ता-जनक चित्र प्रस्तुत किया है। मलयालम समाचार पत्रों में मैंने केरल में अत्यन्त गंभीर खाद्य स्थिति के समाचार पढे हैं। आज के समाचार पत्रों में यह कहा गया है कि यदि मद्रास अथवा आन्ध्र प्रदेश से अथवा विदेशों से चावल नही आया तो राशन में चावल की मात्रा घटाकर 4 औंस कर दी जायेगी। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री उत्तर देते समय केरल की जनता की आशंका को दूर कर देंगे।

[श्री मुहम्मद कोया]

केरल सरकार ने 50,000 टन अधिक चावल का उत्पादन करने का निश्चय किया है। यह एक भावना पाई जाती है कि केरल को खाद्यान्न के मामले में एक भार समझा जाता है। तथ्य तो यह है कि केरल में नारियल, रबड़, इलायची जैसी चीजों पैदा की जाती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा जिससे देश की बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यदि सरकार चाहती है कि देश में अनाज की कमी को पूरा करने के लिये बहुमूल्य वाणिज्यक फसलों के स्थान पर अनाज पैदा किया जाये तो उसे इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट और अखिल भारतीय नीति अपनानी चाहिये। ताकि किसानों को अच्छी तरह मालूम हो सके कि किस किस भूमि में क्या क्या अनाज पैदा किये जाने चाहिये। स्पष्ट नीति के अभाव में किसान सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों में गन्ने की खेती होती है। सरकार को यह जानकारी होनी चाहिये कि कहां पर क्या खेती करना लाभदायक है। केरल को खाद्य के मामले में आन्ध्र प्रदेश और मद्रास पर निर्भर करना पड़ता है। किन्तु चालू वर्ष में इन राज्यों में सूखा पड़ने से स्थिति बहुत खराब है। सरकार को इस स्थिति का सामना करने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये। समूचे देश की स्थिति की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिये सर्वेक्षण किया जाना चाहिये और सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार भावी कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये।

सरकार को स्थिति पर विचार करने के लिये एक संकट कालीन सम्मेलन बुलाना चाहिये। छोटी सिंचाई योजनाओं में गति लाने के लिये उन्हें शीघ्र धन दिया जाये। राज्य सरकारों से भी कहा जाना चाहिये कि वे छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये शीघ्र धन दें। लाल फिताशाही को शीघ्र समाप्त करने के लिये ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये। जब तक लाल फीताशाही समाप्त नहीं की जाती तब तक कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, खेती के लिये और अधिक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकती है क्योंकि वहां पर जितनी भूमि पर खेती की जा रही है उससे अधिक अब गुंजाइश नहीं है। वहां पर पैदावार भी और अधिक नहीं की जा सकती है, इस समय स्थिति का सामना करने के लिये कोई और उपाय किये जाने चाहियें। यह कमी अधिक मात्रा में मछली पकड़ कर पूरी की जा सकती है। अरब सागर से अधिक से अधिक मात्रा में मछली पकड़ी जा सकती हैं। सरकार को जापान, नार्वे, स्वीडन तथा अन्य उन्नत देशों से आधुनिक मछली पकड़ने की नावें तथा उपकरण मंगाने चाहिये।

इसके अतिरिक्त खाद्य समस्या का एक पहलू और भी है जिस पर सरकार ने अब तक ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया है। यह पहलू है सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में समन्वय की कमी। कोई भी समस्या बिना समन्वय के हल नहीं हो सकती है। उदाहरणार्थ मछली पकड़ने के केन्द्रों से मछलियों के परिवहन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। उन केन्द्रों पर रेलें थोड़े समय के लिये भी नहीं ठहरती हैं। जिसका परिणाम मछली उन स्थानों तक नहीं भेजी जा सकतीं जहां उनकी मांग है। कई स्थानों पर परिवहन के अभाव में मछलियों का खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः सरकार को समस्या के इस पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समन्वय स्थापित करने के लिये ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री राजेश्वर पटेल (हाजीपुर) : यह सराहनीय बात है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री महोदय ने सभा के सामने देश में व्याप्त खाद्य स्थिति का स्पष्ट चित्रण किया है। मंत्री महोदय ने बताया है कि देश में अकाल की स्थिति पैदा होने का खतरा है। उन्होंने यह भी बताया है कि हम अपने देश की अनाज की कमी आयात करके पूरी कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इतनी अनाज की कमी पिछले 20-30 वर्षों में कभी नहीं हुई। यदि हम देश के पिछले इतिहास को देखे तो भारत में अकाल प्रायः पड़ते रहते हैं। प्राचीन काल में परिवहनो साधनों की कमी के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज नहीं पहुंचाया जा सकता था जिससे अभावग्रस्त क्षेत्र में बड़ी गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता था। किन्तु आज स्थिति में काफी सुधार हो गया है।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि अमरीका से पी० एल० 480 के अंतर्गत गेहूं मिलना अनिश्चित है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारी कृषि सम्बन्धी नीति आरंभ से ही गलत रही है जिससे हम आशानुकूल उत्पादन नहीं कर सके। सरकार ने कभी भी अखिल भारतीय खाद्य नीति नहीं अपनाई और न ही कभी कृषि सम्बन्धी समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया। आज समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कहा है कि वह उर्वरक खरीदने के लिये 700 करोड़ रुपये तथा कीट नाशक औषधियोंके लिये 70 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिंचाई तथा अच्छे बीजों के बिना केवल उर्वरकों से उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। मंत्री महोदय भी इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि इस समय देश में खाद्य की कमी सिंचाई व्यवस्था के अभाव के कारण हुई है न कि उर्वरकों की कमी से। जहां तक उर्वरकों के उत्पादन का सम्बन्ध है हम देश में हो रहे उर्वरक के उत्पादन में काफी वृद्धि कर सकते हैं। संसार के कुल पशुओं के 25 प्रतिशत पशु केवल भारत में है। यदि उनके गोबर का प्रयोग ईंधन के लिये न करके खाद के लिये किया जाय तो खाद की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है और हमें बाहर से रासायनिक उर्वरक नहीं खरीदने पड़ेंगे।

सबसे दुःख की बात यह है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में 75 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं न तो जिनका कृषि से कोई सम्बन्ध है और न ही उन्हें कृषि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी है। प्रायः लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि भारतीय किसान योग्य नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि भारती किसानों को उत्पादन का उचित अवसर दिया जाये और उन्हें अपेक्षित साधन उपलब्ध किये जाये तो वे संसार में सबसे योग्य किसान साबित हो सकत हैं। यदि सरकार वास्तव में कृषि उत्पादन बढाना चाहती ह तो किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिये जिससे उसको उत्पादन बढाने में प्रोत्साहन मिले। इस तरह काल्पनिक योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये रचनात्मक कार्य किया जाना चाहिये।

कृषि का उत्तरदायित्व चाहे केन्द्रीय सरकार पर हो अथवा राज्य सरकारों पर, कृषि सम्बन्धी कोई नीति बनाने से कृषि के सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार किया जाना चाहिये। सरकार उपलब्ध संसाधनों को सुव्यवस्थित करके, किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध करके तथा उनके लिये सीधे तकावी ऋण आदि द्वारा धन का प्रबन्ध करके काफी सीमा तक उत्पादन बढाने में सहायता कर सकती है। सहकारी समितियां मुश्किल से किसानों की एक प्रतिशत आवश्यकता पूरी करती हैं और वह भी केवल बड़े किसानों की। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिये दी गई 250 करोड़ रुपय की रकम का लाभ केवल बड़े किसानों को ही हुआ है। सरकार द्वारा किसानों को धन देने के लिये कोई उचित व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि किसानों को वास्तविक लाभ पहुंच सके। यदि सही दिशा में वास्तविक कदम नहीं उठाये गये तो हम कभी भी खाद्य के मामले में आत्म निर्भर नहीं हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार जो विदेशी मुद्रा उर्वरक खरीदने के लिये खर्च करना चाहती है उसका उपयोग सिंचाई की व्यवस्था करने पर खर्च किया जाना चाहिये। सरकार को देश में अधिक से अधिक संख्या में नलकूपों की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि चौथी पंचवर्षीय योजना में कम से कम 1,40,000

[श्री राजेश्वर पटेल]

नलकूपों की व्यवस्था की जाये तो 1.48 करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है। इस से हमें खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने में काफी सफलता मिलेगी और इस कार्य पर विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी।

[श्री सोनावणे पिठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

सरकार ने इम्पीरीयल बैंक को अपने हाथ में लेते समय वचन दिया था कि इसकी 400 शाखाय ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जायेंगी। किन्तु सरकार ने अब तक अपना वचन पूरा नहीं किया। सरकार ने गांवों में सहकारी समितियों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है, इस समय जो कुछ व्यवस्था है उससे केवल बड़े किसानों को ही लाभ होता है। अतः मंत्री महोदय को छोटे किसानों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। उन्हें सिंचाई की सुविधाएं मिलनी चाहियें। उर्वरक उन्हें समय पर दिये जाने चाहियें। प्रत्येक खंड में एक वाणिज्यिक संस्था तथा एक बैंक होना चाहिये जो किसानों की आवश्यकताएं सीधी पूरी करें।

Shrimati Shakuntala Devi (Banka) : Mr. Chairman, our Government could not solve the food problem even after eighteen years since the Independence. At present we are facing a grave food situation in the country and we are trying to solve it. I want to make it clear that the problem of food cannot be solved by planning in files only but by actually working in fields. Today the poor farmer is not getting facilities such as water for irrigation, fertilizers, good seeds and agricultural implements that has been provided for him on the paper. We cannot solve this problem by raising slogans. Instead of mere slogans, attention should be paid to real work.

The basic requirement for raising the food production is availability of water for irrigation purpose. Without water, so much talk of fertilizers and other resources would be of no avail. We cannot depend on monsoon for water.

Bihar is facing a grave food situation. Rice is being sold at a rate of 12 or 13 *Chhatak* a rupee. We cannot set such other example in the history.

One of the reasons responsible for our failure on the food front is that the lower officers at the district or the block level are inefficient and corrupt. There are many drought affected areas where no cultivation is being done for several years. If irrigation facilities are made available to those areas we can increase our production to a large extent.

Time is an important factor in agricultural operations. Seeds, fertilizers, and agricultural implements should be given to farmers in time. We should know that we cannot solve our food problem by cultivating the vacant land along, road sides. The farmer can alone solve the food problem of the country.

One thing I would like to make clear is that agricultural implements are as important for the farmers as the weapons are for the soldiers. It is very unfortunate that the price of the Russian tractors which was comparatively lower has been increased. Tractors are not available in the market at the time of need. Arrangements should be made to make tractors available to the farmers on easy instalments over ten years.

The '*batai*' system was very helpful in increasing the food production. Since the enactment of *Bataidari* legislation large areas of land are not being cultivated. The legislation in this regard should be amended.

The Zonal system is a great obstruction in the way of proper distribution of foodgrains in the country. We cannot adopt a uniform price policy so far as this system is in existance, therefore it should be abolished.

Shrimati Minimata (Baloda Bazar) : Mr. Chairman, the country is passing through a big food crisis today. It is very unfortunate that even after these five year Plans we could not become self sufficient in food.

We cannot solve this problem unless the basic needs of the farmer are met adequately. The first and foremost need of farmer is adequate water for irrigation purposes. The Government should pay utmost attention to this matter. Minor irrigation schemes should be taken up more vigorously.

We have been discussing the food problem here almost in every Session of Parliament but so far no solution of the problem has been found. The setting up of corporations such as food corporation etc. is not going to solve the problem. Such bodies only give rise to delays and corruption. What is required is that farmers, especially the small farmers should be given all facilities and incentives for increasing the production. It is only through proper incentives, to the grower that agriculture can be put on a sound basis. The long term credit proposals put forward by the Minister are welcome. Food and clothes are our basic needs and these should be met.

The food situation in the current year in Madhya Pradesh, particularly in Chhattisgarh district is very unsatisfactory. The State Government have sent an emergency plan costing Rs. 20·80 lakh to the Centre for providing necessary assistance to the State for food, minor irrigation and lift irrigations. Some Members of Parliament, including myself, have also seen the Minister in this regard and apprised him of the situation, but no satisfactory reply has been received from him. The Government should pay immediate attention to this matter and give adequate help to Madhya Pradesh.

We should become self sufficient in the matter of food. To have dependence on other countries in the matter of food sometimes may create a danger for us.

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal) : Mr. Chairman, we have still to depend on import in the foodgrains. The continuous dependence on the import of foodgrains is a disgrace to the Country. Gandhiji was not in the favour of using imported goods that was why he used to burn the imported clothes during the freedom movement. Therefore, I urge upon the Government to stop the imports as early as possible. India is an agricultural country but annual budgetary figures for the last so many years show that only three per cent of the total budget is allocated for agriculture. One can realise what importance is attached to a matter like agriculture which is so vital that fetches for the maximum revenues to the State. Unless we provide for at least fifty per cent allocation to agriculture, there will be no real and permanent solution of the problem we are facing at present.

[Shri Sivamurthi Swamy]

The Government have totally failed to pay adequate attention to irrigation. Unless we provide adequate irrigational facilities to the farmers, we cannot expect a good production from them. I do not know why the Government cannot take steps to utilise the river water going waste or to conserve the rain water for irrigation purposes. Government should see that irrigation measures are given preference over other matters in regard to the supply of electricity.

The present administrative set up is very defective and requires to be changed. It should be farmer oriented so that the needs of the farmers in regard to the supply of fertilizers, seeds, water and other things are met in time and in adequate measures.

The river water dispute, which are hanging on fire for a long time, should be settled without any further delay. As long as the Central Government do not decide to set up a Supreme Court Tribunal, the disputes will not be settled. Government should undertake the upper Tungabhadra Project as early as possible in order to provide irrigation facilities to the chronic scarcity areas of Rayalaseema. The preliminary of this project had been completed about 60 to 70 years ago.

The food situation in Mysore is very grave because of the failure of monsoon there. Although the Central Government are sending some foodgrains to that state, the method of distribution is very faulty; unless it is improved and the administrative machinery is suitably geared up, the situation will not improve.

श्री ज० रा० मेहता (पाली) : सभापति महोदय, सरकार की खाद्य नीति में अनेक असमानतायें हैं, मैं उनकी ओर खाद्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

प्राय: यह देखा गया है कि सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्पादकों को सबसे कम भाव पर खाद्यान्न बेचने पड़ते हैं। यह एक विचित्र बात है और इससे उत्पादक प्रोत्साहित होने के बजाय हतोत्साहित होते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिय।

आज देश में किसान अधिक से अधिक भूमि में वाणिज्यिक फसलें पैदा कर रहे हैं किन्तु हम फिर भी यह कहते हैं कि अधिक अनाज पैदा किया जाना चाहिये। यदि वास्तव में हम अधिक अनाज पदा करना चाहते हैं तो वाणिज्यिक फसलों की बजाय अनाज पैदा किया जाना चाहिये। जब तक वाणिज्यिक फसलों पर नियंत्रण नहीं रखते तब तक अधिक अनाज पैदा करने की आशा नहीं की जा सकती है।

हम अधिकतम मूल्य तो निर्धारित कर देते हैं किन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अनाज के रक्षित भंडारों की कमी है। इस का परिणाम यह होता है कि अनाजों में चोर बाजारी होती है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

सरकार कुछ खाद्यान्नों के तो अधिकतम मूल्य निर्धारित कर देती है किन्तु मोटे अनाजों के नहीं करती। इसका परिणाम यह होता है कि जिन स्थानों अथवा शहरों में राशन व्यवस्था नहीं है वहां पर मोटे अनाजों का भाव अन्य अनाजों से अधिक होता है और लोग मोटे अनाजों के

स्थान पर अन्य खाद्यान्नों को पशुओं के दाने के रूप में करते हैं। हम पर्याप्त मात्रा में रक्षित भंडार की व्यवस्था करे बिना राशन व्यवस्था लागू करने की बात करते हैं।

सरकार उर्वरकों के बारे में लम्बी चौड़ी बातें तो करती है किन्तु देश को उर्वरकों में आत्म-निर्भर बनाने के लिये कुछ नहीं किया गया है। हमने हरी खादों और कम्पोस्ट खादों का उपयोग करना छोड़ दिया है। यह दुःख की बात है कि भारत में गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यदि हम गोबर का उपयोग ईंधन के लिये न करके खाद के लिये करे तो खादों की कमी काफी सीमा तक पूरी की जा सकती है।

वितरण, समाहार, राशन व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में भी सरकार की नीति समान नहीं है। खाद्य नीति में भी राजनीति घर कर गई है। अतः जब तक असमानता दूर नहीं की जाती और राजनीति को खाद्य नोति में आने से नहीं रोका जाता तब तक हमें इसी प्रकार की कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

सरकार के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसानों को बीज, उर्वरक तथा सिंचाई के लिये पानी समय पर मिले। हमारे किसानों में क्रय शक्ति नहीं हैं। उन्हें अपनी उपज सस्ते दामों पर बचनी पड़ती है। सरकार को प्रत्येक जिले में एक डिपोकी व्यवस्था करनी चाहिये जिसमें किसानों की वर्षभर की आवश्यक वस्तुएं रखी जानी चाहियें ताकि ये वस्तुएं किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर मिल सकें।

इस वर्ष राजस्थान में खाद्य स्थिति सबसे अधिक खराब है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। सरकार को राजस्थान नहर निर्माण के कार्य को तेजी से करना चाहिये ताकि वह दो वर्ष में पूरा हो सके।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या को हल करने के लिये खाद्यान्नों का उचित ढंग से वितरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। पिछल वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि आवश्यक हुई है किन्तु उनका वितरण ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश में जितना अनाज पैदा किया है उतना विक्रय के लिये बाजार में नहीं आया। यह बात पिछले रिकार्ड से स्पष्ट हो जायेगी। 1964–65 में सरकार ने अनाज के समाहार करने का निश्चय किया। उस वर्ष देश में 3 करोड़ 87 लाख टन चावल पैदा हुआ जब कि समाहार केवल 1 करोड़ 28 लाख टन चावल का हो सका। गहूं के समाहार के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। 1963–64 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 7 करोड़ 94 लाख टन हुआ और 1964–65 में इसमें 10 प्रातशत की वृद्धि हुई। उसी वर्ष खाद्यान्नों का आयात भी पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक किया गया। किन्तु फिर भी पिछली गर्मियों में खाद्यान्न की काफी कमी का सामना करना पड़ा। अतः सरकार को खाद्यान्नों के समाहार के लिये कोई ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे उत्पादन का अधिक से अधिक भाग विक्रय के लिये उपलब्ध हो सके।

सरकार को मख्य रूप से दो बातों के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। एक बात यह कि देश में उत्पादित अनाज अधिक से अधिक मात्रा में बाजार में आये और दूसरी बात यह कि अनाज का वितरण इस प्रकार किया जाये कि अनाज न केवल उन लोगों को उपलब्ध हो जो अधिक मूल्य पर खरीद सकते हैं अपितु वह निर्धन लोगों को भी उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में मिल सके।

खाद्य मंत्री महोदय ने बताया है कि हमें दुर्भाग्यवश पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारी मात्रा में किये जाने वाले अनाज के आयात पर निर्भर करना पड़ता है। किन्तु इस प्रकार किये

[श्रीमती शारदा मुकर्जी]

जाने वाले आयात में लगातार वृद्धि होती जा रही है। हम प्रति वर्ष अनाज का उत्पादन बढ़ा रहे हैं किन्तु फिर भी खाद्य स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। रिजर्व बैंक की रिपोर्टों के अनुसार पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता अमरीका से मिलने वाली कुल सहायता का लगभग 50 प्रतिशत है। इस वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत और भी अधिक अनाज के आयात किये जाने की आशा है। अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत किया जाने वाला आयात हमारे जीवन के लिये अभिशाप मात्र बन गया है और जब तक हम इस पर निर्भर करते रहेंगे हम देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाने के लिये अथवा उसके उचित वितरण के लिये कोई ठोस प्रयत्न नहीं करेंगे।

खाद्यान्नों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रणाली उतनी सफल साबित नहीं हुई जितनी कि उससे आशा थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में चोरी छिपे अनाज का लाया ले जाया जाना बन्द नहीं हो सका। कमी वाले राज्यों को पर्याप्त मात्रा में अनाज दिये जाने के बावजूद भी वहां कमी बनी रहती है और आवश्यकता से अधिक अन्न पैदा करने वाले राज्य अपने वचन के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अनाज नहीं देते हैं। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करना चाहिये और हो सके तो उसे पुरानी प्रणाली लागू करनी चाहिये जिसके अन्तर्गत चावल के लिये एक दक्षिणी क्षेत्र था जिसमें मध्यप्रदेश को गुजारत और महाराष्ट्र के साथ जोड़ा गया था तथा पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूर्वी क्षेत्र था। इससे प्रत्येक क्षेत्र को उसकी आवश्यकता के अनुसार अनाज उपलब्ध हो सकेगा और केन्द्रीय सरकार अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभा सकेगी।

खाद्यान्न मूल्य आयोग ने मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिफारिश की है। समर्थन मूल्य का विचार सराहनीय है। किन्तु यदि समर्थन मूल्य बाजार में प्रचलित वास्तविक मूल्य से कम होगा तो यह व्यवस्था सफल नहीं होगी। हम किसी किसान को बाजार भाव से कम भाव पर अनाज बेचने के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं। सरकार ने सुझाव दिया है कि अनाज का एकाधिकार द्वारा समाहार किया जाये तथा वसूली की प्रणाली अपनाई जाये। किन्तु ये दोनों प्रणालियां अधिक सफल सबित नहीं हुई। महाराष्ट्र में एकाधिकार प्रणाली अपनाई जाने के बावजूद भी राज्य में कुल उत्पादन का केवल 7 प्रतिशत का समाहार किया गया और आन्ध्र प्रदेश में 46 लाख टन वार्षिक उत्पादन होने पर भी केवल 5 लाख टन का समाहार किया गया।

मंत्री महोदय ने कहा है कि खाद्यान्न के मामले में अनुशासन और सहयोग होना आवश्यक है। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। अतः हमें कोई मध्यवर्ती मार्ग अपनाना होगा।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि इस समय हमारी सीमाओं पर खतरा होने से देश में कुछ आतंक की स्थिति है। अतः हमें खाद्यान्नों की कमी से इस आतंक को और नहीं बढ़ाना चाहिये। हमें जनता में विश्वास पदा करना चाहिये।

श्री हिम्मतसिंहजी (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या के बारे में इस सभा में प्रायः सभी सत्रों में विचार किया जाता है, मंत्री महोदय सदा ही यह आश्वासन देते रहे हैं कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेंगे। किन्तु खाद्य समस्या में सुधार होने के स्थान पर यह और अधिक बिगड़ती जा रही है। सरकार किसान को हर प्रकार की सुविधायें देने का भी दावा करती है किन्तु आज भी किसानों की दशा पहले जैसी है। सरकार खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये चाहे कितने ही नारे लगाये किन्तु जब तक वह किसानों की कठिनाइयों को अच्छी तरह नहीं समझती और यह नहीं सोचती कि उन्ह किस प्रकार हल

किया जाना चाहिये तथा जब वास्तव में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये वास्तविक कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक सरकार खाद्यान्नों की समस्या को हल नहीं कर सकती।

किसान को न केवल मौसम की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है अपितु उसे सरकारी अधिकारियों से भी निपटना पड़ता है। इन अधिकारियों में साधारण राजस्व अधिकारी से लेकर तहसीलदार तक सभी होते हैं। गुजरात में तो किसान को पंचायत राज के अधिकारियों का सामना भी करना पड़ता है। इसमें किसान को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। अतः मैं समझता हूं कि केवल नारों से ही काम नहीं चल सकता है। हमें अच्छी तरह सोच विचार करके कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

देश में इस समय खाद्यान्न की अत्यन्त कमी है किन्तु हम पुराने तरीकों को अपनाने पर ही जोर देते हैं। सरकार एक ओर तो किसानों को प्रोत्साहन देने की बात कहती है किन्तु उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। सरकार वाणिज्यिक फसलें पैदा करने पर भी प्रतिबन्ध लगा रही है। यह किसानों के प्रति अन्याय है। यदि उसे अनाज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता तो उसके लिये वाणिज्यिक फसलें पैदा करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है।

भूमि बन्धक बैंक, सहकारी समितियां आदि जो संस्थायें किसानों की सहायता के लिये स्थापित की गई हैं, उनसे किसानों को बहुत कम सहायता मिलती है। उनका उपयोग सत्तारूढ़ दल को मजबूत बनाने के लिये किया जाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

आज सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं, किन्तु जहां तक किसान का सम्बन्ध है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। किसान को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार अपने अनुत्पादक खर्चे में कमी करें और किसान से लगान न लिया जाये तो यह किसान के लिये बहुत अच्छा प्रोत्साहन साबित होगा और इसके परिणाम बहुत कम समय में हमारे सामने आ जायेंगे। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो कम से कम लगान नकद लेने के बजाय अनाज में लिया जाना चाहिए। इससे सरकार को खाद्यान्नों का समाहार करने में सहायता मिलेगी जिसका कि सरकार पहले से ही विचार कर रही है। इसके लिये सरकार कारगर कार्यवाही करनी होगी। इस प्रकार सरकार को काफी अनाज मिल जायेगा। हमारे लिये खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर होना अनिवार्य है क्योंकि आयात पर निर्भर करना देश के लिये अपमान की बात है।

मैं समझता हूं कि हमारी दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था के कारण यह वर्तमान खाद्य संकट पदा हुआ है। यदि क्षेत्रीय प्रणाली समाप्त कर दी जाये तो एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाधरूप से अनाज लाया ले जाया सकेगा और सब को अनाज मिल सकेगा। यदि राशन व्यवस्था लागू की गई तो लोगों को और अधिक कठिनाई का सामाना करना पड़ेगा इसके अतिरिक्त यदि किसानों को उनके उपज के लाभप्रद मूल्य नहीं दिये गये तो वे अधिक भूमि में वाणिज्यिक फसल करेंगे जिससे खाद्य स्थिति और अधिक बिगड़ जायेगी। अतः सरकार इस सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही करे।

सरकार को सिंचाई व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और इस कार्य के लिये अधिक धन नियत किया जाना चाहिये। जिन स्थानों में, विशेषकर उत्तरी गुजरात और राजस्थान में निरन्तर सूखे की समस्या रहती है वहां तत्काल छोटी तथा मध्यम पैमाने की सिंचाई व्यवस्था की जानी चाहिये। भूमिगत जल का प्रयोग सिंचाई के लिये किया जाना चाहिए इससे उत्पादन बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : खाद्यानों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को सिंचाई के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाना चाहिए। हम देश में बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काफी धन व्ययकर रहे हैं किन्तु छोटी सिंचाई परियोजनाओं की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत में सिंचाई के लिये बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से उनकी अधिक सहायता नहीं मिल सकती है जितनी कि छोटी सिंचाई परियोजनाओं से। हमारे देश में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये काफी साधन मौजूद हैं। केवल दक्षिण के राज्यों में आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास और केरल में लगभग 1,15,000 तालाब जिनसे लगभग एक करोड़ एकड़ से डेढ़ करोड़ एकड़ तक भूमि में सिंचाई हो सकती हैं। इन में से काफी तालाब प्रति वर्ष टूटफूट जाते हैं किन्तु उनकी मरम्मत अथवा देखभाल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से अधिक लाभ न मिल सकने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि किसी परियोजना से सिंचाई की जा सकने वाली भूमि का विकास तेजी से नहीं किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का जल भूमि विकसित न होने के कारण नहीं पहुंच पाता है। सरकार को समस्या के इस पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये। सरकार जब तक छोटे तालाबों की मरम्मत नहीं करती तब तक हम सिंचाई की समस्या हल नहीं कर सकते हैं।

उत्पादन कम होने का एक कारण यह भी है कि किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। जब तक खाद्यान्नों के लिये भी उतनी ही सहायता नहीं दी जाती जितनी कि वाणिज्यिक वस्तुओं के उत्पादन के लिये दी जाती है तब तक किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। आज बैंक भी वाणिज्यिक फसलों के लिय पर्याप्त ऋण देने के लिये तयार हैं किन्तु अनाज की फसल देने के लिये वे थोड़ा ऋण भी नहीं देते। सरकार को किसानों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कोई उचित कदम उठाना चाहिये।

आज गावों में खेतिहर मजदूरों की दशा बहुत खराब है। न तो उन्हें उचित मजूरी ही मिलती है और न नियमित रूप से काम। सरकार को इन खतिहर मजदूरों के लिये लाभप्रद न्यूनतम मजूरी की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक सहयोग दे सकें।

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh) : Mr. Deputy Speaker, as a result of failure of the monsoon this year, there is a great shortage of food grains in Madhya Pradesh. Except three or four districts, the whole State is in a grip of famine. Under these circumstances, Madhya Pradesh will not be in a position to supply foodgrains to Maharashtra and Gujrat States which are dependent on Madhya Pradesh in the matter of food supply to a large extent. The Minister would be well-advised if he understands the position right now. He should not say that Madhya Pradesh is a surplus State and should heulp others in the matters of foodgrains. The State is not in a position to oblige any State during this year.

Keeping in view the food shortage in Madhya Pradesh the Central Government should give a legitimate share of the imported foodgrains to that State. Government should not stop imports of food grains under PL. 480 at least for two years otherwise the country will be faced with a serious food situation.

The Government should see that the farmers get all their requirement in proper time without any difficulty. The district officials should be properly instructed in this connection. Mostly these officials indulge in corrupt practice. They do not hear the request of farmers without taking bribes from them. That is the duty of the Government to see that no official indulges in any corrupt practices.

The Government should take up the minor irrigation works in Madhya Pradesh and cheap electricity should be made available to the cultivators for agricultural operations.

Labourers do not want to work in fields because agriculture labourers are low paid. Therefore, steps should be taken to ensure better and reasonable wages to the agricultural labourers, especially Harijan and adivasis. Land is not sufficient to absorb all the labourers of the State. Therefore, new industries should be set up in the State in order to give employment to more labourers.

---

*हिन्दुओं के भारत आने पर प्रतिबन्ध

**HINDUS DEBARRED FROM COMING TO INDIA

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnaur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, at the time of Partition the population of Hindus in eastern and western parts of Pakistan was, 180 lakhs. According to a statement issued by the External Affairs Ministry the population of non-muslims in Pakistan during the last 14 years, *i. e.* since 1951, has come down from 1,80 lakhs to 90 lakhs as against that the number of muslims in India has gone up from 3½ crores to 5 crores.

Looking to the figures of population in Pakistan it appears that the overall increase in population during the period from 1951 to 1961 was 24 per cent while the increase in the population of non-muslims was only 3 per cent. All that indicates that Pakistan has deliberately tried to do away with all non-muslims either by pushing them out or by killing them or by converting them to their own religion. We have heard reports about the large scale massacre of non-muslims in various parts of Pakistan. We have also heard how young girls were kidnapped from their houses with the concurrence of the authorities there.

Hindu families who have come over to Rajasthan from across the border during the recent conflict into Pakistan have been telling us about the most inhuman and barbarous treatment meted out with Hindus in that country. Those incidents were perhaps worse than what happened in Pakistan in 1947.

A few days ago our hon. friend, Sardar Kapur Singh, while starting an half an hour discussion had informed that Pakistanis abducted 70, 80 young Sikh girls from the border villages and the Govt. of India says that they have not got the complete information and they are trying to get the information.

Some times ago there was a news that girls of young age were sold in other countries. Besides, among Hindus who wanted to come back to India, only old persons were pushed out and their young girls were snatched away. Can we imagine their conditions there?

In reply to a question as to whether about a thousand Hindu families of Faridpur and Jessore districts of East Pakistan were turned back from near the Pakistan border when they were trying to cross over to India, the Government of India said that they had no information since communication facilities with East Pakistan had not restored. It has been brought to the notice of the Government by Shri A. C. Guha, Chairman, Estimates Committee and a UNI news item appeared in

---

*आधे घण्टे की चर्चा।

** Half an hour discussion.

[Shri Prakash Vir Shastri]

'Yugantor' published from Calcutta, that even today there are 5000 Hindus in East Pakistan who are kept under detention. Lakhs of Hindus in Sind and other parts have been forcibly thrown into camps where they are living in the most inhuman conditions. And yet the Government of India says that they have no information and the information is being collected. We are a member of a number of international organisations and we have ambassadors of so many countries here. I do not understand why the Government of India are not pursuading them to go to those places and apprise them of the situation.

Besides Pakistan has been acting in an entirely different manner. They are sending lakhs of Muslims to our country. They want to make Assam another Kashmir and want to disturb the peace of Assam. There is hands of some persons of Assam who are in responsible position there behind this. According to 1961 census, in some of the border districts of Rajasthan, the Muslim population has gone up by 200 per cent. Muslim population in the whole country has increased by 38 per cent in the last ten years while the Hindu population has gone up by only 22 to 24 per cent. Is there no reason behind this?

The Government of India should put before the security council the facts as to what happened in Pakistan in last 17 years how the women were insulted and how their religion was converted so that the world at large should know as to what was happening in Pakistan. We should put our case before the world to influence the world opinion. This case should be taken to the United Nations and we should try to find out the whole situation through some international organisation or through some friendly countries with which we have politics relations so that this situation is not allowed to continue for long.

I hope that the Minister of External Affairs will understand the seriousness of the situation and take measures in this connection.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद)] : क्या सरकारने सारी गैर-मुस्लिम जनसंख्या को भारत में लाने की और उनके द्वारा पीछे छोडी गयी सम्पत्ति के लिये पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति की मांग करने की कोई योजना बनायी है ?

Shri Bade (Khargone) : Are Government aware that the five thousand Indians who are detained in Pakistan are being forced to accept Islam? Is it true that Soda Rajputs have asked for arms? Do Government know that for the last two months Christians, Buddhists and Hindus are coming over here on Assam border?

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : Have the people living in the border areas of Rajasthan asked the Government to supply them arms to defend themselves against Pakistanis and have the Government considered their request?

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : यदि सरकार पाकिस्तान में उनके अत्याचारों से अल्पसंख्यकों को नहीं बचा सकती तो इस प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने में क्या बाधा है?

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में हिन्दुओं का धर्म-परिवर्तन कराने की नीति को शनैः शनैः परन्तु निश्चित रूप से कार्यान्वित कर रही है यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाएगी ?

श्री ब० कु० दास (कन्टाई) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संचार व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई है, क्या सरकार के लिये यह पता लगाना सम्भव हो गया है कि क्या उन लोगों को, जिनको प्रव्रजन पत्र दिये गये थे, अब निर्बाध रूप से यहां आने दिया जा रहा है और जिन लोगों को नजरबन्द कर लिया गया था, क्या उनके प्रव्रजन पत्र की अवधि बढा दी गयी है ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Have the Government tried to find out why there has not been a proportionate increase in the population of Hindus in Pakistan with general rise in propulation there and whether the Govt. propose to take the whole matter before the UNO?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्यों में जो असुरक्षा की भावना है, उसके बारे में जो चिन्ता व्यक्त की गयी है उसके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। इस पर कई बार यहां विचार हो चुका है। ऐसे मामलों में जब कोई सरकार उस देश में रहने वाले हर नागरिक के प्रति अपनी जिम्मेवारी को नहीं निबाहती तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जैसी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति हो रही है।

स्वतन्त्रता के बाद वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने को असुरक्षित समझने लगे थे और वे वहां नहीं रह सकते थे और उन्हें भारत आना पडा।

पाकिस्तान ने नेहरू-लियाकत अली समझौते के अन्तर्गत अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाया और वहां पर अल्पसंख्यकों में बडी असुरक्षा की भावना है और उन पर अधिकाधिक दबाव पड रहा है। इस प्रकार दूसरे दर्जे के नागरिक समझे जाने के बावजूद भी पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम व्यक्तियों का वहां रहना कभी कभी बडा कठिन हो जाता है और वे लोग लाखों की संख्या में भारत आते हैं। श्री त्यागी को इन परिस्थितियों का, जिनमें वे लोग यहां आये हैं, पता है और उन्होंने विभिन्न शिबिर खोल कर और पुनर्वास सम्बन्धी योजनायें बना कर इन विस्थापित लोगों को भारत में बसने में सहायता दी है।

जहां तक इस सारे मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का सम्बन्ध है, हमने इस प्रश्न पर बड़ी सावधानीपूर्वक विचार किया है। अन्तर्राष्ट्रीय संघों द्वारा जो कार्यवाही की जाती है उसके प्रति हमारा और बहुत से अन्य देशों का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर हमारा यह दृढ निश्चय है कि सिवाय इसके कि एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाये जायें, इसके कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकलेंगे। अन्यत्र अनुभवों से भी पता चलता है कि यदि कुछ देशों की अपने नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाती तो अन्तर्राष्ट्रीय संघ के पास उनकी कठिनाईयां दूर करने का कोई उपाय नहीं है। यह बडे दुख की बात है।

प्रश्न यह है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसे हालात पैदा कर सकता है जिसमें किसी भी देश के अल्पसंख्यक वर्ग यह महसूस करने लगें कि उन्हें पुनःआश्वासन मिल गया है। किन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं हैं। इस परिस्थिति को हमें कटु सत्य के रूप में मान लेना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारा कार्य, चाहे वह जो कुछ भी हो, बहुत सराहनीय है और हमें इस बात पर गर्व तथा सन्तोष है कि हमने अपने देश में सभी व्यक्तियों को, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, सामाजिक समानता प्रदान की हुई है। अल्पसंख्यक समुदायों के लोग हमारे देश में हमारे राजनैतिक जीवन, हमारे सामाजिक जीवन तथा हमारे आर्थिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं जिम्मेवार पदों पर नियुक्त हैं। किन्तु पाकिस्तान में ऐसी स्थिति नहीं है। वहा अल्पसंख्यकों के साथ समानता का व्यवहार नहीं है। भारत से मुसलमानों को बाहर निकाले जाने के बारे में पाकिस्तान दुर्भावनापूर्ण प्रचार कर रहा है। मैं सभा को यह स्मरण करा देना चाहता हूं कि सरकार ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम भारत में अपने अल्पसंख्यक वर्गो के प्रति

[श्री स्वर्ण सिंह]

कैसा व्यवहार करें, यह हमारा पूर्णतः निजी मामला है। जहां तक जम्मू तथा काश्मीर के लोगों के प्रति व्यवहार का सम्बन्ध है, यह मामला पूर्णतः जम्मू तथा काश्मीर सरकार का है। इस सम्बन्ध में हमारा व्यवहार तथा 'रिकार्ड' निर्मल एवं स्वच्छ रहा है और अल्पसंख्यकों के हितों की देखभाल करना हमारा काम है, फिर भी मैं यह स्पष्ट कर दना चाहता हूं कि हम अल्पसंख्यकों के प्रति अपने व्यवहार के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अथवा विदेशों के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।

कुछ समस्याएं कठिन हैं, जिनका हल हमें, अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। किन्तु, जहां तक इन मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का सम्बन्ध है, मैंने इस मामले पर काफी अधिक विचार किया है और परिणामस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां पर केवल आरोप तथा प्रत्यारोप लगाये जाने के अतिरिक्त और कोई भी लाभदायक अथवा व्यवहारिक परिणाम नहीं निकलेंगे। अतः इसका एकमात्र उपाय यही दिखाई देता है कि हम पाकिस्तान से यह आग्रह करते रहें कि अल्पसंख्यकों के हितों की जिस प्रकार हम देख-भाल करते हैं उसी प्रकार वे भी करें और उसे अपनी जिम्मवारी समझकर निभाते रहें।

जहां तक श्री चक्रवर्ती के इस सुझाव का कि समूची गैर-मुस्लिम जनसंख्या को भारत में लाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए, सम्बन्ध है, वह बहुत ही निराशाजनक है, हमें एसी कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए और हमें इस प्रकार बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जहां तक प्रतिकर मांगने का प्रश्न है, पाकिस्तान ने हमें शरणार्थियों की सम्पत्ति तथा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई हिन्दुओं और सिकों की निष्क्रान्त सम्पत्ति के लिए करोड़ों रुपये देने हैं। हम उन रुपयों को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? प्रत्येक वस्तु यथा मनुष्य पर गुजरने वाली महान व्यथा तथा दयनीय स्थिति को केवल रुपयों से नहीं तोला जा सकता।

जहां तक श्री बड़े का नजरबन्द व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रश्न है, यह बात ठीक है कि संघर्ष के समय पाकिस्तान ने कुछ लोगों को नजरबन्द कर लिया था। हमने भी यहां कुछ लोगों को नजरबन्द किया था। स्थिति में सुधार हो जान पर हम पाकिस्तान से अपने लोगों को वापस लाने के लिए कुछ कार्यवाही करगे। हम अपनी ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को लौटाने के लिए तैयार हैं।

जहां तक सीमावर्ती लोगों को शस्त्र दिये जाने का प्रश्न है, यह एक राज्य विषय है—और वे इस पहलू पर विचार कर रहे हैं और कुछ राज्यों ने पहले ही उन क्षेत्रों में प्रतिरक्षा की दृष्टि से उन्हें और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से वहां के ऐसे लोगों को शस्त्र दे दिये हैं जो प्रभावी ढंग से उनका उपयोग कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि राज्य सरकारें प्रत्येक सीमावर्ती क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समचित कार्यवाही करेंगे।

आसाम में घुसपैठ का जहां तक सम्बन्ध है, आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सलाह से ऐसी कार्यवाहियाँ आरम्भ कर दी हैं जिनके परिणामस्वरुप पाकिस्तान से हमारे राज्यक्षेत्र में अवैध रूप से आने वाले घुसपैठियों को आसाम सरकार सीमा से बाहर खदेड़ने में सफल हो गई है। किन्तु इस सम्बन्ध में आसाम सरकार द्वारा अभी और कुछ किये जाने की आवश्यकता है, जो वह करेगी।

कई माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान में हिन्दुओं की जनसंख्या विभाजन के समय की अपेक्षा अब कम हो जाने के कारण के बारे में पूछा है। इसका मुख्य तथा स्पष्ट कारण यह है कि पूर्व पाकिस्तान से लाखों व्यक्ति असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर समय-समय पर भारत आते रहे हैं। इसके अतिरिक्त बलात् धर्म परिवर्तन भी इसका एक भारी कारण हो सकता है।

अपनी मर्यादाओं में रहते हुए, हम उन लोगों के लिए यथा संभव हर प्रयत्न करते रहेंगे और वहा के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के प्रति हमें हर प्रकार की सहानुभूति है।

(1) खाद्य स्थिति तथा (2) अनावृष्टि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में, प्रस्ताव—(जारी)

MOTIONS RE: (i) FOOD SITUATION AND (ii) SITUATION ARISING OUT OF DROUGHT CONDITIONS—*Contd.*

Shri Achal Singh (Agra) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the country is today faced with a grave food problem. It is due to Government policies pursued in ragard to agriculture. Attention of the Prime Minister and the Minister of Food and Agriculture have been drawn from time to time to this expected situation but they failed to pay adequate attention to this important matter.

[श्री विद्याचरण शुक्ल पीठासीन हुए
SHRI V. C. SHUKLA *in the Chair*]

The distribution machinery also contains various defects which result in a wide disparity in prices of wheat or rice in different states. There is no shortage of foodgrains in the country, but the unequitable distribution makes it so. Efforts should, therefore, be made by the Government to see that machinery for equitable distribution of foodgrains is established throughout the country. In this connection, I have a submission to make on the basis of our experience that we have gained in regard to most of the Public undertakings, this trade should not be entrusted to the State Trading Corporation because it is seen that these undertakings generally suffer loss due to their inefficient management. So this body may hardly be expected to achieve considerable success in tackling this grave problem of equitable distribution.

I think it is absolutely necessary to decontrol the foodgrains and allow their free movements which will help in removing the wide disparities in availability and prices. It is a pity that our Government have not paid adequate attention to agriculture and took no substantial measures to increase the agricultural production during the last 18 years. We continued to import foodgrains all these years and despite that we have not yet been able to achieve Self-Sufficiency in this regard. Secondly, the step being taken by the Hon. Minister to introduce the statutory rationing cannot be supported because it is, no doubt, a result of the utter failure of the wrong policies being pursued by the Government. The step may create some new troubles in the country rather than solving the food problem. I will, therefore, request the hon. Minister to revise his decision.

The trade Associations in the country are always prepared to extend their full cooperation to the Government and this work may be entrusted to them and they may be asked to maintain proper registers and accounts for the purpose. If done so, it would check the possible irregularities also.

The Government may be held responsible for the existing famine-like situation all over the country. Previously, when such situation arose, the surplus states used to supply foodgrains to the deficit states. But the Government have now created several zones and imposed restrictions on the movement of foodgrains and as such the situation has further deteriorated.

9—12 Lok Sabha/66

श्री कृ० चं० पन्त (नैनीताल) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश में आज खाद्य स्थिति विकट बनी हुई है। किन्तु यह एक गंभीर मामला है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के कई वर्षों के पश्चात् भी हमें खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में ऋतु की अनिश्चितता पर निर्भर करना पड़ता है। कृषि सम्बन्धी समस्याओं का कई बार विवेचन किया गया है और ये समस्याएं तथा उनके हल अच्छी प्रकार विदित हैं किन्तु यह तो क्रियान्विति का क्षेत्र है जहां हम असफल रहे हैं। इन समस्याओं को दो क्षेत्रों में यथा तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं में व्यापक रूप से विभक्त किया जा सकता है। इन दोनों क्षत्रों को समस्याओं की गंभीरतापूर्वक उपयुक्त कार्यान्विति किये जाने पर अच्छी प्रकार सुलझाया जा सकता है। हम सभी यह जानते हैं कि चूहों तथा अन्य कीडों द्वारा कितने खाद्य का उपभोग किया जाता है किन्तु हमने इस समस्या को इतनी गंभीरता से सुलझाने का प्रयत्न नहीं किया है जितनी गंभीरता से कि इसे सुलझाया जाना चाहिए था।

गत वर्षों के दौरान अच्छे बीजों के मामले में भी हम उनके वितरण के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में असफल रहे हैं। इसी प्रकार ऋण-व्यवस्था तथा अन्तर्विभागीय समन्वय के मामलों की भी पर्याप्त सुव्यवस्था नहीं रही है। मैं महसूस करता हूं कि जब तक हम इन समस्याओं के प्रति क्रियात्मक, निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण न अपनायेंगे तब तक उनका सुलझना कठिन होगा। जब तक तकनीकी दृष्टिकोणों को इतना महत्व नहीं दिया जायेगा जितना कि आवश्यक है तब तक समस्याओं को, जो तकनीकी प्रकार की हैं, सुलझाना कठिन होगा जैसा कि हमें पिछले वर्षों में अनुभव होता रहा हैं। एक अन्य बात जिसे किये जाने की आवश्यकता है वह है वास्तविक कार्यवाही को करने की। हमें अक्षमता तथा प्रक्रिया से होने वाले विलम्ब के बारे में कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

हमारे उत्पादन का एक तिहाई भाग अनाज बाजार में जाता है और यह विपणन योग्य फालतू अनाज है। यदि इस विपणनयोग्य फालतू अनाज में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के अनुरूप वृद्धि न होने पर उसमें तुरन्त कमी हो जाती है। यदि हम खाद्य समस्या को वास्तव में सुलझाना चाहते हैं तो हमारे पास न केवल मांग से थोड़ी सी अधिक मात्रा में अनाज होना चाहिए परन्तु हमारे पास काफी अधिक मात्रा में अनाज होना चाहिए ताकि कमी वाले वर्षों की कमी को पूरा करने के लिए समीकरण-भंडार (बफर-स्टॉक्स) खोले जा सकें।

मौनसून के दौरान वर्षा न होने के कारण 'खरीफ' की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। 'रबी' की फसल भी अनिश्चित है। इसलिए, हमें आगामी वर्षों में बहुत अधिक कमी के लिए तैयार रहना चाहिए। जहां तक उपलब्धता का प्रश्न है, स्थिति में सुधार करने का कोई तरीका नजर नहीं आता है। इसलिए हमें अपना ध्यान यह सुनिश्चित करने की ओर लगाना चाहिए कि वितरण न्यायसंगत हो।

वर्तमान में हमारी खाद्य नीति की मूल आधारशिलाएं खण्ड पद्धति (जोनल सिस्टम), एकाधिकार द्वारा वसूली तथा राशनिंग और सरकारी वितरण हैं। जहां तक खण्ड पद्धति का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य को पृथक कर देने का अर्थ यह होगा कि कमी वाले राज्यों के लिए खाद्य की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व पूर्णतया केन्द्र पर है क्योंकि कमी वाले राज्यों को उनके लिए संभरण के परम्परागत स्त्रोतों से पृथक कर दिया गया है। हम कुछ राज्यों में एकाधिकार द्वारा वसूली की प्रणाली लागू करके यह उत्तरदायित्व निभाना चाहते है यदि सरकार के पास दो महिने के लिए भंडार हों तो ऐसा सफलता पूर्वक किया जा सकता है क्यों की सरकार को मण्डियों से माल प्राप्त करने में दो महिने लगेंगे किन्तु सरकार के पास यह भंडार नही है।

इसी प्रकार समाहार (लेवी) का प्रश्न भी बहुत कठिन है क्योंकि कृषक यह समझते हैं कि इस प्रकार वे युक्तियुक्त मूल्य से वंचित रह जायेंगे। उपलब्धि तथा मूल्य में असमानता है और ऐसा अनुभव किया जाता है कि कुछ राज्यों में यह दूसरे राज्यों की अपेक्षा कही अधिक है। फिर

भी कमी को दौरान खाद्यान्नों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने तथा वहा से लाने पर कुछ विनियामिक (रेग्यूलेटरी) नियंत्रण आवश्यक है। इस सम्बन्ध में, मैं श्रीमती शारदा मुकर्जी के इस सुझाव से सहमत हूं कि हमें 1964 से पहले की स्थिति, जब कि ये तीन बड़े खंड थे---दक्षिणी खण्ड, पूर्वी खण्ड तथा मध्य केन्द्रीय खण्ड, फिर अपनानी चाहिए। यदि हम वह स्थिति फिर अपनाए तो दक्षिण में, विशेषतया केरल और मसूर में जहां बहुत ही बिकट स्थिति बनी हुइ है उसमें पर्याप्त रूप से सुधार हो जायेगा।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विषय पर अखिल भारतीय दृष्टिकोण से नहीं अपितु केवल विदर्भ में व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखकर बोलूंगा।

हमारे देश में अनावृष्टि का होना कोई नई बात नहीं है। चूंकि हमारे देश में खेती वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए अधिकतर ऐसा हो जाता है कि उन क्षेत्रों में, जिनमें वर्षा नहीं होती है, अभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर भी विदर्भ के क्षेत्र में मेरे जीवन काल में आज 85 वर्ष की आयुपर्यन्त कभी अकाल नहीं पड़ा, बल्कि किसान लोग अन्य राज्यों को भी सदैव फालतू अनाज संभरण करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसान एक चालू वर्ष के लिए अपेक्षित अनाज के अतिरिक्त आगामी वर्ष के लिए भी अदाज का कुछ स्टॉक रखा करते थे। परन्तु पिछले कई वर्षों में अधिक अच्छी फसलों के होने के बावजूद भी देश में अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण--किसानों द्वारा उस अनाज को जमा रखने की कोई बात ही नहीं है जिसका उपभोग वे उन कमी वाले महिनों में किया करते थे जिनके दौरान उन्हें कोई फसल प्राप्त नहीं होती है। ऐसा इसलिए हुआ है कि विदर्भ को महाराष्ट्र में, जो सदा कमी वाला प्रान्त रहा है, मिला दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप किसानों से अनाज के स्टॉक बम्बई आदि बड़े बड़ शहरों को चले जाते हैं। आज इसका परिणाम यह निकला है कि विदर्भ के आठ जिलों में, जिन्हें आत्म-निर्भर समझा जाता था, खाद्य की कमी की स्थिति पैदा हो गई है और अकाल का काफी कुप्रभाव पड़ा है और नई सरकारी व्यवस्था से इन जिलों को कोई सहायता नहीं मिली है।

दूसरी बात यह कि हमें केवल वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है। समूचे विदर्भ में, कुछ तालाबों के अतिरिक्त जिनसे कि कुछ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो जाती है, सिंचाई की बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 14 करोड़ रुपये की भंडर योजना को खत्म कर दिया है जिस पर 70 लाख रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जिन तीन जिलों अर्थात्--नागपुर, विदर्भ तथा भंडारा के लिये छोटी, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने का विचार किया है वे अभी उसके विचाराधीन हैं। यद्यपि छोटी सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है परन्तु उन्हे सुचारु रूप से तथा गंभीरतापूर्वक क्रियान्वित नही किया जा रहा है। इसलिए लोगों को इन योजनाओं का लाभ नही पहुंच रहा है।

खाद्य उत्पादन आदि में वद्धि करने के हेतु कार्य के निष्पादन में सरकार के विभिन्न विभागों के बीच कोई समन्वय नही है। इनके बीच आज की अपक्षा अधिक से अधिक अच्छा समन्वय किया जाना चाहिए। जहां तक उर्वरकों के संभरण का सम्बन्ध है, सरकार इस मामले में भरसक प्रयत्नशील हो सकती है किन्तु वे लोग जो कार्य निष्पादन करते हैं, अपना कर्तव्य पालन रकने में गंभीर नहीं हैं। इसी प्रकार अमरावती जिले के लोगों को कलकत्ता उर्वरक कारखाने से गत वर्ष उर्वरक मंगाने पर लगभग 50,000 रुपये की हानि उठानी पड़ी है क्योंकि उर्वरकों को उचित ढंग से नहीं भेजा गया था। बाद में सरकार ने इस मामले की जांच भी करवाई किन्तु अभी यह मामला अनिर्णित पड़ा हुआ है। जब तक सरकार कार्य निष्पादन करने वाल कर्मचारियों में उत्तरदायित्व तथा उच्च नैतिक स्तर की भावना उत्पन्न नहीं करती तब तक कृषक का कल्याण नहीं हो सकता और न ही स्थिति में कोई सुधार हो सकता है।

[डा० मा० श्री० अणे]

अन्त में, मैं यह कहूंगा कि पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की भी आवश्यकता है। मंत्री महोदय को केवल अपने मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के बीच ही नहीं अपितु उन कर्मचारियों के बीच भी, जिन्हें कार्य निष्पादन करना होता है, समन्वय स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : Mr. Chairman, We appreciate the efforts being made by the Government to face the food situation. The food situation as it is today is not peculiar to India, in fact the whole world is faced with this kind of situation. In the Report of the F. A. O. Conference held in Rome, it has been stated that the world food outlook was alarming with the prospects of serious famines in heavily populated areas during the next five to ten years. It is further said in the Report that the industrial and the agricultural development should go side by side. It is not only India that has to face drought conditions but Africa, Australia and China had also been hit by drought and this is bound to affect the world food situation adversely.

The food minister has done the right thing in placing the correct picture before the House. Had he not done so he might have been accused of hiding the facts duing ensuing Budget Session.

[श्री सोनावणे पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

It has been suggested that PL 480 imports should be stopped. In that connection we should realize that it is not only our country which is importing foodgrains.

Even Russia and U.A.R. are importing wheat from America and China is also importing. Therefore to suggest that we should stop imports particularly at a time when we were short of about 10 million tons is not proper.

We have been issued a book entitled "Reorientation of Programmes of Agricultural Production". All the details regarding agriculture production are fully given therein. In this connection I would like to know why Government should write to us that we have not made much progress in this work when Government itself is aware of all the methods regarding increasing the food production. The Government should do away with the red tapism and implement all the schemes without any delay.

In this book a reference has also been made about fisheries development. The Government is responsible for not developing fisheries so far.

I would like to suggest that a commission should be appointed to find out whether the amounts granted to the various states have been properly utilized or not; the commission should consist of officials and non- officials both. The Scheme regarding crop pattern should be implemented. Central Agriculture Service should be set up.

I would like to suggest also that the department of Food and Agriculture and the Department of Community Development should be amalgamated.

The Government should restrict sugarcane production so that more food crops could be raised. The Banks have stopped advancing money for agriculture purposes. Therefore, the food corporation or the Agriculture Department should advance loans.

The Government should lay greater stress on long term and short term programmes of developing agriculture and incresing production.

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : Mr. Chairman, it is the policy of the Government to make the country self-sufficient in foodgrains. We should take every possible steps to increase the production of foodgrains. The Government does not want to import foodgrains but in view of the present shortage we should import from the United States. In this way we would be able to face the food situation.

The farmer should get the remunerative price. He should be given cheap fertilizers, good seeds, insecticides and agricultural implements. There should be one policy regarding agricultural enconomy. In regard to credit given to the farmers, the basis should be production capacity instead of ownership of property. Because of the wrong policy the small farmers do not get credit at present. The Central Government should adopt the Bhubaneswar Resolution regarding credit to the farmers and the State Government should also be issued directions accordingly.

It is strange that although we have insurance for many things, the crop and cattle of the farmers have not yet been so covered. Congress has adopted a policy in this regard but it is not being implemented.

The Government policy of price support has been a failure. This policy should not be pursued any longer.

There is a tendency in all the states to declare themselves to be the deficit States. Therefore, it was decided that the surpluses and deficits of the different States will be assessed and periodically revised and the decisions of the Planning Commission would be binding on all the States. But this has not been done.

I would also like to submit that uniform policy of compulsory levy and procurement should be introduced throughout the country.

There should be equitable distribution of food. The village people should also get the benefit of rationing. The food trade should be taken over by the Government and should not be left in the hands of the private traders.

I hope that the Government would pay attention to the suggestions made by me.

श्री सं० ब० पाटिल (बीजापुर-दक्षिण) : मैं कृषक होने के नाते खाद्य समस्या को हल करने सम्बन्ध में अपने विचार रखूंगा ।

कृषि के बारे में हमारे देश में दो बड़ी कठिनाइयां हैं । पहली कठिनाई प्रशासन के वर्तमान ढांचे के बारे में है । केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय के कर्मचारियों को न ही तो कृषि कार्य की जानकारी है और नहीं तो उसका दृष्टिकोण ग्राम्य है दूसरी कठिनाई भूमि के असमान होने के बारे में है । इस का परिणाम यह है कि देश को गम्भीर खाद्य समस्या का सामना

[श्री सं० ब० पाटील]

करना पड़ रहा है। बढते हुये मूल्यों के कारण आजकल जीवन निर्वाह कठिन हो रहा है। खाद्य समस्या को हल करने के लिये काफी प्रयत्न किये गये हैं परन्तु यह समस्या अभीतक भी हल नहीं हो पाई है। आज हमें यह आधारभूत बात स्वीकार करनी चाहिये कि अच्छी फसल के लिये हमें अब प्रकृति पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। इसके लिये अविरत प्रयास की आवश्यकता है। जब तक हम इस आधारभूत बात को स्वीकार नहीं करते, हम अपनी योजना के सम्बन्ध में गलती कर सकते हैं।

खाद्य मंत्री ने कहा है कि 80 लाख टन की कमी है परन्तु यदि पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न को भी ध्यान में रखा जाये तो यह कमी लगभग एक करोड़ 40 लाख टन की है। राज्यों में खाद्यान्न लाने जाने पर प्रतिबन्ध होने के कारण इस कमी का प्रभाव कहीं अधिक और कहीं कम पड़ सकता है।

अकाल के बारे में पूर्वानुमान करने से जमाखोरी बढ़ेगी और जमाखोरी करने वाले व्यक्ति सरकार की नज़रों से बचने का प्रयत्न करेंगे।

हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम अपने देश के संसाधनों के आधार पर अपने देश में खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भर हों। पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात पर निर्भर रहना केवल देश के आर्थिक विकास के लिये ही हानिकारणक नहीं है, बल्कि इससे हमारा आत्म-सम्मान तथा आत्म विश्वास भी कम होता है। देश को अपने पांव पर खड़े होना चाहिये और आत्मनिर्भरता के लिये अब कदम उठाये जाने पड़ेंगे।

हमारे देश में प्रति एकड़ उत्पादन दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि खाद्य को राष्ट्रीय विषय समझा जाना चाहिये और समूचे राष्ट्र को एक खण्ड माना जाना चाहिये। किसी को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि दूसरों को अपने पर निर्भर रखे। यदि कृषि वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिये और अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्यों को कम करने के लिये तेज़ी से कदम नहीं उठाये जाते, तो समूचे देश को विपत्ति का सामना करना पड़ेगा।

Shri Balgovind Verma (Kheri) : Although the food problem is very grave, yet I am not of the opinion that a resolution should have been brought before the House. I am afraid that the efforts being made by the peasants to increase food production may be retarded by this. At the most the Hon. Minister might have discussed this problem with the members of the opposition parties. But now that this problem has been brought before the House, I would also like to make some suggestions.

If the food problem is to be solved, there should be complete coordination between the various departments such as food and agriculture, irrigation and power and community development and cooperation, in fact all these departments should be brought under the Ministry of Food and Agriculture. This is very important. As long as these departments are not coordinated the agricultural production cannot increase.

The Government should ensure that the loans given for minor irrigation projects is utilized only for that purpose. Today 35 per cent of the loan is to be

utilized for fertilizers with the result that there is not sufficient amount for constructing a tube-well. The Government should provide cheap electricity for agricultural operations and also ensure that the agricultural implements are made available to the farmer at cheaper rates. He should be given the necessary incentives.

Steps should be taken to manufacture tractors out of indigenous material and there should be no excise duty on them. The Government has imposed excise duty to the tune of about Rs. 5,000 on Russian tractor which costs Rs. 9,000. It means that the Government wants that agriculture should not make progress.

There is a lot of difficulty in obtaining spare parts of tractors. We should open workshops for tractors at places where mechanised farming is being undertaken. In addition, the Government should also make arrangements for the proper supply of diesel oil, mobil oil and kerosene oil for the operation of tractors.

The procurement policy of the Government is entirely defective. The Government should not depend on the private traders for procurement; it should be entirely taken over by the Government. Middle man engaged on this work should be removed.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr Speaker, it has been said by the General Secretary of U. P. Congress Committee that fifty per cent of the tube wells are not working because the operators are given meagure salaries. The operators have left their jobs. This should be looked into by the Government.

It could not be understood why people are dying of hunger in this country when 85 per cent of the population is engaged on agriculture. The I. C. S. Officers should not be entrusted with the work connected with food and agriculture; they had no knowledge of the subject and no idea about the requirements of the farmer.

In so far as land is concerned, it is being allotted to the persons who are not tillers. The Birlas have been allotted thirty thousand acres of land for the improvement of seeds. The land must go to the actual tillers; the landless labourers must be given rights in land. Land must be taken away from those who do not cultivate it.

Until the Ministers and officers go to the villages and personally look into the difficulties of the farmers, the food problem cannot be solved.

Madras Government established a food corporation which has now been wound up as it could not function properly. Its work has now been assigned to rationing department. I would like to submit that a scheme which has failed in Madras should not be implemented in Delhi.

The quantity of ration being given in Delhi should be increased as it is not sufficient at present.

The people who are helping Pakistan must be asked why they are doing so. The big industrialists of India are contributing large amounts towards Pakistan

[Shri Yashpal Singh]

National Defence Fund; they are indulging in treason. If the land of these big industrialists is acquired and distributed amongst the poor, the food problem can be solved within six months.

In the end, I would like to request that full opportunity and sufficient time should be given so that the members could speak on this subject in detail.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : We want to increase our agricultural output but by entering into Indus waters treaty we have not cared for the interest of our own states like Rajasthan. The Central Government has all along been neglecting the State of Rajasthan. Famine conditions are prevailing there at present.

The seeds supplied to farmers are not good. The supply of water is also not adequate. Government wanted that farmers should grow sugarcane, so that more foreign exchange could be earned by exporting more sugar. Then there was shortage of water for irrigation. I feel Government does not know the problems of farmers. It is said that we should have kitchen gardens in cities but there is no water for drinking.

Government is imposing betterment levy in Rajasthan, but people have not been provided any facilities. Government is indulging in profiteering in matter of grams. It purchases at Rs. 40 per quintal and sells it at Rs. 80 per quintal. This is correct in the case of Government of Madhya Pradesh also. It is not proper.

Government is spending huge sums of money on food imports. If this amount is distributed among farmers, this problem can be solved. Government should think over this suggestion. The cooperative farming has not proved successful. A research farm was started near kotah but it has ruined a member farmers whose land was taken over.

The farmers of Rajasthan are in a very pitiable condition. Government is not doing anything to ameliorate their condition. They should be provided the necessary facilities. I can say with confidence that if you provide necessary facilities, Rajasthan alone can solve the problem of our country.

श्री मा० ल० जाधव(मालेगांव) : महाराष्ट्र में सुखा फैला हुआ है। इसके कारण वहां खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ गये हैं। चारे की कमी के कारण पशुओं के मूल्य कम हो गये है। खाद्यान्नों तथा चारे का बहुत अभाव हो गया है। पिछले सौ सालों में ऐसी स्थिति उत्पन्न नही हुई है। केन्द्रीय सरकार की सहायता की बहुत आवश्यकता है। सिंचाई के लिये आवश्यक प्रबन्ध करना बहुत आवश्यक है। इससे अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को कुछ सहायता मिलेगी।

खाद्यान्नों के अभाव के साथ अन्य वस्तुओं जसे तेल आदि की भी कमी हो गई है। इस के कारण नलकूप बेकार पड़े हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। किसानों के प्रयोग में आने वाली मशीनों के भाव भी बढ़ गये है। सरकार को अपनी ओर से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से किसानों को मुश्किल न हो। पी० एल० 480 के अंतर्गत हमें खाद्यान्नों का आयात उस समय तक बन्द नहीं करना चाहिये कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते।

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad) : This subject is discussed here in every session. I feel high officials of Government do understand the problems. They pay no heed to the suggestions made in Parliament. These suggestions should be properly considered. It is not good that agriculture is not paid proper care. During the last 18 years we have made many plans but it was only paper work. Agriculture requires constant labour. The Department of Agriculture is not aware of the difficulties of agriculturists. This Department is a very big Department. It should justify its existance by doing substantial work. We can help Jawan by producing more in our agricultural farms.

Agriculture is our mother industry which yields 31·0 percent of our national income but the expenditure on this is only 2 or 3 percent.

We shall have to change our policy in this regard.

I come from Andhra Pradesh. The production of foodgrain there has been less this year. There have been no rains this year. People are very much worried there. Government should start education regarding farming in schools. It will inculcate an interest for this in minds of young boys.

Government is not providing similar facilities to farmers as are provided to factory workers in cities. The farmers take no interest in agriculture and prefer to come to cities to work in factories.

The farmers should be provided necessary facilities. The officers of Department of Agriculture should be sent to villages to help farmers.

The fourth plan will be for rupees 21,000 crores. The allocations for irrigation are very inadequate. I do not like this indifference towards this vital subject. I want that irrigation should not be neglected like that. The rationing system should not be introduced. It will help big dealers of foodgrains. I have gone through the statistics prepared by Food Corporation of India.

We want that Andhra Pradesh should be made self-sufficient. Farmers should be given some incentive to go for foodgrains instead of cash crops.

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मैं यह जानना चाहता हूं कि खाद्यान्नों के संग्रह तथा सम्भरण की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की है अथवा राज्य सरकारों की । इस कार्य में समन्वय कैसे होता है । माननीय मंत्री के भाषण से समस्याका समाधान नहीं होगा । सरकारने उचित मूल्यों वाली दुकाने खोली है परन्तु बिहार, आसाम तथा पश्चिमी बंगाल में चावल उपलब्ध नहीं है । सरकार ने खाद्य निगम का स्थापना की है । इस में भर्ती के मामले में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है । सरकार ने खाद्य मंत्रालय के समान इस निगम एक और विभाग के रूप में खड़ा कर दिया है । इससे सरकारी खर्च में वृद्धि हो गई है । सरकार को खाद्य निगम और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में अन्तर नहीं करना चाहिये । सरकार को इस बारे में अपना आश्वासन पूरा करना चाहिये ।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : इस बार देश में फसल अच्छी नहीं हुई है । हमें विदेशों से सहायता लेनी पड़ रही है । जब पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों की आयात आरंभ किया गया था तो उस समय के खाद्य मंत्री श्री पाटिल ने कहा था कि हम एक बफर स्टाक बनाया जा रहा है । क्या किया गया था ? माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले साल यहां पर 880 करोड़ 80 लाख टन अनाज हुआ है और साथ साथ विदेश से भी आयात होता रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि बफर स्टाक के लिये क्यों नहीं रखा गया ?

[श्री बाकर अली मिर्जा]

सरकार को किसानों को अधिक मूल्य देने चाहिये। यदि आप किसानों को इस प्रकार का प्रोत्साहन देंगे तो उत्पादन बढ़ सकता है। सरकार नगर के लोगों को अधिक सुविधायें देना चाहती है। यह उचित नहीं है। हमें किसानों के बारे में भी सोचना चाहिये। वे भी अधिकांश संख्या में निर्धन हैं। उनकी खेती के अतिरिक्त और कोई आय नहीं होती है।

सरकार खाद्यान्नों के मूल्य नियत कर देती है। इससे बेचारे किसानो को हानि होती है। परन्तु सरकार उनकी अन्य प्रकार से सहायता कर सकती है। उनको डीजल इंजिन तथा पम्प आदि दिये जा सकते है और वे 10 या 15 वर्षों की अवधि में भुगतान कर सकते हैं। आप बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर बहुत अधिक धनराशि व्यय कर रहे हैं। इन छोटे छोटे किसानों को कुछ करोड़ रुपये की सहायता दी जा सकती है। स्टेट बेंक ऑफ इंडिया ने किसानों की कोई सहायता नहीं की है। हमारे देश में भूमि का आधा भाग बड़े बड़े उत्पादकों के पास है और शेष आधा छोटे छोटे किसानों के पास। सरकार को चकबन्दी करनी चाहिये। इससे उत्पादन बढाने में सहायता मिलेगी। सरकार को सहकारी खेती का भी प्रयोग करना चाहिये।

हमें अपने देश भूमि सुधार लागू करने चाहिये। हम समाजवाद की बात करते है। हमें भूमि का वितरण न्यायोचित ढंग से करना चाहिये। इस बारे में आयोजन विशेषज्ञों ने कहा है कि हम भूमि सम्बन्धी सुधारों को लागू नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री कह सकते है कि यह राज्यों का विषय है परन्तु सभी राज्यों में एक ही पार्टी का शासन है और उसकी नीतियों को कार्यान्वित करना पार्टी का काम है। यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो वह करना चाहिये ताकि नीति कार्यान्वित की जा सके।

Shri Vishram Prasad (Lalganj) **:** Our Government has been making plans and schemes but all those have not been of any benefit for our people. It was only paper work. If you go into statistics you will find that much progress has been made, but practically there has been no progress.

In eastern U. P. the prices of foodgrains are very high. People have to observe fast on many days in a week there. You cannot increase the production by kitchen garden. The farmers should be given all the necessary facilities. He should be given electricity at cheap rates. There should be adequate provision of water for irrigation. The manure should be made available at cheap rates. By taking these measures production can be increased.

17 lakhs of rupees have been spent on community development schemes. Had this amount been spent on tubewells, the production would have gone many fold. Conditions are very bad in U. P. There is scarcity of almost all essential commodities. I do not understand as to what benefit the poor farmers are deriving from plans. Government should make some arrangement for cultivators also. I want to know when our country will attain self sufficiency in the matter of foodgrains and the imports thereof would be stopped?

सभापती महोदय : खाद्य स्थिति पर चर्चा समाप्त हुई।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 7 दिसम्बर, 1965/16 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 7, 1965/ *Agrahayana* 16, 1887 (*Saka*).

भा.स.मु.ना.—१३ लोक सभा/६६—१८-१०-६६—६००